छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा दशम् सत्र

बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2021

(फाल्गुन 12, शक सम्वत् 1942)

[अंक 08]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधानसभा

बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2021

(फाल्गुन 12, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>जन्म दिवस की बधाई</u>

<u>श्री यू.डी. मिंज, सदस्य</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री यू.डी. मिंज जी का आज 3 मार्च को जन्म दिवस है, इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें बधाई देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। (मेंजो की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ताम्रध्वज साहू जी सदन में हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने चुनाव फार्म में इस्तीफा दे दिया। हम चाहते हैं कि ताम्रध्वज साहू जी कोई भावावेश में मत आयें और इस्तीफा मत दें। यही रहें और वह प्रदेश की सेवा करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये यह प्रश्नकाल का विषय नहीं है। कुलदीप जुनेजा जी।

गृह मंत्री (ताम्रध्वज साहू) :- मैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी नियुक्ति आब्जर्वर के रूप में हुई थी, बी.जे.पी. ने क्या-क्या गलती की, वहां नरेन्द्र मोदी जी कैसे खरीद-फरोख्त करवाये, अमित शाह जी क्या किये, यह देखने के लिए मुझको भेजा गया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कुछ सीखकर आये कि नहीं, सूरत में कांग्रेस का जीरो था। यहां आपके काम आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जी-23 का गठन हो गया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गठन होने के दूसरे दिन गुलाबी शर्ट पहनकर आ गये हैं। गुलाबी शर्ट पहनकर आ गये हैं, आज कुछ न कुछ घटेगा। इस पर आप व्यवस्था दीजिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- वह बजरंगबली के उपासक हैं, वह बजरंगबली का कलर है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये कुलदीप जुनेजा जी।

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन को रोकने हेतु मारे गये छापे

1. (*क्र. 18) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2020-21 में वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग द्वारा कर अपवंचन को रोकने हेतु कितने स्थानों पर छापा डाला गया तथा उक्त छापे से कितनी कर चोरी पकड़ी गई? इसमें से कितने छापे शिकायत के आधार पर तथा कितने विभाग द्वारा स्वतः डाले गये? दिनांक 1-4-2020 से 23-1-2021 की अवधि की जानकारी देवें? (ख) कर अपवंचक के विरूद्ध क्या अपराधिक कार्यवाही की गई? यदि हां तो कितने प्रकरणों में? (ग) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में जनवरी, 2021 तक छत्तीसगढ़ में जी.एस.टी. के अंतर्गत कितनी राशि की वसूली हुई?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) सत्र 2020-21 में वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग द्वारा कर अपवंचन को रोकने हेतु कुल 10 स्थानों पर छापा डाला गया था. इन प्रकरणों में कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है, कर निर्धारण पश्चात् कर चोरी की राशि ज्ञात होगी. इन प्रकरणों में शिकायत के आधार पर निरंक तथा विभाग द्वारा 10 छापे स्वतः डाले गये है, जो प्रपत्र "अ" पर † [1] संलग्न है. (ख) जी नहीं. (ग) छत्तीसगढ़ में जांच छापे से वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 179.46 लाख तथा वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक राशि रुपये 186.78 लाख कुल राशि रुपये 366.24 लाख की वसूली हुई जो प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, माननीय मंत्री वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी.एस.टी. भरने में अनियमिताओं की 168 शिकायतें आपको मिली थीं और उस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक इस प्रकार की 55 शिकायतें रायपुर संभाग तथा बिलासपुर संभाग की मिली हैं। विभाग ने मात्र 10 स्थानों पर छापा मारा। क्या आपको लगता नहीं है कि शिकायतों के आधार पर छापे वाली कार्यवाही कम है ? क्या आप छापे की कार्यवाही को और बढ़वायेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां विभाग की जिम्मेदारी कर संग्रहण की भी है वहां कोई भी कार्यवाही दमनकारक न हो, यह भी विभाग पूरा ध्यान रखता है। व्यवसायी वर्ग, उद्योगपति, करदाता यह हमारे समाज के आधार भी होते हैं। लेकिन कहीं भी अगर कमियां हों जिसकी जानकारी आती है उसमें कार्यवाही करने में विभाग कोताही नहीं करता। हर प्रकरण जिसमें शिकायत आये, इसमें रेड करना या अन्य कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होता, यदि जानकारी के आधार पर

[1] परिशिष्ट "एक"

प्रकरण प्रोसेस में आ जाये, वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। वैसे 2019-20 और 2020-21 में जब्ती के संदर्भ में जो मूल प्रश्न आया था, इसमें 28 जांचें हुई थीं। कुल अपवंचित राशि 4 करोड़ 17 लाख की है जिसमें 3 करोड़ 66 लाख नगद वसूली कर ली गई थी और 1 करोड़ 2 लाख 33 हजार बकाया है। इसकी और जानकारियां हैं।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने स्थानों पर इतनी शिकायतें मिलने के बाद भी सिर्फ 10 स्थानों पर छापा पड़ा है तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि क्या आप और भी छापे की कार्यवाही आगे बढ़ायेंगे ? क्या आपको नहीं लगता कि जी.एस.टी. चोरी की शिकायत निराकरण के लिए आपको कोई हाईपावर कमेटी बनाकर कार्यवाही करनी चाहिए तो क्या आप हाईपावर कमेटी बनायेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने निवेदन किया कि कार्यवाही समय और परिस्थिति के अनुसार विभाग करता है। इतने वरिष्ठ अधिकारी चुनकर विभाग में दिये गये हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। नियम, प्रक्रियायें, कानून है। उसके अतिरिक्त अभी कोई हाईपावर कमेटी की आवश्कयता महसूस नहीं होती। हमने यह भी देखा कि कोरोनाकाल में भी छत्तीसगढ़ में जी.एस.टी की वसूली का प्रतिशत देश के टॉप में था। जो प्रक्रिया, जो कार्यवाही हो रही है, उसमें अग्रणी पंक्ति में छत्तीसगढ़ का जी.एस.टी. विभाग रहा।

रजिस्टर्ड मेडिकल स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति

2. (*क्र. 1372) श्री धर्मजीत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातक/स्नातकोत्तर (एमबीबीएस-एमएस) उपाधि प्राप्त कितने छात्र-छात्राओं नें छ.ग. मेडिकल कौंसिल में वर्ष 2016, 2017, 2018 एवं 2019 में रजिस्ट्रेशन कराया? (ख) क्या कंडिका "क" के रजिस्टर्ड छात्र-छात्राओं की शासकीय चिकित्सालयों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया गया? यदि हां तो कितने पदों पर, और उसके विरूद्ध कितने लोगों ने आदेश के पालन में कार्यभार ग्रहण किया? (ग) क्या यह सही है कि कंडिका "क" केरजिस्टर्ड उपाधि धारकों की ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देना अनिवार्य है? यदि हां तो कितनी अवधि तक? इनका पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही के क्या-क्या प्रावधान हैं? क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में वर्षवार पंजीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त पंजीकृत छात्र-छात्राओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है.

क्रमांक	वर्ष	स्नातक (एम.बी.बी.एस.)	स्नातकोत्तर (पी.जी.)
1	2016	234	76

2	2017	357	69
3	2018	341	50
4	2019	588	66

(ख) कंडिका (क) के अनुबंधित 563 छात्र-छात्राओं के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया गया है. जिसके पालन में 231 चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है. (ग) जी हां. 02 वर्ष की अवधि तक. इसका पालन नहीं किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी (चिकित्सक) से अनुबंध की राशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है. अनुबंध का पालन नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इसलिए इस प्रश्न को पूछ रहा हूं कि हमारे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों के1377 पद स्वीकृत हैं। मेरे ही अतारांकित प्रश्न में आपने बताया है। 784 पद भरे हैं और 593 पद रिक्त हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज में 80 परसेंट सीट डॉक्टर के खाली हैं और 45 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षक के पद रिक्त हैं । खैर, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो डॉक्टर एम.बी.बी.एस. होते हैं या एम.डी. होते हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के लिये आपने बताया कि दो वर्षों का नियम है और उसमें 563 लोगों में से केवल आधे लोगों ने ज्वाईन किया और आधे लोगों ने नहीं किया तो यह आखिर कैसा नियम है ? आप पहले यह बता दीजिए कि इसमें आपने केवल आर्थिक प्रावधान दंड देने का रखा है या कोई और भी कड़े नियम हैं ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुभव में और विधानसभा के प्रश्नकाल में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिससे हम लोगों को स्वयं भी विभाग के वर्किंग के बारे में और जानकारी के बारे में बहुत कुछ देखने को और उसको परखने का मौका मिलता है, यह प्रश्न उनमें से है और जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि प्रक्रियाएं क्या हैं और जो भर्तियां होती हैं और जो उपस्थिति होती है, जो बच्चे पास करते हैं और उसके बाद पंजीयन और उसके बाद उपस्थिति इत्यादि तो वर्ष 2011 से शासन ने कुछ ऐसे नियम बनाये, हर साल यह नियम बनते हैं । उदाहरण के लिये वर्ष 2011 से स्नातकोत्तर में जो नियम चालू हुए, यदि आपने बाण्ड भरा और आप सेवा में उपस्थित नहीं हुए तो बाण्ड के आधार पर वसूली की कार्यवाहियां इत्यादि थीं। यह वर्ष 2011 से 2014 तक स्नातकोत्तर की डिग्री के लिये, अनारक्षित वर्ग के लिये 10 लाख रूपये और आरक्षित वर्ग के लिये 5 लाख रूपए और आरक्षित ओपन के लिये 5 लाख रूपये और इनसर्विस के लिये ढ़ाई लाख रूपये और स्नातकोत्तर इसमें 8 लाख और 3 लाख, 4 लाख और डेढ़ लाख यह वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक चलता रहा और वर्ष 2015 से इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख और 40 लाख बाण्ड की राशि रखी गई और मुझे इसका एकमात्र कारण यह लगता है कि यह पिछली सरकार के समय का निर्णय है और अभी भी लागू है । इसके पीछे यही कारण है, जो सवाल आपने कहा

कि इतने बच्चे पढ़कर तो तैयार होते हैं लेकिन ज्वाईन नहीं करते, करीब-करीब बड़ी मात्रा में शत-प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत बच्चे जब बाण्ड की राशि 5 लाख की थी, बाण्ड की राशि पटा देते थे और वह सेवा में उपस्थित नहीं होते थे, बाण्ड पटा देते थे । जब से इस बाण्ड राशि को बढ़ाया गया है तब से यह देखा जा रहा है कि अब अटेण्डेंस या तैनाती, हाजिरी इसमें निश्चित रूप से बढ़ी है । वर्ष 2020 में भी हम लोगों ने कुछ परिवर्तन इत्यादि किये हैं उस आधार पर अब लोगों की उपस्थिति अंडरग्रेजुएट्स भी और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी इसमें बढ़ी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि प्राईवेट मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिये यह नियम 2 साल का ग्रामीण सेवा देने का नहीं है ? क्या केवल सरकारी कॉलेज में है ? दूसरी बात यह है क्या आप मध्यप्रदेश के नियम का पालन करेंगे जिसमें केवल 01 साल के लिये है ताकि करोड़ों रूपए खर्च करके हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, करोड़ों रूपए खर्च करने के बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से वह पढ़ते हैं और यहां गांव में लोग सेवा नहीं देते । गांव में बिना डॉक्टर के लोग मर जाते हैं तो क्या आप कुछ ऐसे नियम बनायेंगे ? आप केवल एक साल का रखिये लेकिन अगर वे ज्वाईन नहीं करता है तो उसकी डिग्री सस्पेंड करने का और क्या आप वहां डॉक्टरों के रहने के लिये इंतजाम करवायेंगे ? बजट में आप अस्पताल तो बनवा देते हैं लेकिन अगर वह डॉक्टर गांव में रहना भी चाहे तो उसके लिये रहने की जगह नहीं होती है तो जैसे अस्पताल बने तो उसी के साथ कम से कम एक डॉक्टर के लिये भी क्या आप मकान बनाने का विचार करेंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए पहले कहा कि यह आज का सवाल बहुत गहराई तक जाने वाला सवाल है और इस प्रश्न ने हम लोगों को भी मौका दिया । इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी लेने का, समीक्षा करने का और उसमें क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं ताकि स्थिति को और कारगर बनाया जा सके । माननीय सदस्य ने जो बोला वह एकदम सही है कि एक बच्चे को पढ़ाने में यह माना जाता है कि करीब 97 लाख रूपये से ज्यादा, 1 करोड़ से ऊपर भी जाता है, 97 लाख रूपये पब्लिक के पैसे एक डॉक्टर को तैयार करने में लगते हैं । फिर वह सेवा के लिए उपस्थित नहीं होते तो ये वेकेंसीज़ आती हैं । 2 साल और 1 साल के bond की बात है, हमारे यहां मेडिकल कॉलेजेस कम थे, पास आऊट होने की संख्या कम थी, धीरे-धीरे मेडिकल कॉलेजेस भी खुलते जा रहे हैं और वे बच्चे अब आते भी जा रहे हैं तो डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इन परिस्थितियों में ये समय आएगा जब दो साल के लिए bond की आवश्यकता इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि उतने पद ही खाली नहीं रहेंगे । ये पद भरते चले जा रहे हैं इसलिए हम लोग विचार जरूर कर रहे हैं, अभी निर्णय नहीं लिया है, जब वह समय आ जाएगा कि सेच्युरेशन हो गया, जो रिक्त पद दिख रहे हैं वे भी जल्दी भर जाएंगे । हर साल जो बैच आएंगे उससे ये रिक्त भर जाएंगे तो आपके पास जगह ही नहीं रहेगी तो

मुझे लगता है कि यह स्थिति अपने आप ही आ जाएगी । निजी कॉलेजेस की व्यवस्था पब्लिक फंड से नहीं है, वे अलग नियम के तहत हैं, मेरी जानकारी के तहत उसमें बॉड की व्यवस्था नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसको गंभीरता से समीक्षा करवा लीजिएगा विभाग से, आप से ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- बड़ा अच्छा सवाल आ गया समय पर ।

अध्यक्ष महोदय :- जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- धन्यवाद् साहब ।

<u>देशी व विदेशी मदिरा में अधिरोपित अतिरिक्त शुल्क से प्राप्त राशि</u>

3. (*क्र. 854) श्री अजय चन्द्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2 मई तथा 15 मई, 2020 को छत्तीसगढ़ राजपत्र वाणिज्यि कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा देशी व विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर 10 रुपये व 10 प्रतिशत की दर से "विशेष कोरोना शुल्क" अधिरोपित करने की अधिसूचना के अनुसार :—दोनों मदों से दिनांक 03-02-2021 तक कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं कोरोना महामारी (कोविड-19) के लिए स्वास्थ्य विभाग को इस मद से कितनी राशि उपयोग में लायी गयी है? तथा कितनी राशि बची है? जिलेवार बतावें? (ख) यदि किसी भी मद में कोई राशि स्वीकृत/व्यय नहीं की गई है तो इसका क्या कारण है? और कब तक किया जायेगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 02-05-2020 अनुसार देशी मदिरा की फुटकर विक्रय दर पर प्रतिनग 10/- की दर से विशेष आबकारी शुल्क 198,19,98,240/- (एक सौ अनठानबे करोड़ उन्नीस लाख अनठानबे हजार दो सौ चालीस मात्र) तथा अधिसूचना दिनांक 15-05-2020 अनुसार विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दर पर 10% की दर से विशेष कोरोना शुल्क 166,55,38,808/- (एक सौ छैसठ करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ आठ मात्र) अधिसूचना जारी दिनांक से 03-02-2021 तक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शासकीय कोष में जमा की गई जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर †[2] संलग्न है. इस मद में कोई राशि अभी तक उपयोग में नहीं लायी गई है क्योंकि वित्त विभाग द्वारा इन दोनों मदों से कोई भी राशि किसी भी विभाग को स्वीकृत नही की गई है. (ख) इन दोनों मदों की राशि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्री अधोसरंचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर व्यय किया जाना है, जिसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग को प्रथम अनुपूरक में रु. 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

---

[2] † परिशिष्ट "तीन"

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अति आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके विभाग ने कोरोना के लिए कितने प्रकार के विशेष कोरोना शुल्क लगाए हैं । उसमें 31 जनवरी तक कितने रूपए एकत्र हुए और उसको किस मद पर खर्च करने के लिए आपने कोरोना शुल्क अधिरोपित किया ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मई 2020 में निर्णय लिया कि हमको दारू दुकान से कोरोना शुल्क लेना है । आज तक 166 करोड़ जमा हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या पूछूं मुझे समझ नहीं आ रहा है । मैंने पूछा है कि कितने प्रकार के कोरोना शुल्क आपने अधिरोपित किये हैं ? मेरे पास दोनों राजपत्रों की कॉपी है उसमें दोनों में कितने प्रश्न एकत्र हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो कभी-कभी प्रश्न नहीं पूछते, चले जाते हो । आज भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है । वह दोनों का कारण आप जानते हैं साहब ।

अध्यक्ष महोदय :- इसे भी उसी कारण समझ लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें कोरोना शुल्क लगाने के कारण क्या हैं । उसमें अभी तक कितने पैसे खर्च हुए । शुल्क लगाने के उद्देश्य क्या थे और अभी तक उन उद्देश्यों की पूर्ति में कितने पैसे खर्च हुए । (वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर को इंगित करते हुए) अरे, आप उत्तर दे दीजिए ना साहब । मैं आज इस पर आपत्ति नहीं लूंगा।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, कोरोना शुल्क और अधोसंरचना मद शुल्क। दो प्रकार के शुल्क हम लोग वसूल कर रहे हैं । विदेशी शराब में कोरोना शुल्क और देशी शराब में अधोसंरचना के लिए हम लोग वसूल कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा-छोटा प्रश्न है । मैं बिल्कुल इधर-उधर नहीं पूछ रहा हूं । कोरोना शुल्क लगाने के उद्देश्य क्या हैं और उसमें अब तक कितने पैसे खर्च हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अकबर जी आप बता दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ तो उद्देश्य होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं अकबर जी को आसंदी से निर्देश देता हूं वे बता देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल, वे बता देंगे ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- विशेष आबकारी शुल्क देशी मदिरा से 198 करोड़, विशेष कोरोना शुल्क विदेशी मदिरा से 166 करोड़ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने शुल्क लगाने के उद्देश्य पूछा है और उन उद्देश्यों में कितने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है । यानी कितना पैसा किन बातों में खर्च हुआ है और लगाने के उद्देश्य क्या हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि पर व्यय के लिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने वही तो पूछा कि उद्देश्य क्या हैं और व्यय कितना हुआ ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अभी राशि व्यय नहीं हुई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना का peak hour निकल गया। मई से लगा है, अभी तक कोई खर्च जो हुआ। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको और पूछता हूं। आप परिशिष्ट देख लीजिए। आप देख लीजिए। आप उत्तर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको समय देता हूं। परिशिष्ट में जो विशेष आबकारी शुल्क लगा है तब से बलरामपुर में एक रूपया वसूल नहीं हुआ। क्या बलरामपुर में देशी दारू नहीं बिकती क्या? या बलरामपुर के देशी दारू को कोरोना शुल्क से मुक्त रखा गया है? क्या है? आप आराम से परिशिष्ट देख लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैंने परिशिष्ट देख लिया। इसमें जीरो दर्शाया गया है और वहां पर देशी दुकान नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- देशी दुकान नहीं है। ठीक है। अब ये बताइए कि आपने 200 करोड़ रूपये सामान्य प्रशासन विभाग के अनुपूरक में रखा है तो वह कोरोना शुल्क स्वास्थ्य के लिए लगाये हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग को पैसा देने के पीछे का कारण क्या है?

श्री मोहम्मद अकबर :- यह अभी बजट में प्रावधानित किया गया है और अभी कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आपने अधिसूचना में सीधे लिखा। माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- आपका जो प्रश्न है, वह जरा क्लिष्ट है और उत्तर भी आप जानते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके साथ मिलकर मैंने कहा कि माननीय अकबर जी उत्तर दे दें, आज मैं आपत्ति नहीं लूंगा। सवाल यह है कि इस सरकार में क्या हो रहा है? इसे एक मिनट सुन लीजिए। मैं समय खराब नहीं करूंगा। बजट भाषण में यह कहा गया कि 600 करोड़ रूपया कोरोना से प्राप्त होगा। माने सरकार ने उसे अपने टैक्स में जोड़ा है। जबकि सेस जिन कारणों से लगाया गया है, उन्हीं में व्यय होगा और उसी में व्यय होगा और और यदि उमसें व्यय नहीं होता है तो consolidated fund में जमा हो जायेगा, यदि उसमें असफल होता है तो उस सेस को समाप्त कर दिया जायेगा। आप उसमें भी गोधन न्याय योजना में खर्च कर रहे हैं। गोठान विकास में खर्च नहीं कर रहे हैं। इसमें भी आप सामान्य प्रशासन विभाग को पैसा दे रहे हैं। पूरा कोरोनाकाल का peak hour

निकल गया। एक रूपया भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिये। तो यह तो सीधे-सीधे दुरूपयोग हो रहा है। तो क्या आप कोरोना शुल्क की राशि को जो अतिशेष है, उसे स्वास्थ्य विभाग को देकर दोनों मदों में खर्च करने के निर्देश अधिकारियों को जारी करेंगे क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- प्राधिकरण का निर्माण हुआ है और प्राधिकरण के अनुमोदन से व्यय किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्राधिकरण और स्वास्थ्य अलग-अलग चीजें हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- जी.ए.डी. सभी विभागों के बीच समन्वय करेगा और इसके लिए जी.ए.डी. से प्रावधान किया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, प्राधिकरण के लिए तो कोरोना शुल्क लगा ही नहीं है। उन्नयन के लिए तो कोरोना शुल्क लगा ही नहीं है। कोरोना शुल्क तो स्वास्थ्य के लिए लगा है। स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए लगा है। तो क्या आप निर्देश देंगे कि स्वास्थ्य अधोसंरचना में स्वास्थ्य के लिए यह पैसा देंगे। प्राधिकरण का इससे क्या संबंध है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- [XX][3]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX] (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- [XX] (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- [XX] (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- [XX] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धर्मजीत जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- [XX] (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] (व्यवधान)

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- [XX][4] (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री नारायण चंदेल :- [XX] (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- [XX] (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- [XX] (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX]

श्री सौरभ सिंह :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री सौरभ सिंह :- [XX] श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी अपनी बात कहें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- आप दूसरा प्रश्न करिए न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उत्तर के अलावा जो चर्चा हुई है, मैं उसे विलोपित करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं अब तो कुछ नहीं बोलता । मैंने आखरी प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने पूछा नहीं था, आपने कहा था कि एक मिनट बता देता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक आखिरी प्रश्न ही पूछा है कि प्राधिकरण बनाये हैं या नहीं बनाये हैं, इससे हमको मतलब नहीं है । सरकार के पास 40 प्राधिकरण है । कोरोना के लिए विशेष शुल्क लगा है, कोरोना निकल गया, स्वास्थ्य विभाग को पैसा नहीं मिला । अभी भी कोरोना की दूसरी लहर आने के संकेत मिल रहे हैं । पांच राज्यों में छत्तीसगढ़ भी टॉप में है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उस राशि को कोरोना के लिए तत्काल खर्च करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को देकर आप निर्देशित करेंगे क्या ?

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम सवाल का अंतिम उत्तर दे देता हूं । जो राशि है, वह निर्धारित उद्देश्यों पर व्यय की जाएगी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में वैक्सीन लगना शुरू हो गया । यहां की सरकार का वैक्सीन के बारे में नजरिया ही स्पष्ट नहीं है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि शराब एक दूधारू गाय के रूप में इस सरकार के पास खड़ी हुई है । उसमें आप सेस लगाकर पैसा कमा रहे हैं या टैक्स ले रहे हैं या आमदनी बढ़ा रहे हैं, उसको खर्च करने की योजना बना रहे हैं । आप इस सदन में यह घोषणा करेंगे क्या कि जो वैक्सीन अगर दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया, जो आपने शुल्क लगाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बोल रहा हूं न । अध्यक्ष महोदय, उस टैक्स को वैक्सीन के लिए आप स्वास्थ्य विभाग को देंगे क्या ? मैं यही पूछ रहा हूं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के साथ आपसी परामर्श करके फिर आपको जानकारी देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने की सूचना जारी हुई है और जैसा जवाब में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग को कोई राशि नहीं दी गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विशेष प्रयोजन के लिए अतिरिक्त कर अधिरोपित किया गया, उसको दूसरे प्रयोजन के लिए नियमत: खर्च करने का अधिकार है क्या ? और दूसरा, यह जो फंड कलेक्शन हुआ, इसको स्वास्थ्य विभाग को नहीं देने के पीछे क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप सिर्फ उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने पूछा कि नियमत: खर्च करने का अधिकार है या नहीं है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुझाव नहीं, आपके नियम में है क्या, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें स्पेशिफिक जवाब दे रहा हूं। मैंने जो उत्तर दिया है, उसको आपने नहीं सुना । मैंने पहले ही कहा कि निर्धारित उद्देश्य के लिए ही व्यय किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अगला प्रश्न । लालजीत सिंह राठिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यय किया जाएगा, आपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर व्यय किया जाना है । ये दोनों में अंतर है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों तरह के जो उत्तर आया है । कोरोना की राशि का दुरूपयोग कर रहे हैं । वह पैसा कोरोना के लिए लिया गया है और सरकार उसको दूसरे मद में खर्च करना चाहती है । यह सीधे-सीधे जनता के ऊपर लगाए गए टैक्स पर डाका है । यदि दूसरे मद में उपयोग करते हैं तो यह सीधा-सीधा डाका है । हम इसका विरोध में.....। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय, एक मिनट ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- ओला प्रश्न पूछन दे ना, फेर तै ह बहिर्गमन करबे।

श्री धर्मजीत सिंह :- शराब के बॉटल के नाम पर लूट मचा रखे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- कोरोना मद के नाम से टैक्स लगाया गया है और उसको दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- जाबो, जाबो, थोड़ा हल्ला करके । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, यह सरकार कोरोना के नाम पर शराब का सहारा ले रहे हैं । सरकार का इतना बुरा हाल हो गया । कोरोना से बचने के लिए शराब का सहारा ले रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे बहिर्गमन करने को तैयार हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि इन दोनों मदों की राशि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर व्यय किया जाना है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को द्वितीय अनुपूरक में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सरकार का इतना बुरा हाल है कि शराब की बॉटलों का सहारा ले रही है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने प्रश्न क्रमांक 4 के सदस्य का नाम पुकार लिया है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, वही-वही बात बार-बार आ रही है और उत्तर इतना स्पष्ट आया है कि पूरे प्रश्न का उत्तर आ गया । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, दोनों मदों की राशि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर व्यय किया जाना है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर भी हो गया, प्रश्न भी हो गया ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं फिर से उत्तर दे रहा हूं, फिर से सुन लो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट, वे उत्तर दे रहे हैं । क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- स्वास्थ्य विभाग में पईसा कौड़ी के कोई कमी नई हे।

श्री नारायण चंदेल :- वो खुद कहात हे। (व्यवधन)

श्री मोहम्मद अकबर :- निर्धारित उद्देश्यों के लिये व्यय किया जायेगा और आगे यह कि अन्य प्रयोजन के कोई राशि अभी तक व्यय नहीं किया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, आपने अपने उत्तर में लिखा है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना में खर्च किया जायेगा। आपने उत्तर में लिखा है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- क्यों नहीं किया जायेगा (व्यवधान) मदों में खर्च की जा रही है ?

अध्यक्ष महोय :- अब हो गया ना। चलिये बैठिये। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सामान्य प्रशासन को दे दिया गया। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ जाये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह करते हैं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- जब जरूरत पड़ेगी तो खर्च करेंगे, इनके बोलने से करेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उत्तर में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना ...।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप मूल प्रश्नकर्ता नहीं हैं। आप उतना ही पूछिये जितना पूछना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं आया है। आप कितना पूछेंगे ? प्रश्न क्रमांक 04. (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- ये जैसा चाहे, वैसा ही उत्तर आये, ऐसा थोड़ी होगा। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रयोजन में इस राशि को खर्च की जा रही है, (व्यवधान) इसके विरोध में हम लोग बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11:26 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(माननीय सदस्य (श्री अजय चंद्राकर) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री अमरजीत भगत :- जाईये, जाईये। ये तो आप लोग पहले तय कर लिये हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्री प्लान बहिर्गमन था।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो है, तय है। करने दीजिए।

श्री शैलेश पांडे :- अध्यक्ष जी, कल जब आपने कहा था तो उन्होंने क्यों प्रश्न नहीं पूछा। कल आपके आसंदी का अपमान नहीं था। आज ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठो।

<u>जिला रायगढ़ अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण</u>

4. (*क्र. 331) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत पंचायत विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित है? लंबित होने के क्या कारण है? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) 08 प्रकरण लंबित है. रिक्त पदों की अनुपलब्धता, न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं होने से लंबित है. (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला रायगढ़ अंतर्गत पंचायत विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जायेगा ? क्या माननीय मंत्री जी जल्द ही अनुकंपा नियुक्ति करने का निर्देशित करेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले में कुल 8 प्रकरण लंबित हैं। इनमें से पांच ग्रामीण विकास विभाग और तीन प्रकरण पंचायत विभाग के हैं। श्रीमती ममता जायसवाल इनका प्रकरण 17.12.2019 में पद रिक्त न होने के स्थिति में कलेक्टर महोदय ने मूलत: इसे संलग्न कर भेजा था और तृतीय श्रेणी का पद रिक्त नहीं होने के कारण इनकी भर्ती नहीं हो पाई थी जो वर्ग चार के पद में जाना चाहेंगी, उसमें आवेदिका ने अपनी सहमति इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया है। इसी तरह से एकेश रात्रे जी का है, अनुकंपा नियुक्ति पर व्यस्क होने पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार अंशु कंवर जी का है, वर्ग 4 के पद को ग्रहण करने के लिए आवेदिका ने असहमति व्यक्त की है। योगेन्द्र कुमार यदु जी ने सामान्य प्रशासन विभाग से इसमें मार्गदर्शन मांगा है। श्री आदर्श मिश्रा जी का प्रकरण है, सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। क्योंकि वह वर्ग 3 का पद न होने पर वर्ग 4 का पद लेने में सहमत नहीं है। इसी तरह से पंचायत विभाग में भोजराम राठिया जी, व्यस्क होने पर कार्रवाई की जायेगी। श्री पुरूषोत्तम निषाद जी, कलेक्टर रायगढ़ को अनुकंपा नियुक्ति के लिये प्रेषित है। कु. राशि पाण्डे यह पात्रता की जांच प्रक्रियाधीन है। यह आठ प्रकरण है। जो लंबित प्रकरण हैं, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जायेगी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि आपके विभाग में जितने भी आवेदन आये हुए हैं, क्या उन विभागों में वह पद खाली नहीं है तो दूसरे विभाग में उनको नियुक्ति दी जायेगी ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी, प्रावधान यही है कि जिले में कलेक्टर इन संवर्ग के पदों की रिक्तता के आधार पर भर्ती देते हैं, अगर उस विभाग में वर्ग 3 का पद नहीं है तो दूसरे में देते हैं और जिले में वर्ग

3 का पद किसी में नहीं है तो वर्ग 4 का आप्सन देते हैं। जिसने सहमति दी है, उनका होता है, जिसने सहमति नहीं दी है, उनका नहीं होता है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

<u>विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम पंचायत खोड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति</u>

5. (*क्र. 91) श्री सौरभ सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले के अकलतरा, विकासखण्ड के ग्राम पंचायत खोड़ में वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है? नाम सहित जानकारी बताए? (ख) उपरोक्त हितग्राही को कब-कब प्रथम किस्त का भुगतान प्राप्त हुआ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कोई आवास स्वीकृत नहीं हुआ है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री सौरभ सिंह :- मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में खोड़ गांव है और माननीय मंत्री जी ने अपनी जानकारी में दिया है कि उसमें एक भी प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस गांव में क्यों एक भी प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं हुई है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का जो पैमाना था, वह एस.ई.सी.ई.सी. का सर्वेक्षण था, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण जो 2011-12 में हुआ था, उसमें जिनके नाम चिन्हांकित हुए, उसमें जिनके नाम आये, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास एक कमरे का घर है, जिनके पास दो कमरे का घर है, फिर आगे के qualification जो माननीय सदस्य जानते हैं, पक्के का है या नहीं, पक्के का दीवाल है या नहीं, पक्के की छत है या नहीं, इत्यादि। उसी आधार पर आंकलन किया जाता है। अगर उस आंकलन में नाम नहीं आया है तो उसका कारण वही है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, S.E.C.C. की सूची में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं था। मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि क्या S.E.C.C. की सूची में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं था, जिसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाये ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें ग्राम सभा का नहीं है। S.E.C.C. का पृथक से Census हो रहा था, उसके बाद पहली बार जातिगत Census कराने का प्रयास किया गया था, जिसके आकड़ें नहीं आये है। उसी में आर्थिक सामाजिक जातिगत Census हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट आई है, उसी आधार पर यह पूरी कार्यवाही हुई है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में क्या उस गांव के किसी भी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें बेहतर होगा कि आप प्रयास करें। आप स्वंय ग्राम खोड़ जाईये, वहां के लोगों को उत्साहित कीजिये, प्रोत्साहित कीजिये और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाईये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप आने वाले समय में वहां पर एक भी प्रधानमंत्री आवास बनायेंगे ? क्या आने वाले समय में उस गांव को प्राथमिकता देंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पहले सवाल दूसरा था। अब माननीय सदस्य ने आगे का पूछा है। ऐसे परिवार जो योजना में नियमत: पात्र हैं, परन्तु उनका नाम स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं है, 156 परिवार का नाम आवास + विकल्प के माध्यम से नाम अतिरिक्त सूची में जोड़ा गया है। भविष्य में नियमानुसार लाभान्वित होंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उल्टा कह रहे हैं। पहले बताया गया कि सर्वे सूची में किसी का भी नाम में नहीं है, इसलिए नहीं किया गया। तो मैं बैठ गया। अब बोल रहे हैं कि 156 लोगों का नाम है। तो यह क्या विसंगति है?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- नहीं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- शायद मैं अपनी बात नहीं रख पाया। S.E.C.C. की सूची में नहीं था। जब यह बात गई कि देश भर में S.E.C.C. की सूची में कई पात्र लोगोंके नाम, हो सकता है कि छूट गये हों, तो यह आवास+ के नाम दोबारा व्यवस्था प्रारंभ की गई है। तो आवास+ के नाम में 156 के नाम प्रस्तावित हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- टी.एस. सिंहदेव जी का बातचीत करने का स्टाइल, जेस्चर-पोश्चर सब लगातार बदल रहा है, कुछ नया स्टाइल आ रहा है। कुछ घटने वाला है क्या ? कारण क्या है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अभी तो त्रिपुरा जा रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, आप कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या ? देह मुद्रा, भाव मुद्रा सब बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है। उसका कारण क्या है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- कहीं कम सोया होऊंगा, पता नहीं रात को तैयारी चल रही होगी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय मा मोरो प्रश्न हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी-23 के बाद वहां का समीकरण तो नहीं बदल गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न एक व्यक्तिगत एक गांव, ग्राम-खोड़ का प्रश्न है। खोड़ आपके क्षेत्र में नहीं आता है। जब सार्वजनिक प्रश्न होगा तब आप पूछियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- इन्दिरा आवास वाला हे।

अध्यक्ष महोदय :- आपके गांव का नाम नहीं है। इस प्रश्न में श्री सौरभ सिंह के गांव का नाम है, खोड़ गांव का प्रश्न है। इससे आपका क्षेत्र बहुत दूर है। श्रीमती इंदू बंजारे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमितेष शुक्ल जी कुछ खाकर आये हैं, हाऊस में खाकर नहीं आया जाता है। पान खाकर आये हो।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न चलने दीजिये। इंदू बंजारे, प्रश्न पूछो न।

<u>पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़को का निर्माण</u>

6. (*क्र. 1412) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2020 से दिनांक 03-02-2021 तक प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कितने सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है या किया जा रहा है? सड़क का नाम, लागत राशि लंबाई सहित जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2020 से दिनांक 03-02-2021 तक की अवधि में 05 प्रधानमंत्री एवं 01 मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत निर्माण कार्य किया जा रहा है. जानकारी ††[5] संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया है, मुझे कुछ नहीं पूछना है।

<u>मनेन्द्रगढ़ विधानसभा अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पद</u>

7. (*क्र. 1139) डॉ. विनय जायसवालः क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कुल कितने पद रिक्त हैं? समस्त पदों की जानकारी महाविद्यालयवार प्रदान करे? (ख) उक्त संचालित महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर पदस्थ कर्मचारियों के नाम एवं उनकी पदस्थापना दिनांक की जानकारी महाविद्यालय वार प्रदान करें?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 03 शासकीय महाविद्यालय संचालित है, इन महाविद्यालयों में कुल 124 पद स्वीकृत एवं 71 पद रिक्त है. महाविद्यालयवार जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" पर †[6] संलग्न है.

---

††[5] परिशिष्ट "चार"

†[6] परिशिष्ट "पांच"

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मेरा प्रश्न था, उसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। पहला यह कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में जितने भी महाविद्यालय हैं, उसमें कुल कितने पद रिक्त हैं ? उत्तर आया है कि 124 पद स्वीकृत हैं और 71 पद रिक्त हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चिरमिरी का जो लाहिड़ी कालेज है, वह प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना कालेज है और उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। वहां 71 पद रिक्त हैं तो कृपा करके जो रिक्त पद हैं, उसमें जल्दी से भर्ती करें।

श्री उमेश पटेल :- जी, परीक्षाएं हो गई हैं। बहुत जल्दी नियुक्तियां भी हो जायेंगी।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था कि जो प्राचार्य हैं, वहां कब से पदस्थ हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- कहां के प्राचार्य ?

डॉ. विनय जायसवाल :- चिरमिरी का।

अध्यक्ष महोदय :- तो बताईये न, कि चिरमिरी के प्राचार्य।

डॉ. विनय जायसवाल :- चिरमिरी महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं, वहां कब से पदस्थ है ? इसमें उत्तर आया है कि 2014 से पदस्थ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि जो प्रभारी प्राचार्य चिरमिरी महाविद्यालय में पदस्थ है, वह 2010 से पदस्थ है और उनका सन् 2012 में निलंबन हुआ था। उनका निलंबन इस कारण से हुआ था क्योंकि लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु जो केन्द्र था, वहां की जो प्रभारी प्राचार्य मैडम हैं उनको पता ही नहीं था और वहां छात्र परीक्षा देने के लिए आ गये थे और वह अपने घर में सोई हुई थीं तो इस कारण से उनका निलंबन हुआ था। दूसरी बात वर्ष 2015 में लाईब्रेरी में 2 लाख की किताब का 22 लाख का बिल बनाकर भारी भ्रष्टाचार हुआ। किताब का जो भौतिक सत्यापन है और जो जांच है, आर.टी.आई. की जो रिपोर्ट है वह मेरे पास है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार की स्थानांतरण नीति क्या है और वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2020 तक जबकि एक बार निलंबन हो गया है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो ऐसी प्राचार्य को तत्काल निलंबित करके आगे उसकी पूरी जांच करायेंगे क्या?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने श्रीमती तिवारी जी के द्वारा जो गड़बड़ी है उसके बारे में प्रश्न किया है। यह बात सही है कि वर्ष 2012 में उनके निलंबन की प्रक्रिया की गई थी। इन्होंने कोर्ट में प्रकरण लगाया था और कोर्ट का आदेश था कि no coercive step shall be taken against the petitioner. और इन्हें यह कहा गया था कि ये विभाग में अपील कर सकते हैं। विभाग में अपील किया गया, विभाग ने उनका ट्रांसफर जनकपुर कर दिया। जनकपुर करने के बाद उन्होंने फिर से प्रकरण कोर्ट में लगाया और कोर्ट ने कहा कि हमारा जो पिछला ऑर्डर है कि no coercive action shall be taken against the petitioner वह continue है तो इसलिए उनकी जो जनकपुर की पदस्थापना थी उसको

कैन्सल करके वापस चिरमिरी में वर्ष 2014 में फिर से पदस्थापना की गई। इनके against में आप जो शिकायत बता रहे हैं, ये शिकायतें विभाग को भी प्राप्त हैं और वर्ष 2020 से दो सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जिसमें डॉ. एस.सी.गुप्ता, प्रभारी प्राचार्य, बैकुंठपुर और डॉ. अनंदा गुप्ता, प्राचार्य मनेन्द्रगढ़ इन दोनों की टीम बनाई गई है जिनके द्वारा जांच की जा रही है और अभी ये प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके ऊपर जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जायेगी।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है कि कोर्ट ने जो भी दिशा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का यह भी दिशा निर्देश था कि अगर किसी अधिकारी का निलंबित करते हैं तो उसी संस्था में उसकी पदस्थापना नहीं होगी। वह एक बार निलंबित भी हो चुकी हैं और उनके ऊपर बहुत सारी विभागीय जांच भी चल रही है तो आखिर में जो प्राचार्य महोदया वहां पोस्टेट हैं उनका ऐसा क्या है कि वर्ष 2010 से लेकर अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? आप कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है आप उनको निलंबित करके उदाहरण पेश करिये और जांच करवाईये अन्यथा वहां प्राचार्य रहेंगी तो जांच को प्रभावित करेंगी?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायालय का जो आदेश है, हमारे लिए उसका पालन करना अनिवार्य है तो उनके आदेश का पालन किया गया है।

श्री गुलाब कमरो :- अध्यक्ष महोदय, मैं भी कोरिया जिले से आता हूं। हम दोनों एम.एल.ए. ने लगातार शिकायत की है, कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैय्या, न्यायालय का आदेश है कि ट्रांसफर नहीं करना है, सस्पेंड करने के लिए भी न्यायालय का आदेश है क्या? प्रथम दृष्टया कोई आरोप लगे, निलंबित कर दो, उसमें न्यायालय थोड़ी रोका है। न्यायालय का ट्रांसफर में बैन है ना। भ्रष्टाचार में जांच करके सस्पेंड करने में न्यायालय का स्टे थोड़ी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने फिर से वही प्रश्न किया है, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हालांकि ये भ्रष्टाचार का आंकड़ा बहुत छोटा है, इतना यहां चलायमान है। जब बड़े-बड़े का सुनवाई नहीं हो रहा है तो ये 10-5 लाख का काहे को आप परेशान हो रहे हो।

श्री गुलाब कमरो :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम दोनों विधायकों ने लगातार उनकी शिकायत की है, हम लोगों ने कई बार शिकायत की है कि लगातार यहां पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है और उनके ऊपर कार्रवाई हो क्योंकि आपने देखा होगा कि कोर्ट के मामले लगातार लंबित हो जाते हैं। अगर वह वहीं रहेंगी और जांच कमेटी बनी है तो निश्चित रूप से वह प्रभावित होगा। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां प्राचार्य को लेकर बहुत रोष है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या कार्रवाई होनी चाहिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको निलंबित करके जांच करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- गुलाब सिंह जी क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए?

श्री गुलाब कमरो :- अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से निलंबित हों। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- फिर वही तत्काल ।

श्री गुलाब कमरो :- अध्यक्ष महोदय, उस कालेज को पूरा राजनीति का अखाड़ा बनाकर रखी हैं, पढ़ाई में कोई रूचि नहीं है, राजनीति करने में रूचि है इसलिए आपके से चाहूंगा कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मंत्री जी कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे उस कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बनाकर रखे हैं। कोई पढ़ाई में रूचि नहीं है राजनीति करने में रूचि है इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। यह भाभी जी का लोकसभा क्षेत्र है। यह मामला गंभीर है, उसमें तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो वास्तव में गंभीर हो गया। यह मामला अति गंभीर हो गया, इसमें कार्यवाही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- कोई नहीं।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसमें अजय भाई की बात का समर्थन करता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो मसला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। उधर और इधर से भी समर्थन आ गया।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम दोनों एम.एल.ए. हैं और उस क्षेत्र के हमारे आप नेता हैं और वह हमारे सांसद हैं। वह हम तीनों का क्षेत्र है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल उस अधिकारी को निलंबित करायें।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका निलंबन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों एम.एल.ए. हैं, यह उनको पता है क्या ?(हंसी)
क्योंकि जिसका पी.एस.सी. की परीक्षा हो रही हो, घर में सोती है उसको यह पता है कि आप दोनों एम.एल.ए. हैं ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको नहीं पता है तभी तो यह सब हो रहा है।

श्री उमेश पटेल :- अब थोड़ा जवाब सुनिये। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया, उन्हें निलंबन कर दिया गया था। कोर्ट, माननीय न्यायालय ने कहा कि आप इनके विरूद्ध में कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए उनकी निलंबन वापसी की गई। उसके बाद जब इनका ट्रांसफर जनकपुर कर दिया गया, तब भी कोर्ट ने यह आदेश किया कि आप इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें वापस चिरमिरी रखा गया। अभी मैं माननीय विधायकों की बात से सहमत हूँ, उन्होंने शिकायत की और कई, अन्य लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम इसके लिए एक टीम गठित कर चुके हैं इस पर जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसमें आवश्यक रूप से जो जांच रिपोर्ट के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वह उस पद में रहेगी तो वह जांच प्रभावित करेगी। आप उनको अन्यत्र स्थानांतरित कर दीजिए, फिर जांच कराईये।

श्री अमितेश शुक्ल :- भई कोर्ट का मामला है। हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी इसी एक विषय पर मान लीजिए उस प्रिंसपल को स्टे मिल गया तो शासन पूरी दूसरी जांच करके, कोई नया विषय भी तो खोज सकती है यदि शासन चाहे तो रास्ता निकाल सकती है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोर्ट का आदेश है कि अगर किसी को भी निलंबन करते हैं सिविल सेवा आचरण नियम में स्पष्ट है, आप देखेंगे इसका उल्लेख है कि किसी का निलंबन होता है तो निलंबन स्थानांतर वहां पर बहाली नहीं की जाती। दूसरा अगर न्यायालय का मामला है तो आप वहां ट्रांसफर मत करिये। जब तक उसकी जांच नहीं हो पा रही है आप उसे अन्यत्र जिले में ही दूसरी जगह संलग्न कर दीजिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि..।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय पर जांच हो रही है और उस विषय में जांच होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्यवाही होगी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- कहां है ? किस पर जा रहे हैं आप किस प्रश्न में पूछना चाहते हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप किस प्रश्न में पूछना चाहते हैं ? कभी मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में था।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उमेश पटेल जी वाले प्रश्न में पूछना चाहता हूँ। मैं इस कारण बोल रहा हूँ ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो युवाओं के बीच में यह कहां ?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्राचार्य का मामला है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि स्टे को भी केंसिल करने के लिए अपील की जाती है तो अपील भी कर सकते हैं तो आप अपील करना चाहेंगे क्या ? मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला कब का था। वर्ष 2012 का मामला था, उस समय किसकी सरकार थी। उस समय आप लोगों की सरकार थी। आप प्रश्न कर रहे हैं। वर्ष 2014 में जब कोर्ट का आदेश आया तो आपने अपील क्यों नहीं की ? मैं यह सब कहना नहीं चाहता हूँ जो उत्तर मुझे देना था जो सरकार के ऊपर जो शिकायतें आयीं हैं उसके ऊपर जांच चल रही है और जांच के आधार पर कार्यवाही होगी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

<u>प्रदेश में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का संचालन</u>

8. (*क्र. 521) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना कब से लागू की गई है? इसकी सुविधा किन-किन अस्पतालों में उपलब्ध होगी? (ख) क्या कंडिका "क" की योजना में स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत योजना के कार्ड धारियों को निजी अस्पतालों में लाभ मिलेगा? (ग) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कंडिका "क" की योजना लागू होने के दिनांक से 30-1-2021 तक कितने लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) प्रदेश में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना दिनांक 01-01-2020 से लागू की गई है. अस्पतालों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) स्मार्ट कार्ड योजना दिनांक 15-09-2018 से केन्द्र शासन द्वारा बंद कर दी गई है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के कार्ड धारकों को पंजीकृत निजी अस्पतालों में उपचार का लाभ प्राप्त हो रहा है. (ग) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में योजना लागू होने के दिनांक से 30-01-2021 तक 3,287 मरीजों को उपचार सुविधा प्रदान की जा चुकी है.

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के संचालन के बारे में जानकारी चाहती थी। उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय जी ने विस्तार से जानकारी मुझे प्रदान कर दी है और उनके उत्तर से संतुष्ट हूँ।

प्रदेश में जीएसटी चोरी के प्रकरणों पर कार्यवाही

9. (*क्र. 573) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जीएसटी चोरी के कितने प्रकरण कब-कब प्राप्त हुए है? प्राप्त प्रकरणों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : प्रदेश में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जीएसटी चोरी के कुल 102 प्रकरण प्राप्त हुए है. प्राप्त प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कर ब्याज एवं शास्ति के रूप में कुल रु. 249.02 लाख जमा करायी गयी है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय पंचायत मंत्री जी से प्रश्न किया था कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जीएसटी चोरी के कितने प्रकरण आएं हैं उनके जवाब में यह आया है कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जीएसटी चोरी के कुल 102 प्रकरण प्राप्त हुए हैं प्राप्त प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कर ब्याज एवं शास्ति के रूप में कुल रु. 249.02 लाख जमा करायी गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 102 प्रकरण में आपने 41 प्रकरणों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की है लेकिन शेष 61 प्रकरणों को नस्तीबद्ध कर दिया है या कार्यवाही लंबित है। यह गंभीर विषय है और जी.एस.टी. चोरी के प्रकरण में राशि जमा कराई गई है वह बहुत छोटी-छोटी राशि हैं। यदि हम 4-5 प्रकरण छोड़ दें तो बाकी में 10 हजार, 20 हजार की राशि जमा कराई गई है। इससे लगता है कि 102 प्रकरणों में शेष 61 प्रकरणों में लीपापोती की गई है और यह 10 प्रकरणों में कार्यवाही ही नहीं हुई है, एक साल से लंबित है और 61 प्रकरणों को जीरों में छोड़ा गया है क्या उसमें आप जांच करायेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी ऐसा प्रकरण हो, चाहे इन प्रकरणों में से या इनके अतिरिक्त भी जिनकी माननीय सदस्य या सदन के कोई भी सदस्य, कोई भी नागरिक जानकारी देंगे, उसमें अवश्य कार्यवाही होगी। इनमें 37 प्रकरणों में जांच उपरांत शिकायत सही नहीं पाई। उस संबंध में अगर कोई जानकारी होगी, अगर माननीय सदस्य उपलब्ध करायेंगे तो हम पुन: भी जांच करा लेंगे। लेकिन जांच की प्रक्रिया के बाद ये स्थिति आई है, जो जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी, अवश्य कार्यवाही होगी।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है। मैंने कहा कि 10 प्रकरणों में 1 साल से कार्यवाही लंबित है, उसमें जांच आगे बढ़ी भी नहीं है। 41 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें उनको बहुत राशि का जुर्माना लगाया गया है। मुझे लगता है कि इन मामलों में थोड़ी सी लापरवाही हो हुई है। मैं चाहता हूं कि क्या एक बार वह सारे प्रकरणों की पुन: जांच करायेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी ऐसे तथ्य हों, जिनके आधार पर पुन: जांच करनी चाहिए या पुन: करारोपण की कार्यवाही होनी चाहिए तो माननीय सदस्य जानकारी उपलब्ध करा देंगे, उसमें अवश्य देखेंगे।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- धन्यवाद।

<u>कोरिया जिले में रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र/कार्यालय निर्माण की स्वीकृति</u>

10. (*क्र. 48) श्री गुलाब कमरो : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोरिया जिले में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र का कार्यालय/भवन निर्माण की स्वीकृति शासन से हुई है? यदि स्वीकृत नहीं हुई है तो कब स्वीकृत होगी?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : जी नहीं. निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है कि कोरिया जिले में रोजगार कार्यालय में आज दिनांक तक भवन नहीं है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा वह भवन कब तक बन जायेगा ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कोरिया जिले में यह भवन नहीं है। इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और निश्चित समय सीमा बताना अभी मुश्किल है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि यह भवन जल्दी बन जाये। आप देख लीजिए कि छततीसगढ राज्य बने हुए कितने साल हो गये हैं पर आज दिनांक तक भवन नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि निश्चित समय बताना संभव नहीं होगा, 20 साल तो वैसे ही हो गया है। वह लंबा खीचेंगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वह भवन जल्दी बन जाये।

अध्यक्ष महोदय :- वहां जल्दी से जल्दी बनवाईये।

श्री उमेश पटेल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल जी। आप प्रश्न पूछेंगे या संतुष्ट हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संतुष्ट नहीं हैं। पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप अजय चन्द्राकर जी जैसे एक बार बाहर भी जा सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप माननीय टी.एस.सिंहदेव जी से सीखो, उनको कैसे जेस्टर-पोस्चर बदल रहा है, हाव-भाव, भाव भंगिमा कैसे बदल रही है। आप भी सीखो। उनकी तीन महीने बाद की तैयारी जोरदार है।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं तो बाहर जाने का बस आपसे तरीका सीख रहा हूं।

शासकीय महाविद्यालयों को आवंटित राशि

11. (*क्र. 1362) श्री नारायण चंदेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं? 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी 2021 तक किन-किन महाविद्यालयों में कितनी-कितनी राशि बजट के रूप में कब-कब किस-किस मद से प्राप्त हुई है? महाविद्यालयवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्न "क" के अनुसार उक्त महाविद्यालयों में राशि का उपयोग किस-किस कार्य के लिये कब-कब किसकी अनुशंसा से किया गया है? निर्माण एजेंसी कौन है? (ग) प्रश्न "ख" के अनुसार क्या उक्त महाविद्यालयों में राशि का दुरूपयोग व बाजार मूल्य से अधिक राशि से सामग्री खरीदी की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है? जिले व महाविद्यालय वार जानकारी देवें? (घ) क्या सामग्री खरीदी में शासन के क्रय नियमों का पालन किया गया है? क्या गुणवत्ता विहिन सामग्री की खरीदी की गई है? यदि हां तो इस हेतु जिम्मेदार कौन है, दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है? जिले व महाविद्यालयवार जानकारी देवें.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 16 शासकीय महाविद्यालय संचालित है. प्रश्नाधीन अवधि में महाविद्यालयों को आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट पर †[7] संलग्नहै. (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार क्रय संबंधी कार्यों को छोड़कर शेष राशि का उपयोग मदवार आवंटित प्रयोजन हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा एवं क्रय संबंधी कार्यों की राशि क्रय समिति की अनुशंसा से व्यय की गई है. निर्माण मद में कोई आवंटन जारी नहीं होने के कारण निर्माण एजेंसी की जानकारी निरंक है. (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित शासकीय महाविद्यालयों में से शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा, एवं शासकीय महाविद्यालय, खरौद के संबंध में खरीदी की शिकायत प्राप्त हुई है, जांच प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित महाविद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायत जांचाधीन है। जांच प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने परिशिष्ट में उत्तर दिया है। एक तो पूरे कोरोनाकाल में जब महाविद्यालय बंद था, उस समय पूरे जांजगीर-चांपा जिले के 16 महाविद्यालयों में खरीदी हुई है। जनभागीदारी समिति के एप्रूव्हल से खरीदी होती है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनभागीदारी समिति को क्या अधिकार है, वह खरीदी करने के लिए कितने की राशि का एप्रूव्हल कर सकती है और प्राचार्य को व्यक्तिगत रूप से कितना अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय :- क्या सामान खरीदा गया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है।

---

[7] परिशिष्ट "छः"

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को दो प्राचार्यों के अगेन्स्ट में शिकायतें मिलीं थीं और उन दोनों के ऊपर जांच टीम बन गई है और जांच होने के बाद उनमें आवश्यक कार्यवाही होगी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर घूमा दिये हैं। चौबे जी के निर्देश पर, इशारा पर वह घूमा दिये।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न अगर घुमावदार है तो उत्तर भी घुमावदार ही आएगा ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि जनभागीदारी समिति को कितनी खरीदी करने का अधिकार है ? दूसरा प्राचार्य को कितनी खरीदी करने का अधिकार है और तीसरा आपने जो कहा किस अवधि में क्या-क्या खरीदी की गई है जबकि पढ़ाई और कॉलेज पूरी तरीके से बंद था ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनभागीदारी समिति और प्राचार्य को एक-बार में 50 हजार तक की खरीदी करने का अधिकार है ।

श्री नारायण चंदेल :- यह तो सम्मिलित उत्तर है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने परिशिष्ट में स्वीकार किया है कि शासकीय महाविद्यालय मालखरौदा, शासकीय महाविद्यालय खरौद इन दोनों में खरीदी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। यह माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है । उक्त महाविद्यालयों में प्राप्त शिकायत जांचाधीन है तो यह जांच कब से जारी है और इसकी जांच की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी ? और अन्य महाविद्यालयों में भी प्रक्रिया के बाहर जाकर जो खरीदी की गई है क्या उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे, क्या उसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्राचार्य के अगेंस्ट में हमको शिकायत प्राप्त हुई है । बिलाईगढ़ कॉलेज के श्री सुनील चंद्राकर हैं, इनको खरौद का प्रभार दिया गया है, ये प्रभारी थे ।

श्री नारायण चंदेल :- बिलाईगढ़ के प्राचार्य हैं या प्रभारी हैं ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलाईगढ़ के प्राचार्य हैं लेकिन उनको खरौद का प्रभार भी दिया गया है तो इनकी जब शिकायत आयी तो उसमें उल्लेख था कि खरौद में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है और इसके ऊपर जांच टीम बन चुकी है, जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है । उनके द्वारा लिखित में उत्तर अभी अप्राप्त है, जैसे ही प्राप्त होगा उसके आगे उस पर कार्यवाही होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी, श्री नारायण चंदेल जी आप बैठ जाईए ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की भी तो कोई समय-सीमा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अल्प राशि का प्रश्न है इसलिए बैठ जाइए, इनको पूछने दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, ठीक है । लेकिन जल्दी से जल्दी जांच कराकर उसके ऊपर कार्यवाही कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री शिवरतन शर्मा ।

<u>प्रदेश के महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद तथा ऑनलाईन पढ़ाई की व्यवस्था</u>

12. (*क्र. 1368) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त है? वर्गवार, जिलेवार बताने एवं 2020-21 में कुल कितने छात्रों ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लिया है? (ख) प्रदेश में सत्र 2019-20 में अतिथि शिक्षक के कितने पदों पर नियुक्ति की गई थी व 2020-21 में कितने पदों पर नियुक्ति की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत व रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर ††[8] संलग्न है. पदों की स्वीकृति वर्गवार नहीं होती है, अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. 2020-21 में कुल 273382 छात्रों में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लिया है. (ख) शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती वरन् अतिथि व्याख्याता नियुक्त किये जाते हैं. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में प्राध्यापक के शत-प्रतिशत पद रिक्त हैं, जितने सेटअप में स्वीकृत हैं, वे शत-प्रतिशत पद रिक्त हैं । सहायक प्राध्यापक के लगभग 3972 पद स्वीकृत हैं उसमें 777 पद रिक्त हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्राध्यापक के शत-प्रतिशत रिक्त होना वास्तव में चिंता का विषय है कि महाविद्यालय में एक भी प्राध्यापक नहीं है तो क्या आप इसकी भर्ती की कोई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, कब तक करेंगे ? और आप यह बता दीजिए कि सहायक प्राध्यापक के जो पद रिक्त हैं उसको कब तक भरने की व्यवस्था करेंगे ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपने चिंता करने में ही बहुत देर कर दी । 15 साल गुजरने के बाद आप थोड़ा-थोड़ा चिंतित होना शुरू हुए हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आदरणीय, यह कुर्सी का प्रभाव है । इधर वाले चिंता करते हैं और उधर वाले वही जवाब देते हैं ।

---

[8] परिशिष्ट "सात"

श्री शिवरतन शर्मा :- हम तो आपके जनघोषणा पत्र से इतने प्रभावित थे कि हमको लगता था कि आप 2 साल में सब कर लेंगे क्योंकि प्रथम अभिभाषण में सारा विषय आया था इसीलिये हम आपसे पूछ रहे हैं कि कब तक भरने वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, प्राध्यापक के कब से पद रिक्त हैं, कितने रिक्त हैं यह बताईये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के बारे में प्रश्न किया । सहायक प्राध्यापक की जो प्रक्रिया है वह पी.एस.सी. में कंपलीट होने की स्थिति में है, उसमें हमको बहुत जल्दी लिस्ट मिल जायेगी और प्राध्यापक के भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है, हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं और वह भी बहुत जल्द करेंगे ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय शिवरतन जी, भाजपा का घोषणा पत्र भी देखिएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले अभिभाषण में माननीय राज्यपाल से सहायक प्राध्यापकों की भर्ती का उल्लेख कराया गया था । माननीय राज्यपाल का तीसरा अभिभाषण हो गया, अभी तक वह प्रक्रिया में ही है तो क्या यह प्रक्रिया पूरी करने की कोई समय-सीमा है, एक ? दूसरा आप यह बता दीजिये कि आपका जो प्राध्यापक की भर्ती के पद रिक्त हैं इसके लिये आप क्या करने वाले हैं ?

श्री शैलेश पाण्डे :- पहले सहायक प्राध्यापक बनायेंगे फिर प्राध्यापक बनायेंगे । अभी प्राध्यापक ही नहीं हैं, सहायक प्राध्यापक नहीं हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो सहायक प्राध्यापक हैं, पहले उन लोगों को प्रमोट तो कर सकते हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- धीरे-धीरे प्रमोशन होगा न, एकदम से कहां से आसमान से थोड़ी न आएंगे । वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने भी तो आदिवासियों को जर्सी गाय देने के लिये घोषणा पत्र में लिखा था, 15 साल में वह पूरा नहीं हुआ । अभी तो हमारी सरकार को 2 साल ही हुए हैं न ।

श्री अमितेश शुक्ल :- हमारे पास आपका घोषणा पत्र रखा हुआ है, जो आपकी घोषणाएं थीं ।

श्री उमेश पटेल :- देखिए, स्टेटस तो माननीय शिवरतन शर्मा जी को भी पता है । पी.एस.सी. ने परीक्षा कर ली है, इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है । अब यदि इसमें समय सीमा पूछेंगे तो न तो आप बता पाएंगे और न ही मैं बता पाउंगा । यह आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं । प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं, यह वर्गवार पूछा गया था । मंत्री जी ने कहा है कि पदों की स्वीकृति वर्गवार नहीं होती । हम लोग जो अतिथि व्याख्याता भर्ती करते हैं उनकी वेकेंसी हम वर्गवार ही निकालते हैं कि किस महाविद्यालय में किस वर्ग के व्याख्याता की

आवश्यकता है । आपने जो उत्तर दिया है कि वर्गवार पदों की स्वीकृति नहीं होती । अरे भाई, सेटअप जो स्वीकृत होता है, वह तो वर्गवार ही होता है । विषयवार भी होता है । दूसरा विषय, आपने सहायक प्राध्यापकों के विषय में कहा कि मामला पी.एस.सी. में लंबित है । पूरे समाचार पत्रों में पी.एस.सी. में सहायक प्राध्यापक की भर्ती में जो विवाद की स्थिति बनी, कुछ ऐसे लोगों को इंटरव्यू में बुला लिया गया जो परीक्षा देने ही नहीं गए थे ।

अध्यक्ष महोदय :- यह कोई प्रश्न हुआ क्या ? शर्मा जी, आप प्रश्न को बहुत लम्बा कर देते हैं । प्रश्न का आशय ही बदल जाता है । ज्यादा लम्बा मत करिये ना ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- वर्गवार अलग होता है और विषयवार अलग होता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे भई, सहायक प्राध्यापक भर्ती में जो विवाद हो रहा है वह विषय तो आएगा ।

श्री शैलेश पांडे :- प्रश्न को राजनीतिक बना दिया गया है । (व्यवधान) एकेडेमिक रहने दीजिए, राजनीतिक मत बनाइए ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूलत: बृजमोहन अग्रवाल जी का है । वे आज उपस्थित नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं उसके लिए अधिकृत हूं ।

उमेश पटेल :- वे उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने इस प्रश्न को आपके ऊपर डाला है। प्रश्न को आप पढ़िये, उनका उद्देश्य था कि अतिथि शिक्षक या अतिथि व्याख्याता हैं, उनके विषय में प्रश्न था । आप इस प्रश्न को कहां से कहां ले जा रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सुनिये, इस प्रश्न में उन्होंने सहायक प्राध्यापक के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने रिक्त हैं यह पूछा है । प्राध्यापक के कितने पद रिक्त हैं, यह भी पूछा है । इसमें सारे विषय हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- रहा तो, मोरो सुन लो । तुम्हर ला तो सुन लिस, मोरो ला तो सुनन देवव । मोर ये कहना है कि जब भी प्रोफेसर के भर्ती होवय, तो बड़े-बड़े नगर मा तो बहुत प्रोफेसर मिलथे, गांव मा नइ मिलय । जैसे खेती बाड़ी मा अंतिम छोर ला पलोत आथन, वइसने टाइप के गांव के महाविद्यालय मा पहिली भर्ती करिहौ, बाद में शहर, नगर में करिहौ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न बता ना गा ।

श्री रामकुमार यादव :- अइसने मोर सुझाव हे मंत्री जी ला ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न बता ना गा ।

श्री रामकुमार यादव :- मोर यही प्रश्न हे कि गांव के देहात के महाविद्यालय मा पहिली प्राध्यापक के भर्ती होना चाहिए क्योंकि उहां जादा कमी हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह प्राध्यापक के पद सीधी भर्ती के हैं या प्रमोशन के हैं । क्योंकि आपने कहा है कि प्राध्यापक भी पी.एस.सी. में हैं । प्राध्यापक के पद यदि प्रमोशन के हैं तो वे कब तक प्रमोट हो जाएंगे और यदि सीधी भर्ती के हैं तो कितने प्राध्यापकों की भर्ती का बिजनेस आपने पी.एस.सी. को भेज है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब ये बिजनेस शब्द कहां से आ गया भाई ?

श्री उमेश पटेल :- प्राध्यापक के जो पद हैं उनमें से 25 प्रतिशत पद प्रमोशन के होते हैं और 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के होते हैं । सीधी भर्ती की प्रक्रिया का काम चालू कर दिया है, वह आगे बढ़ चुका है, उस पर कार्यवाही चल रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रमोशन में क्या समस्या है । यदि 25 प्रतिशत प्रमोशन के हैं तो प्रमोशन के लिए पी.एस.सी. जाएंगे ही । यदि नहीं भी जाएंगे तो प्रमोशन की कार्यवाही कहां और क्यों लंबित है ।

श्री उमेश पटेल :- जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वह भी हमने प्रारंभ कर दिया है उसकी प्रक्रिया भी जल्द पूर्ण कर लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबके लिए प्रक्रिया है ।

प्रश्न संख्या : 13 **xx xx**

<u>जिला धमतरी में शराब विक्रय की राशि बैंक में जमा करने में अनियमितता</u>

14. (*क्र. 1340) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शराब दुकान से विक्रय राशि किसके द्वारा विक्रय के बाद किसके बैंक खाते में जमा करने का नियम है एवं सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? क्या विक्रय राशि समयावधि में जमा नहीं करने की जानकारी प्राप्त हुई है यदि हां, तो कब प्राप्त हुई? (ख)क्या जिला धमतरी में शराब विक्रय से प्राप्त राशि को बैंक में जमा करने में हेरफेर की गड़बड़ी का मामला सामने आया है? यदि हां, तो जानकारी बतावें? क्या उक्त गड़बड़ी की जांच हेतु टीम गठित की गई है? यदि हा, तो किस स्तर की एवं उस टीम में कौन-कौन है? जांच टीम को रिपार्ट कितने दिनों में देनी थी, क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो, जांच में अनियमितता पाई गई हैं? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित शराब दुकान से विक्रय राशि संबंधित शराब दुकान में नियोजित मुख्य विक्रयकर्त्ता/विक्रयकर्त्ता द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुबंधित नगद संग्रहण एजेसी के संग्रहणकर्त्ता को सौंपकर पावती लिये जाने का प्रावधान है. नगर संग्रहणकर्त्ता एजेंसी द्वारा

उपरोक्त प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के बैंक खाता में जमा किये जाने का प्रावधान है, जिसका सत्यापन मदिरा दुकानों के ऑडिट हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुबंधित अंकेक्षक (सी.ए. कंपनी) द्वारा नियमित ऑडिट में किया जाता है. विक्रय राशि समयावधि में जमा नहीं करने की जानकारी दिनांक 09-11-2020 को प्राप्त हुई है. (ख) हॉ, जिला धमतरी के देशी मदिरा दुकान मगरलोड एवं देशी मदिरा दुकान धमतरी मेन में क्रमशः रुपये 3,54,320/- एवं रुपये 3,89,690/- शराब विक्रय से प्राप्त राशि को बैंक में जमा करने में हेरफेर की गड़बड़ी का मामला सामने आया है. हेरफेर की गई राशि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वसूली जा चुकी है. विक्रय राशि में हेरफेर की जांच हेतु गठित जॉच टीम की जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. जांच टीम द्वारा पाई गई अनियमितता पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है । इसमें माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि विक्रय राशि में जो हेरफेर की जांच हुई । आपने टीम गठित की और अधिकारी को निलंबित किया । इसके अलावा और कोई जांच हुई क्या । इस अधिकारी के संबंध में और किसी दूसरे विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई क्या ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, हेरफेर की जानकारी को 2020 के ऑडिट में पकड़ा गया । 11 फरवरी 2021 को हेरफेर के संबंध में 7 लाख 44 हजार की वसूली कर ली गई । धमतरी के जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जायसवाल को निलंबित किया गया । प्रभारी लेखापाल हर्षेन्द्र साहू को कलेक्टर ने निलंबित किया, वहां के इंस्पेक्टर श्री वैभव मित्तल को मुख्यालय में अटैच किया।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी, आपने निलंबित कर दिया। इस बात को आपने स्वीकारा है । इसके अलावा और कोई जांच टीम बनी थी क्या ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12:00 बजे

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए बाइट लेने हेतु सेन्द्रल हॉल स्थित हट में व्यवस्था की गई थी, किन्तु आज दिनांक 03 मार्च, 2021 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिधिनियों के लिए समिति कक्ष क्रमांक 01 में व्यवस्था की गई है।

समय :
12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं।

(2) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020) पटल पर रखता हूं।

(3) पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की

अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) पटल पर रखता हूं।

समय :

12:01 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने एक स्थगन दिया हुआ है। पूरे प्रदेश में अवैध रेत खनन का काम चल रहा है। पूरे प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हैं। जो इनका विरोध करता है, उनके साथ मार-पीट होती है और मार-पीट सामान्य व्यक्तियों के प्रति ही नहीं, प्रभावशाली जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी मार-पीट होती है और अगर पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध ढुलाई हो रही है, जो रेत 5 हजार, 7 हजार ट्रक में मिलती थी, आज मार्केट में सामान्य व्यक्ति को वह रेत 30 हजार, 40 हजार ट्रक में मिल रही है। ऐसे रेत माफियाओं को प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है और संरक्षण के चलते अधिकारी चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय पर हमने स्थगन दिया है और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुनियोजित ढंग से सरकार और प्रशासन के संरक्षण में चाहे वह महानदी हो, हसदो हो, अरपा हो, पैरी हो, खारून हो, शिवनाथ हो, सब जगह सरकार के संरक्षण में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेत का खनन किया जा रहा है और आश्यचर्यजनक बात यह है कि रात को सभी नदियों में सर्च लाइट लगाकर हाइवा व डंफर के द्वारा सैकड़ों की संख्या में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आम आदमी को कई गुना ज्यादा रेट पर रेत की खरीदी करनी पड़ रही है और माफियाओं द्वारा दूसरे प्रदेशों में उत्तरप्रदेश में रेत भेजा जा रहा है। 50 हजार, 60 हजार रूपये डंफर में बेचा जा रहा है और इसलिए यह रेत का मामला महत्वपूर्ण मामला है। इस पर हमने स्थगन दिया है। कृपया आपसे आग्रह है कि इस स्थगन पर चर्चा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अकबर जी बैठे हैं। रेत माफिया इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि तोलोम नाम की जगह ऐसी है, जहां शिवनाथ नदी की दिशा ही बदल गयी है। एन.जी.टी. के किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। सरकार रेत माफियाओं को निर्देशित कर रही है या रेत माफिया सरकार को निर्देशित कर रहे हैं। कोई पुलिस विभाग, कोई दूसरे विभाग का नदी की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं है। तहसीदार एस.डी.एम. को दौड़ा देते हैं।

जनप्रतिनिधियों को दौड़ा देते हैं। वे कहने भर को मुखौटे में छत्तीसगढ़ के हैं। कहां-कहां दिल्ली, बंबई, भोपाल पूरा दारू माफिया उसी में घूस गया है। जितने दारू वाले लोग हैं, वे रेत खोद रहे हैं और किसी की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। आज रेत का भाव आसमान छू रहा है। एन.जी.टी. के किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है और सरकारी संरक्षण में जैसा नारायण जी ने कहा कि उन्हें सर्च लाइट की सुविधा दी जा रही है। वहां पर शराब पीने की सुविधा दी जा रही है। वहां पर ढाबा खोलकर दिया जा रहा है और रात भर ये घटनाएं चल रही हैं और ओव्हर लोड में पूरे प्रदेश का सड़क खराब हो रहा है। एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। हमने इसमें स्थगन दिया है। यह प्रदेश की सबसे ज्वलंत समस्या है। ये चार चंद लोग मिलकर प्रदेश की गरीब जनता को रेत का भाव बढ़ाकर लूट रहे हैं। एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप तत्काल सारे काम रोककर इस पर चर्चा करावायें ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में रेत का ठेका इसलिए दिया गया था कि आम आदमी को सरल और सहज रूप से रेत उपलब्ध हो, लेकिन इन लोगों ने तो दूधारू गाय सरीके से इस रेत को समझ लिया है । सरकार के संरक्षण में सत्ता पक्ष के लोग खुलेआम रेत का खनन कर रहे हैं, गुण्डागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। इस प्रदेश में रातों-रात सैकड़ों-हजारों ट्रक रेत निकाले जाते हैं और लोग अफरा-तफरी में मर रहे हैं, दुर्घटनाएं घट रही हैं । किसी अधिकारी को बोलो तो वह सुनने को तैयार नहीं है । नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं । आखिर यह रेत नहीं हुआ, लूटेरों का अड्डा हो गया है । इन लूटेरों के अड्डे से जनता को बचाने के लिए इस पर आपको चर्चा करानी चाहिए, वरना रेत के नाम पर जंगल राज कायम हो चुका है । कोयले के नाम से पहले ही माफिया चल रहा है, दारू के नाम से पहले ही माफिया राज चल रहा है । अब एक नया माफिया रेत माफिया के रूप में इस प्रदेश में नया पैदा हो गया है । इस पर चर्चा कराईए । एक-एक रेत घाट के लोग अवैध रूप से खनन करके चार-चार, पांच-पांच लाख रूपए का रेत बेच रहे हैं । न जाने कितने घाट होंगे । आप समझिए कि इस प्रदेश में रेत माफिया के नाम पर कितना बड़ा रेकेट काम कर रहा है । इस पर चर्चा होनी चाहिए, आप चर्चा कराईए, ताकि आम आदमी सुरक्षित भी रहे सके, अधिकारी भी सुरक्षित रहें । अधिकारी भी कुछ बोलने से डरते हैं । अगर उन लोगों ने कुछ कहा तो शाम को उनका फरमान जारी हो जाता है कि आपको यहां से वहां ट्रांसफर किया गया । अधिकारी भयभीत है, जनता भयभीत है । सिर्फ रेत माफिया, गुण्डे, मवाली, चोर, उचक्के, लफंगे, लूच्चे ये सब मजा कर रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में रेत के अवैध खनन का कार्य चल रहा है । जो रेत के ठेकों में इनको जगह निर्धारित की गई है कि इतने हैक्टेयर में आपको रेत बेचना है, उसको बस छोड़कर बाहर रेत का खनन किया जा रहा है । सरकार के माईनिंग विभाग में कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि फ्लैग लगा दिया जाये, यहां से लेकर वहां तक व्यवस्था की जाये । माईनिंग

विभाग का कोई अधिकारी वहां देखने के लिए जाता ही नहीं है और उसके बाद इसी सदन में पहले घोषणा की गई थी कि वहां पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाएगा और सी.सी.टी.वी. कैमरा में निगरानी की जाएगी, पर कोई सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं चल रहा है । एक रायल्टी पर्ची पर 10-10 ट्रक रेत निकाला जाता है और 10 ट्रक का अवैध खनन किया जा रहा है, इससे प्रदेश के राजस्व की हानि हो रही है । पूरा रेत माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और सारे लोग प्रदेश के बाहर के लोग हैं । आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन आदमी, किसका ठेका है, नाम पूछा और काम पूछा और उत्खनन कर रहे हैं । रेत के माफिया इतना हावी हो गये हैं कि अब रेत को रेल्वे के रैक में भरकर बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही है । पूरे बिलासपुर संभाग में कॉटल बन गया है । वह कॉटल तय करता है कि कहां से कितना रेत निकलेगा, कैसे रेत निकलेगा, कौन रैक करेगा । प्रदेश में ऐसा माफिया राज और ऐसा माफिया राज का शिकंजा कस रहे हैं । हमने स्थगन के लिए लगाया है और आपसे निवेदन है कि इसको ग्राह्य कर चर्चा करवाई जाए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर-चांपा के थाना हसौद में रात को 12 बजे ग्राम भातमाहुल की श्रीमती राजकुमार चंद्रा, श्रीमती सुशीला यादव और उनके साथ में सुरेश चंद्रा और गोविंद चंद्रा को पुलिस वाले उठाकर रात को 12 बजे से थाना में बिठाकर रखे हैं । किन कारणों से उठाया गया, उनको क्यों लाया गया, उनके ऊपर क्या अपराध कायम हैं ? न उनके परिवारजनों को बता रहे हैं, न किसी को बता रहे हैं । जब मैं सुबह उनसे चर्चा किया, थाने में टेलीफोन से बात की तो बताया गया कि यह सुपारी का मामला है । बिना कोई प्रकरण के उनको थाने में बिठा दिया गया और सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में हुआ है । अगर एस.पी. और एस.डी.ओ.पी. के कॉल डिटेल की जांच करेंगे तो स्पष्ट होगा कि सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा निर्देश देकर आम आदमी को परेशान किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि आम आदमी को भी जीने का अधिकार होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोग किसी को परेशान करें तो रात के 12 बजे किसी महिला को उठाकर थाने में बिठाकर न रखी जाए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि इस प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाए । इसके पहले ग्राम पंचायत की बैठक में एस्ट्रोसिटी एक्ट लगाया गया । अगर ग्राम पंचायत की बैठक में, जनपद की बैठक में और विधान सभा में इस तरह से कार्यवाही होगी तो कोई आदमी बैठक में जा ही नहीं सकते । यह निवेदन है ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय पर स्थगन की सूचना दी गयी है। इससे पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है। प्रदेश प्रभावित होने के साथ-साथ पूरे के पूरे नियम कानून को ताक में रखकर आज यह हालत है कि शिवनाथ की दिशा बदल रही है। इतना ज्यादा 10, 12 फीट तक रेत जिस प्रकार से निकाला जा रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार बारिश में सारा पानी गांव में भर जायेगा और गांव वाले अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूरा का पूरा विभाग

के संरक्षण में पुलिस, माईनिंग डिपार्टमेंट के संरक्षण में अवैध रूप से यह पूरा काम हो रहा है। पहले पंचायत के माध्यम से रेत की रायल्टी दी जाती थी और पंचायत इसका संचालन करता था। अभी तो हालत यह है कि पूरे देश भर के शराब माफ के जितने लोग थे, गुंडे थे, वे सारे लोग आज नदी में उतर गये हैं। जिस प्रकार आज पूरे छत्तीसगढ़ में स्थिति दिख रही है, मुझे लगता है कि न केवल रायल्टी का नुकसान हो रहा है बल्कि रायल्टी के नुकसान के साथ ही साथ आपने वाले समय में पर्यावरण पर बहुत बड़ा नुकसान और असर पड़ने वाला है। वह चिंताजनक है। मुझे लगता है कि यदि इस पर चर्चा होगी, बहुत सारे सदस्यों की इच्छा है। मुझे लगता है कि स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा होनी चाहिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- उपाध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट है कि जिसको चर्चा करने के बाद पूरे रेत माफिया कैसे संगठित होकर किस-किस विभाग से दोस्ती करके करते हैं और किस किसको नुकसान पहुंचाते हैं। हमने नदियों को वाटर लेवल रिचार्ज पर सिंचाई के लिये किया है, आज उनका इतना प्रभाव है कि उनके कहने पर सिंचाई के अधिकारी लोग बैराज खोलते हैं और बंद करते हैं, केवल रेत का उत्खनन करने के लिए जो बढ़िया लबालब पानी भरा हुआ है, उसको खोलकर सत्यानाश करते हैं। आने वाले समय में गर्मी है, उस पर विचार होना चाहिए। मैंने स्वयं अधिकारियों से बातचीत की। यह किसने किया ? पूरा खोल दिये, पूरा पानी बह गया। एफ.आई.आर. दर्ज करो तो कोई किसके ऊपर दर्ज करेगा ? वहां तो मिलीभगत चल रही है। इसलिए इनके तथ्यों पर विचार करने के लिए आप स्थगन को स्वीकार करियेगा।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल ही रेत के प्रश्न में एक विषय आया था, लगातार रेत माफियाओं के द्वारा कहने को एक दो घाट स्वीकृत हो गया है, बाकी पूरे नदी को कब्जा कर लिये हैं। जिस नदी पर कोई एक भी रेत घाट स्वीकृत नहीं है वहां भी कब्जा हो गया है। अभी पंचायत वाले ट्रैक्टर में अपने काम के लिये ले जा रहे हैं, शासकीय काम के लिये ले जा रहे हैं, गांव वाले अपने मकान के लिए ले जा रहे हैं तो उनको पकड़कर 20-20, 30-30 हजार वसूला जा रहा है। बैलगाड़ी में ले जा रहे हैं, यहां तक तगाड़ी में मिल गया तो उनसे भी वूसली की जा रही है कि इसमें से रेत कैसे ले आये ? जो नदी वैध रूप से ठेका नहीं हुआ है, परमिशन नहीं मिला है, उस नदी में जाकर बैठकर वसूली कर रहे हैं। एक दो नदी में हुआ है, मैंने कल इस प्रश्न को रखा था कि मेरे विधानसभा में सिर्फ 6 संचालित हैं लेकिन 10 जगह से अवैध वूसली हो रही है और 6 जगह में भी जो रकबा और खसरा बताया जा रहा है, उसको छोड़कर अन्य जगह से लिया जा रहा है। यदि ऐसी ही अवैध उत्खनन होती रही तो आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ में किसी नदी में एक तगाड़ी रेती नहीं बचेगा। विषय आया कि पंचायतों से इसको शासन लेगी और इससे बहुत बड़ा कर मिलेगा तो कर के नुकसान के साथ-साथ पंचायतों को दिक्कत हो रही है, गांव वालों को दिक्कत हो रही है और अपने छोटे-छोटे काम के लिये रेत नहीं निकाल पा रहे हैं, बाकी लोग महंगे से महंगा ले रहे हैं, प्रशासन इसमें कार्रवाई के नाम पर

ट्रक और ट्रैक्टरों को पकड़ रही है। जहां अवैध उत्खनन हो रहा है वहां पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। अवैध उत्खनन का प्रकरण ट्रैक्टरों पर बन रहा है। अवैध परिवहन को छोड़कर अवैध उत्खनन का प्रकरण उनके उपर दर्ज किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस स्थगन पर तत्काल चर्चा कराई जाये, ताकि पूरे तथ्य सामने आ सके।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले हम शराब माफिया समझते थे, अब रेत माफिया पैदा हो गया है। शराब माफिया और रेत माफिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रेत और चल रहा है भेंट और सरकार का पूरा कार्यक्रम है सेट और खुल गया है इनके किस्मत का गेट। इसके औचित्य के प्रश्न पर चर्चा उठाना चाहते हैं, इसलिए स्थगन को ग्राह्य किया जाये। रेत माफियां एक ट्रेक्टर रेत का दाम ज्यादा ले रहे हैं। रेत 15 से 20 हजार रूपया प्रति ट्रेक्टर बिक रहा है। बिना लायसेंस या अनुमति के उत्खनन हो रहा है। सरकार आंख मूंदकर बैठी है, हम सरकार को इस पर आईना दिखाने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाये हैं। इसको स्वीकार किया जाये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- उपाध्यक्ष महोदय जी, आज प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति खराब है और उसका कारण खुद हैं। आज यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि वहां पर सरकार की नहीं चल रही है वहां पर रेत माफियाओं का चल रहा है। रेत माफिया खुले आम रेत का व्यापार कर रहे हैं, जब प्रदेश की जनता को रेत की आवश्यकता है तो उन्हें रेत नहीं मिल रहा है, बल्कि धर्मकांटा में रेत को तौलकर प्रदेश के बाहर भेजा जा रहा है। इनकी हिमाकत इतनी ज्यादा है कि नेशनल हाइवे में जहां धर्मकांटा है, जहां से राहगीरों को आना-जाना होता है, ऐसी स्थिति में वहां पर राहगीरों को रोक दिया जाता है और हाइवे के धर्मकांटा में रेत को तौलाया जाता है और यदि रेत कम-ज्यादा होता है, तो वहीं पर जाम कर दिया जाता है। चूंकि इनके अधिकारी देखरेख नहीं करते इसलिए स्थिति यह है कि यहां पर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, यहां पर अधिकारी सुरक्षित नहीं है, एस.डी.एम. पर हमला हो रहा है, धमतरी में जिला पंचायत के सदस्य पर हमला हुआ, केवल और केवल ये अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग भण्डारण के नाम पर अवैध उत्खनन करते हैं। अधिकारियों को जानकारी नहीं है। यदि अधिकारियों से पूछेंगे तो उनको पता नहीं है कि ये भण्डारण के नाम पर क्या कर रहे हैं। जिस जगह का नक्शा-खसरा देना चाहिए था, उस जगह का नक्शा-खसरा नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि धमतरी में भी यही स्थिति है। धमतरी में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुले बाजार में रेत का भण्डारण करके, छानकर और पैकिंग करके बाहर के प्रदेशों में भेज रहे हैं, यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहचान है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि हमारा स्थगन ग्राह्य किया जाये।

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, धर्मकांटा में अधर्म का काम हो रहा है।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। मेरे क्षेत्र में तेल नदी है, वह 10 एकड़ है और पूरे 10 एकड़ एरिये में पूरे नदी को रेत माफिया लोग

कब्जा कर लिए हैं। जब से यह सरकार आई है तब से रेत माफिया बढ़ते गया है। मायनिंग के अधिकारी लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां पर कोई नियम नहीं है। हम स्थगन प्रस्ताव लाये हैं। इसलिए ग्राह्यता पर विचार किया जाये।

श्री शैलेश पाण्डेय :- आप तो मत बोलिये, आप ही के आदमी काम कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हैं। आज सरकार के सरंक्षण में इस कदर खुदाई हो रही है कि आज नदियों की धारा बदल रही है। एनीकट इसलिए बनाये गये हैं, ताकि गर्मियों में पानी काम में आये, लेकिन एनीकट गेट को तोड़ दिया गया है। बार-बार शिकायत करने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी पस्त हो गये हैं, वे लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, कितनी बार बदले, ये जो रेत माफिया हैं, उसको तोड़कर पानी बहाकर उसमें से रेत निकाल रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यदि सरकार को राजस्व लेने की इच्छा है तो राजस्व की भी प्राप्ति नहीं हो रही है। पहले लोगों को रेत सस्ते दर पर मिल रहा था, लेकिन आज लोगों को सस्ते दर पर रेत नहीं मिल रहा है। तो आखिर टेण्डर के नाम पर यह दिखाया जा रहा है कि हम राजस्व प्राप्त कर रहे हैं, वास्तव में उसके पीछे सरकार का राजस्व प्राप्ति नहीं है, बल्कि उनको सरंक्षण देकर कैसे ऐसे लोगों को सरंक्षण दिया जाये और अवैध उत्खनन को प्रोत्साहन देने के लिए टेण्डर की दिखावटी प्रक्रिया की गई है। आज जहां के लिए परमिशन नहीं मिला है, ऐसे कितने घाटों से रेत निकल रहा है, आप लोगों ने वहां जाकर देखा है? क्या आपने वहां पर उन लोगों को रोकने का प्रयास किया ? जब उनको पर्यावरण विभाग से अनुमति नहीं मिली है और आप वहां से रेत नहीं निकाल सकते और यदि वहां खुदाई हो रही है तो किसकी जवाबदारी है ? जब साल भर से मामला पर्यावरण विभाग में लटका हुआ है तो किसकी जवाबदारी है ? वहां जाकर क्लीयरेंस क्यों नहीं करा रहे हैं ? मतलब सरकार की भी इच्छाशक्ति नहीं है। वह नहीं चाहती कि एक नंबर में रेत का पैसा आये, बल्कि वहां पर दो नंबर में उगाही होता रहे। मैं दूर की बात नहीं करता आप पाटन क्षेत्र में जाकर देखिये। आपके जिले में देखिये । सबसे 4.00 बजे जायेंगे तो आपको 200-300 ट्रैक्टर खड़े दिखाई देंगे। पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति चल रही है। जिस प्रकार से हाईवा चला रहे हैं उससे एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वहां पर जानमाल की हानि हो रही है, क्षति हो रही है और उसके बाद यदि कोई किसान अपने ट्रैक्टर में रेत लाने के लिए ले जाए तो उसकी अधिकारी को तुरंत सूचना मिल जायेगी। अब उसके बाद उसको ले जाकर थाने में उसको खड़ा करवा देंगे और एक सप्ताह, 10 दिन तक उनको रखेंगे और जब हाईवा वाले अवैध रूप से ले जा रहे हैं, आप यदि उनकी सूचना देंगे तो सूचना देने के बाद अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वह घाट में चले जाएं और घाट में जाकर वहां पर छापेमार कार्रवाई कर लें। अभी तहसीलदार की क्या स्थिति बनी है कि तहसीलदार के साथ मारपीट किए हैं। एस.डी.एम. के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। जब बात आती है तो जनप्रतिनिधियों के साथ वह लोग जिस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, कल

प्रश्न में रजनीश सिंह जी पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे कि आप शिकायत दीजिए और शिकायत के बाद हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा है? इसका मतलब प्रापर्टी आपकी नहीं बल्कि हमारी है। उसके रखवाली की, बचाने की जवाबदारी आपकी नहीं है, यह हमारी जवाबदारी है कि हम उसकी सूचना दें तब आप कार्रवाई करेंगे और यदि हम सूचना न दें तो वह लेकर चले जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, इसका आशय क्या है? मतलब सीधा-सीधा माफियाओं को संरक्षण देना और यदि सूचना देने गांव वाले चले जाएं तो माफियाओं के द्वारा उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में सारी कार्रवाई रोककर के आज इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो कि चौपट होती जा रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है और हम चाहते हैं कि सारी कार्रवाई को रोककर के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेत माफिया इतने ताकतवर हो गये हैं कि उन्होंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रेत नीति की घोषणा की उस घोषणा को भी परिवर्तित करा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की सूचना विचाराधीन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन का मामला है और पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन का मामला है। रेत माफिया इतने संगठित हो गये कि मुख्यमंत्री के सदन के घोषणा को परिवर्तित करा रहे हैं। सदन में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वह नीति परिवर्तित हो गई। आपको इसमें चर्चा कराना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इतने माफिया हैं कि जनता सुरक्षित नहीं है। इस पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब विचाराधीन कर ही लिये हैं तो इस पर सीधे-सीधे चर्चा करवा दीजिए ना।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने बताया ना कि विचाराधीन है। व्यवस्था दी गई है कि विचाराधीन है।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील हैं, आप इस विषय को समझते हैं और इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं इसलिए तत्काल इस विषय पर चर्चा हो। सत्तारूढ़ दल के विधायक बोल नहीं पा रहे हैं। धनेंद्र भैय्या बोल नहीं रहे हैं, सत्तू भैय्या चुप हैं।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

उपाध्यक्ष महोदय :- विचाराधीन है।

श्री नारायण चंदेल :- कब तक विचाराधीन रहेगी?

(पक्ष/प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

उपाध्यक्ष महोदय :- इस पर किसी न किसी माध्यम से चर्चा कराई जायेगी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों का केवल शराब, रेत इसी में इंट्रेस्ट रहता है और किसी में विपक्ष का इंट्रेस्ट नहीं रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- सुनिये। किसी न किसी माध्यम से इस पर चर्चा करायी जायेगी। डॉ. रमन सिंह जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा करायेंगे बोल रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों का केवल शराब, रेत इसी में रूचि रहती है और विपक्ष का किसी अन्य विषय में रूचि नहीं रहती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्व घटना घटी है माननीय वन मंत्री अकबर जी बैठे हुए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी सरकार ही चला रहे हैं शराब वाले। समझे। रेत माफिया के बारे में मत बोलिए। मैं नाम ले दूंगा तो कई बेनाम हो जाओगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा। यह केवल एक मिनट का है। यह आपके जो राजिम क्षेत्र में जो कुण्डेल है। कुण्डेल में जो धान खरीदी केन्द्र है वहां हाथी घुस गया और वहां जो कर्मचारी काम कर रहा था हाथी उसको पकड़ा और वहीं पर उसका 4 टुकड़ा कर दिया। वह 4 टुकड़े में पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से अभी मानव और हाथी के बीच में द्वन्द चल रहा है और जिस प्रकार से घटना हुई है यह बड़ी विभत्स घटना है। माननीय वन मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वह वहां का नियमित कर्मचारी था माननीय अमरजीत भगत जी भी बैठे हुए हैं, वह धान खरीदी केन्द्र का कर्मचारी था और वह 4 टुकड़े में पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। उसकी क्षतिपूर्ति की जो राशि देनी है वह तो बाद में देंगे, उसके परिवार को भी वहां की नौकरी में रखने का आश्वासन हो जाए। आज लोग वहां पर धरने में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपके ध्यान में लाया हूँ कि मंत्री जी की तरफ से उसमें कुछ न कुछ आ जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी घटना है कोई स्टेटमेंट आ जाये तो ठीक रहेगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय नेता जी, शिवरतन शर्मा भईया और अजय चन्द्राकर भईया आपकी बिना अनुमति के बहिर्गमन कर दिये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई बहिर्गमन नहीं है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात ध्यान में लायी है हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

समय :

12:27 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है। डॉ. रमन सिंह।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(1) वन मंडल, खैरागढ़ अंतर्गत गंडई क्षेत्र में वन्य प्राणी का अवैध शिकार किया जाना।

डॉ. रमन सिंह (कवर्धा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

वन मंडल, खैरागढ़ अंतर्गत गंडई क्षेत्र के पास जंगलपुर बीट उपकृत पैलीमेटा क्षेत्र में स्थित बांध से महज 4 किमी की दूरी पर दिनांक 24.02.2021 को मादा तेंदुआ का शव मिला है। यह शव मूलत: क्षत-विक्षित अवस्था में मिला है, जिसमें कई चोट के निशान है। पैर सहित दूसरे कीमती अंग भी गायब हैं, शव के कीमती अंग गायब होने के कारण शिकार की आशंका है। मंगलवार दिनांक 23.02.2021 को जंगल से गुजर रहे ग्रामीण ने बदबू आने पर झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो तेंदुआ की क्षत-विक्षित लाख पड़ी पाई गई। मुख्य मार्ग से मात्र 100 मीटर की दूरी पर संरक्षित वन प्राणी के अवैध शिकार एवं विभाग की लापरवाही से क्षेत्रीय जनता में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि दिनांक 23.02.2021 को सायं 5.30 बजे खैरागढ़ वनमंडली के गंडई वन परिक्षेत्र अंतर्गत उपवृत्त-पैलीमेटा, बीट-जंगलपुर के वन कक्ष क्रमांक पी/01 जो कि मुख्य मार्ग से 2 कि.मी. है एवं पैलीमेटा बांध से लगभग 4 कि.मी. दूरी पर है, में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी गंडई को दूरभाष से अधीनस्थ परिसर रक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक के माध्यम से प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही उपवनमंडल अधिकारी गंडई एवं परिक्षेत्र अधिकारी गंडई स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर एक मादा तेन्दुआ मृत पाया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ अविलंब मौके ए वारदात पर पहुंचे तत्काल वन अपराध प्रकरण क्रमांक 35/868 दिनांक 23.02.2021 जारी किया गया। रात्रि में ही अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी से डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया एवं जिला स्तरीय तीन सदस्यीय पशु चिकित्सक की टीम को पोस्टमार्टम हेतु सूचित किया गया। दिनांक 24.02.2021 को मुख्य वन संरक्षक

दुर्ग वृत्त दुर्ग द्वारा घटना स्थल पर पहुंच कर मुआयना किया गया। जिला स्तरीय पशु चिकित्सक की टीम के द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया एवं परीक्षण हेतु कुछ अंगों के भाग नमूना के तौर पर सुरक्षित रखा गया।

यह सही नहीं है कि शव क्षत-विक्षित अवस्था में मिला है बल्कि सही यह है कि मृत तेंदुआ के सामने के दो पंजे एवं माथे की चमड़ी गायब थी। डॉग स्क्वॉड टीम एवं वन अमले द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए संदिग्ध दो व्यक्तियों से पूछताछ की गयी। संदिग्धों द्वारा बताये सुराग के आधार पर अपराध में संलिप्त 5 मुख्य आरोपी क्रमश: प्रकाश आत्मज अंजोरी साहू उम्र-32 वर्ष, चेतन आत्मज अधीन गोंड उम्र 42 वर्ष, संतु आत्मज बहल गोंड उम्र 32 वर्ष, कार्तिक आत्मज पंचराम साहू, उम्र 37 वर्ष एवं शत्रुहन आत्मज विश्राम यादव उम्र 39 वर्ष सभी निवासी ग्राम मगरकुंड, थाना मोहगांव, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपियों से मृत मादा तेंदूआ के गायब एक पंजा माथे का चमड़ी एवं अवैध शिकार में प्रयुक्त तार, कुल्हाड़ी बरामद की गयी।

उपरोक्तानुसार वन्यप्राणी के अवैध शिकार हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर उपजेल खैरागढ़ भेज दिया गया।

इस प्रकार उक्त प्रकरण में वन अमले द्वारा तत्परतापूर्वक नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तेदूंआ के शिकार करने वाले 5 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। अत: यह कहना सही नहीं है कि संरक्षित वन्य प्राणी के अवैध शिकार एवं विभाग की लापरवाही से क्षेत्रीय जनता में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वन अभ्यारण्य, मध्यप्रदेश के कान्हा टाईगर रिजर्व, महाराष्ट्र के नाजरा टाईगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। यह बड़ा sensitive क्षेत्र है, यहां तेदूंआ और शेर का रहवास भी है और छत्तीसगढ़ में जिस कारीडोर के निर्माण की बात चल रही है, वह टाईगर रिजर्व क्षेत्र कारीडोर का हिस्सा बनता है और वहां पर लगातार इस प्रकार की घटनायें होती जा रही हैं। ग्रामवासियों ने सूचित कर दिया तो यह घटना पकड़ में आ गई, नहीं तो ऐसे कितने सारे मामले आते हैं जिसमें अवैध रूप से शेर का शिकार होता है, उसके पंजे, दांत, अंग निकाल लिये जाते हैं। इसके पीछे मूल विषय यह है कि 5 गांव वालों को बैठा लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको कोर्ट में पेश कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता । इस ध्यानाकर्षण का मतलब यह है कि इसके पीछे जिन लोगों को आपने बैठाया है या उनको पुलिस कस्टडी में हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बार्डर में जो अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है, क्या हम उन तक पहुंचने के लिए कोई प्रक्रिया अपना रहे हैं? दूसरा विषय इतना sensitive मामला होने के बाद भी, वन क्षेत्र होने के बाद

भी सिर्फ 5 गांव वालों को बैठा लेने से, उनको पुलिस कस्टडी में डाल देने से फर्क नहीं पड़ता। उस क्षेत्र का डी.एफ.ओ. से लेकर एस.डी.ओ., यदि हम कठोरता से कार्यवाही करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रकार के अवैध शिकार को रोकने के लिए न केवल ग्रामवासियों कों बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करेंगे? एक बीडगार्ड तक के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई जबकि उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो रही है। इस घटना के लिए पूरे प्रदेश में मैसेज जायेगा जब हम एक सीनियर असफर को भी इसके लिए जवाबदार तय करेंगे। मंत्री जी क्या किसी वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे?

श्री मोहम्म्द अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने तीन-चार बातें कहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि अंतर्राज्यीय गिरोह की किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है और नही उनकी कोई उपस्थिति है। कारीडोर के बारे में बात आती है तो यह कारीडोर का हिस्सा नहीं है। तीसरी बात यह है कि वन विभाग ने मुस्तैदी से कार्यवाही की या नहीं की। स्नीफर डॉग जो अचानकमार टाईगर रिजर्व से लाया गया, उसको जब संदेहियों के पास लेकर गये वह उनको सूंघकर, एक लकड़ी के हिस्से को सूंघकर उसके बाद पीछा करते हुए गया तो दूसरा जो टूटा हुआ लकड़ी का हिस्सा था, स्नीफर डॉग ने उसको जाकर पकड़ा। और उनसे जब पूछताछ की तो 4 लोगों ने अपने अपराध को कबूल किया, उनसे सारी सामग्री जब्त की गई। वन विभाग ने बहुत अच्छे से कार्यवाही की है। इसके अलावा यदि और कुछ आप चाहते हैं तो मैं दिखवा लूंगा।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध रूप से वह चाहे पैलीपेटा का क्षेत्र हो, तरेगांव से लेकर दलदली और बोडला का लगा हुआ बार्डर का क्षेत्र हो, भालू का शिकार इसी प्रकार से होता है। इसमें अवैध रूप से बिजली के तार लगाकर जानवरों को मारने की साजिश लगातार चलती है। जब तक वन विभाग की टीम बनकर लगातार सर्चिंग नहीं होगी, इस प्रकार के बार्डर के जो हमारे जिले हैं और यह पूरा का पूरा अभ्यारण्य क्षेत्र है। इसके पीछे जिस क्षेत्र के अधिकारी हैं, उनके ऊपर आप कार्यवाही नहीं करोगे तो आने वाले समय में अवैध शिकार को एक प्रकार से हम संरक्षण दे रहे हैं। यह स्थिति बनेगी । कठोर कार्यवाही करना है तो कम से कम उस क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए तो यह मैसेज जाएगा, केवल 5 गांव वालों को बैठा लेने से फर्क नहीं पड़ता इसलिये इस विषय में मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध शिकार पर रोकथाम हेतु जो उपाय अपनाये जा रहे हैं, वन अमले द्वारा नियमित भ्रमण एवं गस्त किया जाना । वन समितियों के सदस्यों की सहायता से अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखना, उड़नदस्ता दलों के माध्यम से नियमित जांच, संवेदनशील क्षेत्रों में, बैरियर में वाहनों की सघन जांच, मुखबिरों के द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त करना, डॉग स्पाट की सहायता से आरोपियों की पतासाजी करना, तत्काल मुआवजा भुगतान और वन अधिकारी ने

जिस तत्परता से इसमें कार्यवाही की है तो निश्चित रूप से वह 5 आरोपी थे और उनके बयान की कॉपी भी मेरे पास है । आप कहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं, सारे लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है ।

डॉ. रमन सिंह :- एक अंतिम प्रश्न । जो आपने पोस्टमार्टम कराया उसकी रिपोर्ट क्या आयी है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आयी है उसमें यह लिखा है कि - Skin of forehead absent both front legs metacarpal and caroal and paws are seems to be incised by any hard or sharp object and maggors seen in oral Cavity.

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अपने आप में पर्याप्त है कि कोई शिकार धोखे से नहीं हुआ । कहीं न कहीं इसके पीछे गिरोह है, जो उसके दोनों पंजे को निकालकर ले गया, उसके दांत को निकालकर ले गया, उसके पूंछ को ले गया और उसके शरीर के पार्टस गायब पाये गये तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अंजानेवश किया, यह षड़यंत्रपूर्वक और जानबूझकर किया । इसको आगे बढ़कर हम अंतर्राज्यीय गिरौह तक पहुंचने का प्रयास करें ताकि भविष्य के लिये इस प्रकार के शिकार न हों । यह मूल प्रश्न का विषय है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध शिकार हो रहा है । अभी कुछ दिन पहले लगातार हाथियों का मामला आया कि पाईजनिंग के द्वारा उनको दिया गया, खाने में मिलाकर दिया गया । उसके साथ में बिजली के तार से करेंट लगाकर मारा गया, कुछ दिन पहले हाथी के दांत के साथ में दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद नाखून को काटने का और पंजा को काटने का आया । इसमें मुख्य रूप से हम जो बोल रहे हैं कि यह केवल ग्रामीणों का मामला नहीं है क्योंकि इसके पहले अनेक जानवरों का मामला आया है । हाथियों का मामला भी ऐसे ही आया है तो इसके पीछे कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर बेचने के लिये वह मुक्त हो जाते हैं और गांववालों के चंगुल में फंस जाते हैं तो उनके तक पहुंचने के लिये और पहुंचकर के कि आने वाले समय में इस प्रकार के अवैध शिकार को रोका जा सके, जानवरों का अवैध शिकार न हो और उन तस्करों तक जो अंतर्राष्ट्रीय जो काम कर रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिये मंत्री जी ने अभी तक क्या कार्यवाही की है या उस दिशा में क्या कार्यवाही करने वाले हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक इस प्रकार के जितने भी प्रकरण सामने आये हैं । कोई भी ऐसा प्रकरण शेष नहीं है जिसमें कार्यवाही नहीं हुई है, सभी मामलों में गिरफ्तारी हुई है, बकायदा जिन औजारों का उपयोग किया गया उसकी जब्ती हुई है और नियमानुसार उनको जेल दाखिल कराया गया है । अंतर्राज्यीय समन्वय के लिये जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो अंतर्राज्यीय समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी हम लोग विचार कर लेंगे और निश्चित रूप से अब तक जितने भी प्रकरण हुए हैं सबमें कार्यवाही हुई है । अंतर्राज्यीय

जिस मामले में आप षड़यंत्र की आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो उस दिशा में भी हम लोग विचार कर लेंगे ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री जी ने बताया कि आपके पास डिटेल रिपोर्ट आयी । आपके जो अपराधी थे, जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उन अपराधियों ने एक्सेप्ट किया कि हमने मारा है । क्या वन विभाग ने उनसे यह जानने का प्रयास किया कि आपने जिस पंजे को अपने पास रखा था या दांत को अपने पास रखा था, इसको आगे किसको बेचेंगे तभी अंतर्राज्यीय गिरौह का पर्दाफाश होगा । क्या इस पर आगे वन विभाग ने कार्यवाही की?

श्री मोहम्मद अकबर :- जो समग्री उनके पास से जप्त की गई है, जहां-जहां उन्होंने छिपाकर रखा था, उसकी जानकारी उन्होंने दी, उनसे जप्त हो गया । लेकिन आप जिस दिशा में बोल रहे हैं, मैं उसको भी दिखवा लूंगा ।

(2) बोरियाकला चौक से सिद्धार्थ चौक तक फोरलेन के दोनों ओर अतिक्रमण.

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम बोरियाकला चौक से संतोषी नगर होते हुए सिद्धार्थ चौक तक फोरलेन सड़क के दोनों ओर लगभग आधी सड़क पर हजारों की संख्या में 1 से 3 किलोमीटर तक स्थाई एवं अस्थाई दुकानें बन जाने एवं ठेले-खोमचा वालों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने के कारण सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है, जिसके कारण यातायात में बाधा पहुंच रही है, इससे अनेकों दुर्घटनाएं घट रही हैं । आधी सड़क पर अवैध कब्जा के कारण सिंगल लेन भी नहीं रह गया है । यह मार्ग जगदलपुर-धमतरी के लोगों के रायपुर आने-जाने का प्रमुख मार्ग है । सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण लगभग प्राय: प्रत्येक दिन सुबह-शाम संतोषी नगर चौक से लेकर इस सड़क पर 2 किलोमीटर तक घंटों यातायात जाम हो जाता है । वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसके कारण जगदलपुर-धमतरी वालों को रायपुर शहर के अंदर पहुंचने में 4 से 6 गुना ज्यादा समय लग जाता है । सड़क के दोनों किनारे नाली एवं लगभग 4 फीट चौड़ाई का पेवर ब्लॉक सड़क जो पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई है, उसके अलावा आधी सड़क पर संतोषी नगर चौक से बोरिया जाने के रास्ते में 2 किलोमीटर तक अवैध बाजार लगता है । जिसके कारण पैदल चलने वाले आम नागरिकों को भी सड़क के बीचों बीच चलना पड़ता है । ग्राहक को मजबूरन अपना वाहन सड़क में खड़ा करना पड़ता है । फोर लेन बनने के बाद विद्युत खम्भा एवं ट्रान्सफार्मर को भी सड़क किनारे शिफ्ट नहीं किया गया है तथा कुछ मंदिरों को हटाया नहीं गया है । इसी का सहारा लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकान बढ़ा ली है, तो कुछ ने निर्माण कर लिया है और ठेले खोमचा वाले अपनी दुकान चला रहे हैं । मार्ग के दोनों ओर लगभग 3 किलोमीटर आधी सड़क पर अवैध कब्जा से होने वाले ट्रैफिक जाम के कारण बोरिया से संतोषी नगर होते

हुए टिकरापारा तक इस मार्ग से गुजरना मुश्किल होता है । अतिक्रमणकारियों की वजह से अधिकतर यह रास्ता बाधित होने के कारण नागरिकों में शासन के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बोरियाकला से संतोषी नगर होते हुए सिद्धार्थ चौक तक फोरलेन सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था, जिस सड़क के दोनों ओर कुछ स्थानों पर अस्थाई ठेले एवं खोमचे वाले दुकान लगा लेते हैं । राजस्व अभिलेख के अनुसार मार्ग की औसत चौड़ाई 80 फीट अर्थात 25 मीटर है । परंतु वर्तमान में इस मार्ग की कुल चौड़ाई 100 फीट अर्थात लगभग 30 मीटर है । जिसमें डामर सड़क की कुल चौड़ाई लगभग 15 मीटर (दोनों ओर मिलाकर) फुटपाथ की चौड़ाई लगभग 10 मीटर (दोनों ओर मिलाकर) नाली की चौड़ाई लगभग 4 मीटर (दोनों ओर मिलाकर) है ।

यह सही है कि सड़क के दोनों ओर कुछ स्थानों पर अस्थाई ठेले एवं खोमचे वाले दुकान लगा लेते हैं तथा इन दुकानों में आने वाले ग्राहक अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर देने के कारण आवागमन धीमा हो जाता है । साथ ही बंद नाली के ऊपर तथा पेवर ब्लॉक के ऊपर भी अस्थायी दुकान एवं ठेले खोमचे वालों के द्वारा अपना व्यवसाय किया जा रहा है । अवैध व्यवसायियों को हटाने हेतु नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा पुलिस बल के सहयोग से नियमित अंतराल में बेदखली की कार्यवाही की जाती है । नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा दिनांक 16.09.2020, 21.09.2020, 29.09.2020, 21.01.2021, 12.02.2021, 23.02.2021 एवं 25.02.2021 को ठेले खोमचे वालों को बेदखल करने की कार्यवाही की गई है । सड़क किनारे स्थित विद्युत खंभे, ट्रान्सफार्मर एवं मंदिर को मार्ग से हटाकर व्यवस्थापित करने की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग एवं छ.ग.रा.वि.वि.कं.लि. के द्वारा किया जाना है जिसके फलस्वरूप यातायात बेहतर हो जायेगा ।

नगर पालिक निगम द्वारा समय-समय पर अवैध कब्जाधारी स्थाई, अस्थाई दुकान एवं ठेले खोमचे वालों के बेदखली की कार्यवाही की जाती है । अतएव आम नागरिकों में शासन के प्रति कोई आक्रोश नहीं है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझ रहा था कि वास्तव में यह विषय लोक निर्माण विभाग का था क्योंकि सड़क उनकी है । जब सड़क फोरलेन बनाई जा रही है तो फोरलेन बनाने के पहले ही उसमें यह भी प्रावधान रहता है कि सारे जितने बिजली के खंभे हैं या ट्रांसफार्मर हैं, या जो भी अवरोध हैं, उसे हटाने का लोक निर्माण विभाग में फोरलेन की सड़कों पर ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क तो बना दी गई, लेकिन जितने भी सारे अवरोध हैं, आपके विद्युत खंभे हैं, ट्रांसफार्मर हैं या बड़े-बड़े मंदिर तो हटा दिये, छोटे-छोटे मंदिर अभी तक हैं पूरे एवर ब्लॉक में नाली के ऊपर पूरा दुकान बना दिये हैं। मैं समझता हूं कि अतिक्रमण हटाना लोक निर्माण विभाग की स्वयं की

जिम्मेदारी है। उनकी एक सतत् प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग को करनी चाहिए। जैसा कि आपने भी अपने प्रश्न के उत्तर में भी जानकारी दी है कि विद्युत खंभों को और ट्रांसफार्मरों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। तो ये जितने भी ट्रांसफामर्स हैं, विद्युत खंभे हैं या अन्य निर्माण कार्य हैं जो सड़क के अंतर्गत हैं, उसे हटाने की कार्यवाही क्या आप नगर-निगम अपने नगरीय प्रशासन विभाग से करवा रहे हैं? तो कब तक यह हटाने का कार्य हो जायेगा?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़क बने हैं, उसमें विद्युत खंभों और जो स्थायी मंदिर वगैरह बने हुए हैं, उनके व्यवस्थापन की कार्यवाही पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को करनी है और मैं हमारे नगर-निगम के अधिकारियों को निर्देश दूंगा। हम पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से आग्रह करेंगे कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी कर लें। जहां तक हमारे माननीय सदस्य जी की चिंता है कि नाली के ऊपर जो अवैध स्थायी निर्माण कर लिये गये हैं तो निश्चित रूप से अगर नाली तक निर्माण किये हैं, जो उनके दुकान की सीमा बनी हुई है, उससे ज्यादा अतिक्रमण होगा तो हम उसे निश्चित रूप से हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री धनेन्द्र साहू :- नहीं, इसके साथ ही क्योंकि माननीय मंत्री जी आपके भी घर आने-जाने का रास्ता वही है। आप भी कइयों बार गुजरते होंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को होती है। जो एम्बुलेंस आती हैं वह सायरन ऊपर सायरन बजाते है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और अधिकतम पूरे इलाके के जो मरीज हैं, उनका शहर में आना होता है। क्योंकि सब हॉस्पिटल शहर में हैं। पूरी बाजार सड़क के ऊपर आ गयी है। लगभग 1 किलोमीटर में तो पूरा बाजार आ चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि बाजार को वहीं आसपास जितने भी जगह उपलब्ध हैं, जो बाजार आज सड़क के ऊपर लग रहा है, वहां पर और स्थान चिन्हित करके बाजारों को आप वहां शिफ्ट कर दें। किसी की अगर रोजी-रोटी है तो उसका भी नुकसान न हो। लोगों के जितने भी ठेले, खोमचे या जो छोटे-छोटे व्यवसायी है, उन्हें और भी बाजार के लायक रिक्त जगह देखकर उनका वहां पर व्यवस्थापन करा देंगे और दूसरा जो मूल कारण है खंभे और विद्युत ट्रांसफार्मर के कारण वहां पर लोगों के लिए बाउंड्री की तरह सीमा हो जाती है तो इसे हटाने के लिए आप लोग पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को या अपने नगरीय प्रशासन विभाग से कराइएगा। जो भी हो तो मेरा कहना था एक तो बाजार की बसाहट और बाजार का व्यवस्थापन किया जाये और दूसरी बात कि विद्युत खंभों को शीघ्र हटाया जावे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जो भी बाजार या ठेले वाले हैं, उसे वहां पर पास में हमारा कृष्णा नगर है, वहां पर एक मार्केट तरूण बाजार बना हुआ है और उसके पास एक मंडी भी निर्माणाधीन है तो निश्चित रूप से वहां उन्हें व्यवस्थापन करने के लिए कार्यवाही करेंगे और जो सब्जी बेचते हैं और जो बाजार में लगा लेते हैं, उन्हें भी सब्जी बाजार में व्यवस्थापन के लिए पात्रता के आधार पर कार्यवाही करेंगे। दूसरा, वेंडर लोग हैं जो रोज नियमित लगा लेते हैं, उनके भी वेंडिंग जोन में

व्यवस्थापन के लिए भविष्य में कार्यवाही करेंगे और प्रयास करेंगे कि यातायात बाधित न हो। मैं हमारे नगर-निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दूंगा कि उस जोन में जो 6 जोन और जोन 10 में आता है तो वहां के अधिकारीगण भी नियमित रूप से इस व्यवस्था को देखेंगे कि आने-जाने में बीच सड़क में या सड़क को बाधित करने के लिए कोई ठेले खोमचे न लगा लें, यह मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- मैंने आपके जोन कमिश्नर को कई बार मौखिक रूप से बोला, वे कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, इस पर आप सख्ती के साथ कार्यवाही करा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री केशव चन्द्रा जी।

(3) प्रदेश में दिव्यांगों के उचित शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु विशेष शिक्षक भर्ती नहीं किया जाना

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिव्यांग सर्वे सूची वर्ष 2011 के अनुसार 6,24,937 दिव्यांगों की गणना की गई थी, जो कि वर्ष 2020 में बढ़कर 9.50 लाख तक पहुंच गई है । भारत सरकार के अधीन भारतीय पुनर्वास परिसर नई दिल्ली से पंजीकृत विशेष शिक्षकों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के शिक्षा एवं पुनर्वास देने का प्रावधान है । वर्तमान में राज्य के 150 विकासखण्डों में मात्र 162 विशेष शिक्षक कार्यरत् हैं । नई शिक्षा नीति, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल इत्यादि सभी ने समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी है, किन्तु दिव्यांगों के उचित शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । दिव्यांगों की उचित शिक्षा एवं आत्मनिर्भर जीवन हेतु विशेष शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण दिव्यांगों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण समस्त दिव्यांगों एवं विशेष शिक्षकों में शासन/प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांग सर्वे सूची वर्ष 2011 के अनुसार 6,24,937 दिव्यांगजनों की गणना की गई थी, अपितु यह आंकड़ा जनगणना 2011 के अनुसार है । यह कहना भी सही नहीं है कि वर्ष 2020 में बढ़कर लगभग 9 लाख, 50 हजार तक पहुंच गई है । दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है, सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरांत ही वास्तविक आंकड़े प्राप्त होंगे । यह कहना सही नहीं है कि इनकी शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु भारत सरकार के अधीन भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से पंजीकृत विशेष शिक्षकों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास देने का प्रावधान है, वरन् दिव्यांगजनों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत पंजीयन किया जाना है । यह कहना भी सही नहीं है कि वर्तमान में राज्य के 150 विकासखण्डों में मात्र 162 विशेष शिक्षक कार्यरत् हैं, अपितु समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय विशेष विद्यालयों/संस्थाओं में 50 विशेष शिक्षक तथा अशासकीय संस्थाओं में 192 कुल 242 विशेष शिक्षक

है । इसके अतिरिक्त राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत 146 विकासखण्ड एवं 04 नगरीय क्षेत्रों में कुल 162 विशेष शिक्षक के रूप में विकासखण्ड स्त्रोत व्यक्ति कार्यरत् हैं । इस प्रकार 404 प्रशिक्षित विशेष शिक्षक कार्यरत् हैं । यह कहना सही है कि नई शिक्षा नीति के तहत् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल इत्यादि सभी ने समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी है, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि दिव्यांगजनों के उचित शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, अपितु उपरोक्त 404 प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के 597 समर्पित अधिकारी/कर्मचारी इनके शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु सक्रिय है । परिणामस्वरूप दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने हेतु राज्य को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि दिव्यांगों के उचित शिक्षा एवं आत्मनिर्भर जीवन हेतु विशेष शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण दिव्यांगों को उचित शिक्षा हीं मिल पा रही है ।

राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजनों के शिक्षण-प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था, समग्र पुनर्वास एवं विशेष शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के फलस्वरूप शासन/प्रशासन के प्रति कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री केशव चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिव्यांग सर्वे सूची 2011 का सर्वे नहीं है, लेकिन जनगणना 2011 के सर्वे में ये आंकड़े हैं कि 6,24,937 दिव्यांगजन हैं । मंत्री जी ने यह भी बताया कि दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने हेतु राज्य को 4 चार राष्ट्रीय पुरस्कार हुए हैं, उसके लिए आपको बधाई । दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजना भी है, जिसमें कृतिमान, सामर्थ्य विकास, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों का शिक्षण प्रशिक्षण, स्वरोजगार हेतु ऋण, दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन, दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन और दिव्यांग छात्र गृह एवं घरौंदा, आश्रय गृह योजना। ये तमाम योजना दिव्यांगजनों के लिये है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समावेशी शिक्षा के लिये इन दिव्यांगजनों का काउंसलिंग हो सके, किस ढंग से और किस क्षेत्र में इनका काम है, उनको मार्गदर्शन मिल सके, इनके लिये स्कूल में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- हमारे यहां दिव्यांगजनों के लिये बिलासपुर में एक आश्रय दत्त कर्मशाला है, वहां हम सभी लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करते हैं और आपके कौशल उन्नयन के माध्यम से भी दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग देने की उचित व्यवस्था करते हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं-नहीं, बिलासपुर में आपका है। सामान्य स्कूल में शासकीय प्राईमरी स्कूल में मिडिल स्कूल में इन दिव्यांगजनों को पढ़ने का अधिकार है या नहीं है। समावेशी शिक्षा में इनको अधिकार है तो वहां आपकी क्या व्यवस्था है?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- समावेशी शिक्षा में उनकी व्यवस्था है इसीलिए तो प्रशिक्षित करते हैं, हमारे यहां माना में है, वहां भी व्यवस्था है और स्कूलों में भी है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत स्कूलों में भी शिक्षक उपलब्ध हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपने दिव्यांगजन 21 प्रकार का माना है। पूरे प्रदेश में 404 प्रशिक्षित विशेष शिक्षक कार्यरत हैं, केवल 404 हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि इनको सुविधा देने के लिए यह कम है और इसके कारण वास्तव में जो दिव्यांगजन समाज और परिवार से उपेक्षित हैं, उनको सही सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण, शहीद प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण या सरकार की योजना का सही लाभ नहीं मिलने के कारण ये समाज से एक अलग अंग के रूप में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो विशेष शिक्षक हैं जिनको आपने मोबाईल प्रशिक्षक के रूप में नाम दिया है, जो मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एड. किये हैं, क्या इनको संकुल स्तर पर, शिक्षा विभाग ने अभी संकुल को बढ़ा दिया है, पहले पूरे प्रदेश में 2300 संकुल थे, अब 5540 संकुल हो गया है, क्या प्रत्येक संकुल पर एक-एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करेंगे ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- शासन की ओर से अभी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही वित्तीय व्यवस्था के अनुसार वहां आदेश मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया भी जारी होगी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- इनको व्यवसाय के लिये भी ऋण मिलना है। आपने बहुत आंकड़ा दिया है कि इनके सहयोग के लिये तमाम लाभ जो सरकार की तरफ से मिला है, सभी जो 11 योजना गिनाये हैं उनमें से है। स्वरोजगार के लिये ऐसे कितने दिव्यांग को विगत एक साल में या इस वर्ष बैंक से ऋण उपलब्ध कराया गया है। अगर नहीं कराया गया है तो क्या भविष्य में सुनिश्चित करेंगे ? अगर प्रदेश के दिव्यांगजन स्वरोजगार करना चाहते हैं, जिसमें उनकी रूचि है या जो प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं, अगर वह स्वरोजगार करना चाहता है तो उनको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ से, आपकी विभाग की तरफ से बैंक मे पहल करके उनको ऋण उपलब्ध कराय जायेगा।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये विभाग की तरफ से उन्हें लोन भी दिया जाता है परंतु अभी साल भर से कुछ वूसली न होने के कारण, कोरोनाकाल के कारण भी इस साल नहीं दे पाये हैं, नहीं तो हमारे विभाग की तरफ से उन्हें दिया जाता है और शासकीय संस्थाओं में या अन्य जगहों पर भी हमारे विभाग के माध्यम से उन्हें 7 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न। यही कोरोनाकाल उनके लिए सबसे ज्यादा कष्टप्रद था। माननीय मंत्री जी, दिव्यांगजनों के लिए यह कोरोनाकाल सबसे ज्यादा कष्टप्रद था। बाकी बच्चे मोबाइल से पढ़ लिये या थोड़ा-बहुत ऑनलाईन शिक्षा प्राप्त कर लिये। शिक्षा विभाग से अनेक योजनाएं संचालित हुई, लेकिन आपके विभाग से इन लोगों के लिए कोई भी योजना तैयार नहीं की गई। आपका विभाग जो लोन देता है, वह छोटा-मोटा लोन देता है। केवल कहने के लिए है

कि दिव्यांगजन इससे व्यवसाय कर लेंगे, आत्मनिर्भर बन जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इनका व्यवसाय व्यवस्थित हो जाये, प्रारंभिक स्तर पर व्यवसाय प्रारंभ कर लें। आपके विभाग के अलावा बैंक से भी इनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई नियम बनायेंगे या कोई नीति का निर्धारण या सुनिश्चित करेंगे, कृपया यह बता दें।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने शिक्षा की बात की है। हम लोगों ने भी शिक्षकों के माध्यम से दिव्यांगजनों को ऑनलाईन शिक्षा दिया गया है। जो स्वरोजगार के लिए लोन नहीं देते, उसके लिए कोरोनाकाल का कारण बताई और भारत सरकार से भी राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण भी नहीं दे पाये। परन्तु आप जो कह रहे हैं, इसमें राज्य का ही नहीं, केन्द्र और राज्य दोनों की राशि का समावेश रहता है। हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि बैंक से इस तरह ऐसा लोन मिले, जिससे वह अपना कार्य अच्छे से कर सके।

समय :
1:02 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
2. श्री देवव्रत सिंह
3. श्री धर्मजीत सिंह,
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री ननकीराम कंवर

याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

1. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
2. श्री शिवरतन शर्मा,
3. श्री पुरूषोत्तम कंवर
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

1:03 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- अब वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। श्रीमती ममता चन्द्राकर, सदस्य।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पण्डरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" के मूलमंत्र से समाहित भावनाओं से भरा हुआ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत तीसरे बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हमारी संवेदनशील सरकार शुरू से ही कटिबद्ध है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि बजट में जनहितैषी, जनकल्याणकारी और आम लोगों के कार्यों को प्राथमिकता से लिया गया है। यह सरकार किसान हितैषी सरकार है और मुख्यमंत्री जी ने यह करके भी बता दिया है। इस सरकार का यह तीसरा बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में एक थीम "HEIGHT" शब्द का प्रयोग किया है, यह "HEIGHT" शब्द अंग्रेजी में है, लेकिन काफी सराहनीय है। "HEIGHT" शब्द के एक-एक अक्षर का इस्तेमाल हमारे छत्तीसगढ़ को नया छत्तीसगढ़ बनाने और विकास की ओर ले जाने के लिए परिपूर्ण है। "HEIGHT" का H-Holistic Development, समग्र विकास से भरा हुआ है। E-Educatiion शिक्षा से सरोबोर, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। I-Infrastructure, अधोसरंचना, इसमें भी हर वह कार्य जो सड़कों से जुड़ा हुआ है, विकास के पोषक से भरा हुआ है। G-Governance, प्रशासन, यह भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रभावशाली और संवेदनशील है। H-Health, स्वास्थ्य को भी लेकर स्वास्थ्य विभाग "स्वस्थ तन सबसे बड़ा धन" यह पूरा बजट में परिपूर्ण है। साथ ही साथ बदलाव का भी उल्लेख है। बदलाव जनता के लिए। यह हाईट से भरा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की नई उंचाई के लिए संकल्पित है। इसमें हमारी पूरी छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री के साथ कृतसंकल्पित है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- ममता दीदी, आप चिल्लाये कहां से, गला कैसे बैठा है? अधिकारी विधायकों की सुनते नहीं हैं।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- चिल्लाने से गला बैठने का कोई ताल्लुक नहीं रहता। ऐसा कौन बोला कि अधिकारी नहीं सुनते। हमारे बजट में संवेदनशील और प्रभावशाली अधिकारियों का उल्लेख है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सरकार का नियंत्रण कम है।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- नहीं ऐसा नहीं है आप लोगों को लगता है। विपक्ष से नियंत्रण नहीं होता। सरकार नियंत्रण और संवेदनशील प्रभावशाली कर्मचारी के साथ काम कर रही है। जो आपके सामने है।

श्री शिवरतन शर्मा :- तहीं तो प्रश्न लगाये रहे कि अधिकारी मन नहीं सुनथे, तोर चिट्ठी में ध्यान नहीं देवथे।

श्रीमती ममता चंद्राकर :-उसका तो आप कई अर्थ निकाल सकते हो। मुख्यमंत्री जी का बजट काफी सराहनीय बजट है।

समय :

1:06 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

श्रीमती ममता चंद्राकर :- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी का बजट काफी सराहनीय बजट है। शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9 महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सहमति दी है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जहां 9 महाविद्यालयों की स्वीकृति दी है जिसमें से 6 महाविद्यालय और 3 कन्या महाविद्यालय हैं, तो मैं अपने कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुंडा क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना चाहती हूं। मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन है कि बजट में इसे शामिल किया जाए। क्योंकि कबीरधाम जिला पूर्व मुख्यमंत्री जी का तो गृह जिला था पर वह उसके विकास से एकदम आंख मूंद लिये थे। वहां की शिक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है इसलिए मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन है कि वहां कालेज की स्थापना के लिए अनुमति दें। साथ ही कुकदुर में भी विद्यालय तो संचालित है लेकिन आज भी भवनविहीन है। हाईस्कूल में संचालित है। वहां के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां भी एक भवन का निर्माण हो। मैं पुन: मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि इस तरह का बजट निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ को नये विकास की ओर ले जायेगा और नये छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना है वह इससे जरूर साकार होगी। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, मैं आपको और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूं, धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर):- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बजट को पढ़ने से सरकार का जो विजन है, सरकार जो उद्देश्य बताकर सत्ता में काबिज हुई और जिस भरोसे से लोगों ने इनको यहां पर इतने भारी बहुमत से चुनकर बैठाया, सरकार के उस एक भी उद्देश्य की पूर्ति होते इस बजट में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। पेंशन जो कि ग्रामीण अंचल के सबसे असहाय लोगों को मिलता है चाहे वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, मुख्यमंत्री पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सुखद सहारा पेंशन हो, राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन हो, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हो ये उसको बढ़ाने की बात किए थे और उसे अपने घोषणा पत्र में लाये थे लेकिन आज ये तीसरा बजट पेश कर रहे हैं लेकिन कहीं भी उन असहाय लोगों के लिए इनके दिल में जगह

नहीं दिखी न इनके बजट में उनके हितों के लिए कहीं कोई बात हुई। इसी तरह से इन्होंने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का झांसा दिया। इन्होंने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की बात की और वह तमाम लोग चाहे हम विद्यामितान की बात करें, साक्षर भारत में कार्यरत कर्मचारियों की बात करें, स्कूल के सफाई कर्मचारियों की बात करें या ग्राम पंचायत में काम करने वाले सचिव की बात करें या फिर मनरेगा में जो ग्राम सहायक, तकनीकी सहायक या जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी बात करें । यह चुनाव के पहले सबको चिट्ठी लिखकर, देकर आए थे कि चुनाव जीतने के बाद हम आपकी तमाम् समस्याओं को पूरा करेंगे, लेकिन यह तीसरे बजट के आते तक इन लोगों के हित में कुछ नहीं हुआ और हित में क्या, इन लोगों की तरफ नज़र डालकर भी यह सरकार नहीं देखी।

माननीय सभापति महोदय, अभी कोरोना काल आया था हम सब लोगों के लिए संकट का क्षण था और आज भी उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सरकार का निश्चित रूप से उस कोरोना के कारण आय कम हुआ होगा, अनेक परेशानियां आईं होंगीं, उसमें सरकार का व्यय भी हुआ होगा, लेकिन उस कोरोना काल पर सबसे ज्यादा कोई परेशान थे तो छत्तीसगढ़ के श्रम शक्ति, छत्तीसगढ़ के मजदूर थे जो काम की तलाश में इस प्रदेश से पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर रहे थे। सरकार उनको निश्चित रूप से वापस लायी, उनके लिए व्यवस्था की, उनको क्वारनटाईन किया, घर तक पहुंचायी, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया? कि पुन: उन मजदूरों को उनके प्रदेश, गांव में काम मिल सके, वह दूसरे प्रदेश, बाहर मत जाएं इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, आज सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा तो सरकार के पास इसलिए है क्योंकि वह कोरोना काल में वापस आयें। नहीं तो उसके पहले भी विधान सभा के प्रश्नों में कोई आंकड़ा पेश नहीं करता था, बल्कि बड़े गर्व के साथ बोलते थे कि इस प्रदेश को कोई मजदूर पलायन नहीं किये हैं। कोरोना काल में वापस आने के कारण आज उस पलायन के आंकड़े को सरकार यहां पर रख पा रही है। आज भी मेरा दावा है कि कोरोना काल में जितने मजदूर आएं उससे कहीं ज्यादा प्रदेश से बाहर काम, रोजगार की तलाश में, अपने बाल-बच्चों के पालन के लिए आज भी बाहर गये हैं। अगर सरकार उनको प्रदेश में रोककर, इस विषम परिस्थिति में उनके लिए काम नहीं खोज पा रही है, उनको रोजगार नहीं दे पा रही है तो यह सरकार की विफलता है। अगर सरकार को सबसे पहले बजट में प्रावधान करना था तो ऐसे मजदूर जो अपने श्रम की ताकत पर दो जून के भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनको पहली प्राथमिकता देनी थी। रोजगार गारण्टी के अलावा इनके पास कहीं कोई भी उनको रोजगार देने का अवसर नहीं है। जिनको भी ठेका दे रहे हैं तो बाहर के ठेकेदार आ रहे हैं। बाहर के ठेकेदार, मजदूर लाकर काम करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूर बाहर जाने को लालायित हैं।

माननीय सभापति महोदय, सत्तापक्ष के लोग, हमारे विधायक बड़े-बड़े गुणगान कर रहे हैं। अभी माननीय ममता दीदी बोल रही थीं कि यहां बढ़िया 9 कॉलेज खुला है, लेकिन अंत में उन्होंने अपने क्षेत्र

के लिए कॉलेज मांगा तो इस प्रदेश में कमी तो है। तीसरा बजट आ गया। आज सत्तापक्ष के लोगों की आवश्यकताओं को, जो वायदा करके आएं हैं, उनको पूरा नहीं कर पाएं हैं। चलिए आप हमारी बात को मत सुनिये, हमारी बात को मत मानिए, आपने तो हमारे क्षेत्र के लोगों को मतदाता, आम नागरिकों को अपने से दूर ही कर दिया है। भई यह विपक्ष के विधायक को जीताते हैं, हमारे दल के लोगों को नहीं जीताते, इसलिए आप लोग तो दूर ही कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ की जनता में शायद सरकार की नज़र में उनकी गिनती नहीं है, लेकिन इन लोगों की तो मांग सुन लीजिए। जो आपके पक्ष में है। आपको गद्दी में बैठाये हैं कम से कम इनकी बात सुननी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सरकार का यह बजट किसी भी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के हित में मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। नरवा,गरवा, घुरवा बाड़ी यह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और गौठान बनायेंगे। यह बात शुरू में सुने तो हमें बहुत अच्छा लगा कि गौठान बनेगा, गांव के लावारिस जानवरों को हम इसमें रख देंगे, चारा की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोलते थे तो एक मिनट का समय नहीं लगता था। हम गौठान बना देंगे, बढ़िया घेरा कर देंगे, वहां गांव में जो हार्वेस्टर में धान कटवाते हैं, वहां उसके पैरा को इकट्ठा कर देंगे। हम पैरा कुटी लगा देंगे, कुटी को काटा देंगे, बगल में चारागाह लगा देंगे, वहां घास रहेगा, वहां चरवाहा रहेगा, वहां कोटना में पानी रहेगा, वहां कोटना में पानी रहेगा और वहां जानवर को खाना खिलायेंगे, पानी पिलायेंगे। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने में एक मिनट नहीं लगता। लेकिन एक भी गोठान बता दें जहां पर जानवर रह रहा होगा, एक भी चारागाह बता दें जहां पर चारा दिख रहा होगा। गोठान बना है। कहीं भी यह महसूस नहीं हो रहा है। केवल स्ट्रक्चर और निर्माण कर रहे हैं और दो साल बाद इनका नरवा, गरवा, घुरूवा का भी असर उतर जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीद रहे हैं। गोबर के माध्यम से क्या किसी प्रदेश का विकास होगा? यह वर्मी कम्पोस्ट की बात करते हैं, क्या इन्होंने वर्मी कम्पोस्ट शुरू किया ? हमारे पूर्वज, हमारे किसान लोग उस गोबर से खाद बनाते थे। आज भी बना रहे हैं। सबके घर में घुरूवा है। उसको बनाते हैं और खेत में डालते हैं। यह कोई इस सरकार की देन नहीं है। बल्कि इन्होंने वर्मी कम्पोस्ट करके केवल पैसे का दुरूपयोग किया है। आज समूह की महिलायें वर्मी कम्पोस्ट बना रही हैं, कोई वर्मी कम्पोस्ट को खरीदने वाला नहीं है। अधिकारियों को दबाव डाल रहे हैं, अब गोबर नहीं खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगर आप एक क्विंटल गोबर खरीदोगे तो आपको 42 किलो वर्मी कम्पोस्ट देना होगा और उसको बेचवाना होगा, उसका पैसा भी लाना होगा। अगर यह काम नहीं करोगे तो आपको निलंबित कर दिया जायेगा। इस तरह से धमकी सरकार की तरफ से आ रही है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की सरकार है और नेता स्वयं किसान हैं। लेकिन किसान की चिंता कहां तक कर रहे हैं, 2500 रुपये तक है। उसमें भी बारी-बारी से राशि दी जा रही है ताकि इसको सही

दिशा में खर्च मत कर सको बल्कि शासकीय शराब की दुकान जगह-जगह में खुली है, केवल देशी ही नहीं बल्कि विदेशी शराब दुकान में जाकर उस राशि का दुरूपयोग करो।

माननीय सभापति महोदय, आज बीज उत्पादक किसान को 3 महीने धान बेचे हो गया है। उनको भुगतान नहीं मिला है। पूरे प्रदेश में जो भी किसान बीज का उत्पादन करते हैं। उनको केवल 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से एडवांश दिया गया है, बाकी का समर्थन मूल्य का भी पैसा उसको नहीं मिला है। पिछले साल की जो बोनस की राशि थी, राजीव गांधी न्याय योजना का 3 किश्त दिये हैं, वह एक साल बाद उन किसान लोगों को मिली और आज भी पूरा भुगतान नहीं हुआ है। यह किसानों की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, जहां-जहां नहर है, आप गर्मी में पानी दे दिये या ट्यूबवेल से लगाये हैं लेकिन खाद और बीज की व्यवस्था इस सरकार के पास अभी जो ग्रीष्मकालीन फसल लगाये हैं, उनके लिए नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। यह बोलते बड़ी-बड़ी चीज हैं। लेकिन इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को आप देखें तो यह पता लग जाता है कि सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है। आम आदमी जो सबसे नीचे जीवन यापन करने व्यक्ति मजदूर और किसान हैं, एक पटवारी के पास अगर अपनी जमीन का रिकार्ड नक्शा, खसरा, बी-वन लेने जाता है तो उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह नीचे स्तर पर जीवनयापन करने वाले मजदूर और किसान को भी मालूम है। उसकी शिकायत हम कहां करें? एक आदमी या तो तहसीलदार के पास जायेगा और अपनी क्षमता से और ऊपर उठ करके, अपनी सीमा को लांघ करके कलेक्टर के पास चला जायेगा, लेकिन सब चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। उसकी सुनवाई कहीं नहीं होना है, वह भटक रहा है। अगर न्याय पाने के लिए कोई लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है। आने वाले दिनों में उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा जो इनके प्रशासनिक तंत्र ने बनाया है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनको सरकार की तरफ से पागल घोषित कर दिया जायेगा। यह इनकी व्यवस्था है। आपका विजन, आपका उद्देश्य, आपका बजट कुछ भी हो लेकिन उसको लागू करने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग, लोगों तक उसको पहुंचाने वालो लोगों की अगर नियत सही नहीं है, अगर वहां भ्रष्टाचार है तो सरकार की किसी योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने कई उदाहरणों के माध्यम से सदन में इन चीजों को बताया है । अभी जब अनूपूरक में बोल रहा था तो आप 2200 रूपये के स्पेयर, 5800 रूपये में खरीदकर दिये हैं । यह एक सामान्य सा उदाहरण है । जांजगीर-चांपा जिले में डी.एम.एफ. की जो राशि है, हम लोगों को 4-4 करोड़ दे दिये, विधायक लोगों को, 6 विधायक यानी 24 करोड़ हो गया, 30 करोड़ हो गया, कुछ मुख्यमंत्री महोदय ने बांट दिया, कुछ प्रभारी मंत्री ने बांट दिया लेकिन 130 करोड़ का क्या हुआ ? 130 करोड़ में इन्होंने साढ़े 6 लाख रूपये का यात्री प्रतीक्षालय बनाया, जिसकी लागत केवल 2 लाख रूपये है । इसको किसने बनाया ? एजेंसी, ग्रामपंचायत लेकिन रायपुर के ठेकेदार ने जाकर उसको बनाया और सीधे-सीधे भुगतान लिये । यह इनकी व्यवस्था है, कहां-कितना बचे ? कितना जेब में जाये ? और बोलते भी

हैं, यह तो बड़े दुख की बात है, कार्यकर्ता लोग बोलते भी हैं कि 15 साल बाद सरकार में आये हैं । बढ़िया है, आप 15 साल बाद सरकार में आये हो तो अच्छा काम करो, पुन: सरकार में आओगे और 15 साल बाद आये हो तो 15 साल का रिकॉर्ड रखे उतना 5 साल में कलेक्शन करना चाहोगे तो फिर आप कैसे सरकार में आओगे ? फिर कैसे लोग आपको चाहेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह जो बजट है । यह न तो किसी के हित में है, न किसानों के हित में है, न बेरोजगारों के हित में है । जो व्यावसायिक व्यक्ति हैं यह न तो उनके हित में है । पूर्णरूपेण लॉलीपाप वाला और यह कागज का पुलिंदा बजट है, मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये धन्यवाद ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती छन्नीचंदू साहू :- XX XX

श्री राजमन वेंजाम :- XX XX

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- लालजीत भैया, ए गब्बर टैक्स तुंहरो इंहा हे ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- मोर इंहां नइ हे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पूरा छत्तीसगढ़ में गब्बर टैक्स के बहुत चर्चा हे ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, हमर माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा वर्ष 2021-2022 के बजट जोन हा लाने हे, 97,106 करोड़ के जोन हा हमर छत्तीसगढ़ के विकास बर, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग बर, छत्तीसगढ़ के किसान मन बर, सब बर ए बजट आए हे, ऐकर बर मैं हा ओकर समर्थन करत हंओं ।

माननीय सभापति महोदय, हमर मुख्यमंत्री जी हर छत्तीसगढ़ के किसान मन बर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् 5703 करोड़ बजट में प्रावधान रखे हे। हमर छत्तीसगढ़ के किसान मन के अभी धान खरीदी जोन हर होए हे, 21 लाख 29,000 किसान मन पंजीयन कराये हैं अऊ हमन सन् 2019-20 में देखन तो 83 हजार 94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होए रिहिस अऊ 21 हजार किसान

मन हा ए साल पंजीयन कराए हें अऊ जेन में 90 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी ए साल होए हे और सबसे बड़ी बात किसान मन ला सुविधा पहुंचाये बर पहले 1994 धान खरीदी केंद्र रिहिस हे, अभी 311 धान खरीदी केंद्र ला बढ़ाके 2305 धान खरीदी केंद्र करे गे हे तो यह किसी न किसी तरह हमर किसान मन ला सुविधा पहुंचाये के, लाभ पहुंचाये के योजना लाने हे । आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् भले ही किस्त में ओमन ला अंतर के राशि मिले हे लेकिन हमर छत्तीसगढ़ के तीज-त्यौहार है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- राठिया जी, ये सारी बातें बता दी गई हैं और कुछ नया है तो उसको बताइए ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- यहीच हर तो नया हे हमर छत्तीसगढ़ बर । किसान मन ला आप मन 2100 रूपया धान के देबो कहे रहा । 300 रूपया बोनस देबो कहे रहा । जौन नइ दे पाए हौ अउ जोन ला हमर मुख्यमंत्री दिस ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- और बेरोजगारी भत्ता ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अउ दू साल के ला तुमन देबो कहे रहा ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- जे काम ला तुमन 15 साल मा नइ करेव ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- ये गोठ हा नया हे के पुराना हे । (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- एखर बाद नया गोठ भी बताना है ।

सभापति महोदय :- कृपया बैठिये ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- जे काम ला तुमन 15 साल में नइ करेव, ओला हमर सरकार करत हे, उही ला बतावत हे ।

श्री लालजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, चंद्रा जी, अभी हमर मुख्यमंत्री डी.एम.एफ. के बात करत रिहिस हे । पिछले कार्यकाल में तो डी.एम.एफ. फंड का होत रहिस हे ओला चंद्रा जी नइ जानत रिहिस हे । अभी तो कम से कम 4 करोड़ रूपया मिले भी हे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- डी.एम.एफ. फंड से 80 प्रायमरी स्कूल, 19 मिडिल स्कूल, 13 हाईस्कूल, 19 हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 5 उप स्वास्थ्य केन्द्र मेरे क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में मैंने बनवाया है डी.एम.एफ. फंड से ।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्रा जी आप बैठिये, आप अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अभी आपने ही कुबूल किया कि आपको 4 करोड़ रूपए मिले हैं । ओमा का का बनाए हे हमर मुख्यमंत्री, आप मन ला सदस्य बनाए हे। तेहू ला अपन बजट भाषण मा बखान कर दे रहितेव । क्या-क्या चीज के लिए प्रस्ताव दिये थे ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बराबर नहीं है वह चार करोड़ । 4 करोड़ ला कइसे बांटही ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आपका ढाई साल का कार्यकाल है, इसके पहले भी आपको मिला होगा, आप वह बता दें । सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी के राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को फायदा हुआ है । आज जैसे जैसे किसानों को इस योजना का लाभ मिला है हमारे यहां के व्यापारियों के घरों में सोना, चांदी, गहने, जेवर, कपड़े, मोटरगाड़ी आ गई है । खाद बीज दुकानों में गया है जिससे किसानों के साथ-साथ दुकानदारों की आमदनी बढ़ी है । मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले और पूरे प्रदेश में ग्रीष्म कालीन फसल के लिए मुफ्त में बीज वितरण कराया है, उड़द, मक्का, दलहन, तिलहन का बीज मिलने से उन्हें खेती बाड़ी में सहुलियत मिली है । स्पेयर, टंकी, दवाई वगैरह वितरण कराया गया है । छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह हमारे मुख्यमंत्री जी की विचारधारा और सोच है । मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषि जीवन ज्योति योजना के तहत 25 सौ करोड़ रूपए बजट में शामिल किया गया है । कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़ रूपए की योजना लाई गई है । मुख्यमंत्री जी के द्वारा नदी तट से पानी लिफ्ट कराने के लिए योजना लागू की गई है जिससे किसान लोग नदी नाले से पानी लिफ्ट करके अपने खेतों तक पहुंचा सकते हैं । हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी बैठे हैं ननकीराम कंवर जी । ये जानते हैं इनके क्षेत्र में कितने नदी नाले हैं और ये कैसे सिंचाई करते हैं ? पड़ोसी विधायक हैं इसलिए बता रहा हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं जिन्होंने पिछली बार 9 तहसीलों का गठन किया था और इस बजट में 11 तहसीलों का गठन किया है । जिसमें हमारे जिले से छाल और सरिया को शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त 5 अनुविभागीय कार्यालय को भी इस बजट में शामिल किया गया है । सभापति महोदय, अधोसंरचना विकास के कार्य में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है । हमारे विपक्ष के विधायक साथी कहते हैं कि कुछ नहीं है । मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है । जिसमें हम विधायक साथियों को निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिली है । मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत बहुत से निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिली है ।

सभापति महोदय :- सभा के भोजनावकाश में 2 बजे तक की वृद्धि की जाती है, मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, आज हमर गांव देहात में जो पहाड़ी वनांचल क्षेत्र है, वहां मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से..।

सभापति महोदय :- माननीय राठिया जी समय का ध्यान रखेंगे। समाप्त करें।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- बिल्कुल-बिल्कुल महोदय। आज हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क पुल-पुलिया के निर्माण, आज मोर क्षेत्र में दू ठीक बड़े-बड़े पुल-पुलिया के निर्माण के स्वीकृति मिले हे।

सभापति महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- बस, 2 मिनट में बात खत्म करथव। एक मिनट बांधी जी। मोर क्षेत्र में जो घोषणा होये हे, स्वीकृति मिले हे..।

श्री शिवरतन शर्मा :- राठिया जी, लेना सब ठीक हे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- दू ठीक बड़े-बड़े पुल के निर्माण के स्वीकृति होये हे। मांड नदी में। ओखर बर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देथौ अउ 200 करोड़ के अभी हॉस्टल बिल्डिंग और सड़क मन के स्वीकृति मोर जिला में आके पूरा करे हे, ओखर बर में माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहथौ।

सभापति महोदय :- राठिया जी, कृपया समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- राठिया जी, मुख्यमंत्री जी जहां बइठे हे जा उहां धन्यवाद देके आबे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- का होथे बबा, सब बात में धन्यवाद देवथौ तो।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो जाना धन्वाद देके आ जाना। अपन भाषण ला बंद कर। जा कमरा में धन्वाद देके आ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक ठीक बुके लेके जाबे। रूखा सूखा झन जाबे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- मेहा पहली बुका-वुका दे डारेवहव। अउ काम ह चालू घलव होगे हे।

सभापति महोदय :- राठिया जी, कृपया समाप्त करें।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, गोठान। गोधन न्याय योजना के तहत 197 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री जी लागू करे हे। गोधन न्याय योजना के तहत गांव-गांव में महिला स्व-सहायता समूह मन उहां बइठ के अपन दोना पत्तल और अगरबत्ती ए सबके निर्माण करथे। हमर मुख्यमंत्री जी हा ओमन ला मिनी राइस मिल भी देहे। आप मन सुने नहीं होहू इहां। गोबर से लकड़ी घलव बनथे करके।

सभापति महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- धन्यवाद सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- 5 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- 5 मिनट ले ज्यादा मत बोलबे डॉ. साहब।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 का जो हमारा वार्षिक बजट है, यह पूर्णत: अव्यवस्थित बजट है और इससे छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होने वाला है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- डॉ. साहब, एक मिनट। आप मन के तो 82 हजार करोड़ के बजट रहिसे। हमर तो 97 हजार 106 करोड़ के बजट हे। ओला घलौ ध्यान दिलाबे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 5 मिनट में बोलन दे। तहूं ले ले अनुमति। सभापति महोदय, टाइम बढ़ा देबे। ये गढ़बो छत्तीसगढ़ वाली बात करते हैं और ये छत्तीसगढ़ ला भोंदो बातचीज बजट हे। इससे छत्तीसगढ़ बढ़ ही नहीं सकता, ये भोंदने सिवाय और कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कांग्रेस ने जनता को अपने घोषणा पत्र का जो विश्वास दिलाया था और उनके घोषणा पत्र में लोगों को विश्वास भी था। उस घोषणा पत्र में ये जनता के विश्वास के लायक भी नहीं रह गये। इनका जो बजट है, उसके विश्वास के लायक भी नहीं रह गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वर्ष 2003 के घोषणा पत्र के भी बता एला।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- ऐसा है वर्ष 2019 और 2020 का जो बजट था, उसमें बहुत सारी चीजें बजट में स्वीकृत हुईं। उसका कोई भी कार्यादेश या कुछ भी जारी नहीं हुआ और आज भी वह बजट में है। हम इनके ऊपर कैसे विश्वास करे? इनका जो पूरा वार्षिक बजट है, माननीय हमारे वक्ताओं ने, हमारे माननीय रमन सिंह जी ने कहा कि राजस्व व्यय कितना है और पूंजीगत व्यय कितना है? उस पूंजीगत व्यय जिसमें से आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार के राजस्व की प्राप्ति नहीं होने वाली है, ऐसी कल्पना की गयी। सभापति जी, यह जो बजट है, वह कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को भोंदने वाला बजट है। सभापति महोदय जी, अंत्यावसायी निगम। जो अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक विकास करने के लिए बजट दिया जाता है, विशेष घटक का भी बजट आता है । इसमें अनुसूचित जाति के लोगों का विकास करने के लिए कितना बजट रखा गया ? अनुसूचित जाति के वर्ग को भोंदने के लिए और कोई दूसरा बजट नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की संख्या 13 प्रतिशत है । बजट में 13 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित की गई है । आपकी सरकार में तो आरक्षण खतम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया था ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, अब डहरिया जी ने आरक्षण की बात कह दी । यही लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के पास जाकर विश्वास दिलाते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए 16 प्रतिशत का प्रावधान करेंगे, ऐसा छाती ठोककर आते थे । लोगों में इतना भ्रम पैदा करके रखते थे और यह अनुसूचित जाति का मंत्री भी है तो उनके साथ न्याय नहीं किया, उनको धोखा दिया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, अनुसूचित जाति के आरक्षण की कटौती में आपने भी दस्तखत किया था ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, आज भी नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात करते हैं । आधा प्रतिशत देकर वाहवाही लूटते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, अनुसूचित जाति के आरक्षण की कटौती में इन्होंने भी दस्तखत किया था और बाजू वाले को बोले कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मुझसे लिखवा लिये, मुझे पता ही नहीं चला ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, आप जनता के बीच में अनुसूचित जाति के लोगों को झूठा आश्वासन देकर आये थे । उसका परिणाम क्या हुआ ? जब आपकी सरकार आई तो उनके साथ न्याय करना चाहिए था । आपने उनको धोखा दिया इसीलिए पूर्णत: यह अनुसूचित जाति के साथ धोखा है ।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति अंत:व्यवसायी निगम जो अनुसूचित जाति के लिए सामाजिक, आर्थिक विकास की बात करते हैं । उनको कितना बजट दिया गया, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ विश्वासघात किया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- डॉ. साहब, पहले आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि हमने अनुसूचित जाति के आरक्षण में अन्याय किया था । आपकी सरकार ने उनके साथ अन्याय किया, आरक्षण कम किया, उसको पहले सदन में स्वीकार करिए न ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, हमने अनुसूचित जातियों के लिए गिरौधपुरी में काम किया, आप केवल बात करते रहे । आज जितना भी स्वरूप दिख रहा है, वह डॉ. रमन सिंह जी की कल्पना का स्वरूप देखने को मिल रहा है । (मेजों की थपथपाहट) यह जो पूरा बजट है, उसके बारे में माननीय अजय चन्द्राकर जी ने अपने बजट उद्बोधन में अपनी बात कही थी कि यह दुर्ग संभाग का बजट है । वास्तव में यह दुर्ग जिले का बजट दिखता है । ऐसा कहीं नहीं है कि बिलासपुर जिले में, बिलासपुर संभाग में कितना काम हुआ । कुल मिलाकर ये लोग किसी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं । इनका जो बजट है, जिस बजट से, जिस राजस्व से इनको और प्राप्ति होगी, ऐसे सेवा के क्षेत्रों में इनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, केवल नरवा, गरूवा, घुरूवा और बारी की बात करते हैं ।

सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र में जी.डी.पी. से हमारा बहुत लाभ होता है । आप उनके लिए क्या कर रहे हैं ? केवल नरवा, गरूवा, घुरूवा और बारी, चलो संगवारी गोबर सेतबो संगवारी । गोबर सेतने का काम कर रहे हैं । इनकी कल्पना शक्ति इतनी है कि गोबर सेतने का काम कर रहे हैं । पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने कितना काम किया है ? बल्कि इस बजट में गरीबों के साथ और अन्याय कर रहे हैं । जिस बजट में प्रधानमंत्री आवास में मैचिंग ग्रांट देना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास का मैचिंग ग्रांट का मामला दो साल से लंबित पड़ा है । आवास का काम नहीं हो रहा है, उन गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है तो

कईसे गढ़बो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कैसे गढ़ा जा सकता है ? किसानों के हित में कोई ठोस उपाय नहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ को कैसे गढ़ा जा सकता है ? केवल भोंदने वाली बात है, केवल एक वातावरण बनाना कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया क्योंकि सबले बढ़िया कहने वाले भोंदने वाले लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़िया को भोंदने का काम कर रहे हैं । मेरा यह कहना है कि जो पूंजीगत व्यय है.

संसदीय सचिव, पंचायत मंत्री से सम्बद्ध (श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर):- सभापति महोदय, 2003 के चुनाव में आप मन केहे रेहेव कि आदिवासी भाई मन ला जर्सी गाय देबो, देव का ? 2008 के चुनाव में 270 रूपिया बोनिस देबो, केहे रेहेव, देव का ? 2013 के केहे रेहेव कि 300 रूपया बोनस देबो, देव का ? 2100 रूपिया में धान खरीदबो, केहे रेहेव, खरीदेव का ? तब यह सब झूठ बनाए के काम आप शुरू करे रेहेव । तेकर कारण 14 झन में आ गे हव ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चन्द्राकर जी, मोर बात ला सुन ले । हमर गोठ ला तै गोठियावत हस न । बहुत से काम ला नहीं कर पायेन तो एति आ गेन । तहूं ला एति आना हे का, एला बता । एति आना हे तो अच्छा हे, काम ला झन कर ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इधर तो पूरा काम हो रहा है । राजीव गांधी न्याय योजना में एक एकड़ में 10 हजार रूपए दे रहे हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा ही काम कर रहे हैं । उसी का परिणाम है कि हमारी पार्टी का दो सीट और बढ़ा है।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- हमर मुख्यमंत्री जी अइसन काम करथे कि हमन ला ओती जाए कि जरूरत ही नहीं पड़य । अब बल्कि आप मन कम होने वाला हव ।

श्री शैलेश पांडे :- सभापति महोदय, जो संकल्प-पत्र बनाया गया था, उसमें आदरणीय बांधी जी को समिति में नहीं रखा गया था इसलिए उनको नहीं पता है कि क्या-क्या लिखा गया था ।

सभापति महोदय :- शैलेश जी, कृपया बैठिये। (हंसी) जल्दी दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आज पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश सेंसीटिव चल रहा है। कोरोना को लेकर चल रहा है। आपने देखा होगा कि इसमें कोरोना को लेकर बहस भी चली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जितने पद हैं, करीब-करीब 40 प्रतिशत लोग हैं जो अभी पद में भरा नहीं गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ. नहीं जा रहे हैं। सी.एच.सी. में पर्याप्त नहीं है। उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरने की कोई कल्पना नहीं की गयी है। पदोन्नति नहीं दी जा रही है, संविदा भर्ती पर काम चलाया जा रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, डॉ. साहब आप बतायेंगे कि यह रिक्त पद केवल दो साल का है क्या ? आप यह जो रिक्त पद का आंकड़ा दे रहे हैं, यह रिक्त पद केवल दो साल में हुआ है क्या ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- ऐसे में कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार आयेगा।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- डॉ. साहब आउटसोसिंग में नहीं भरे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- दो साल से भरे भी तो नहीं हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप दो साल के रिक्त पद को बताईये ना। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इन्होंने गंगाजल पकडकर किया कि जो भाजपा की सरकार नहीं कर सकी (व्यवधान) उस गंगाजल को लेकर कसम खाकर (व्यवधान) गंगाजल को बदनाम कर दिया। आपने सौगंध खाया था कि जो भाजपा नहीं कर सकी उसको हम करके दिखायेंगे। (व्यवधान) आपने तो बेरोजगारों को भी रोजगारी भत्ता देने के लिए छल दिया। बेरोजगार तो आज भी धोखे में हैं। अगले चुनाव में देखेंगे बोल रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप दो साल और 15 साल के रिक्त पदों को बताईये ना। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिये।

श्री शैलेश पांडे :- हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डॉ. आने वाले हैं और जल्द ही नियुक्ति हो जायेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

सभापति महोदय :- शैलेश जी, कृपया बैठिये। माननीय डॉ. साहब अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- डॉ. साहब, तीन ठन मेडिकल कॉलेज खुले ला जात हे गा। परसों घोषणा करिस हे। 300 करोड़ के बजट अऊ दिस।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह सेंट्रल से हुआ है, सेंट्रल से।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- 60 प्रतिशत ओखर हरे, 40 प्रतिशत हमर हरे गा। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, कृपया व्यवधान न करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जिस नीति में सेंट्रल राशि देगी, 15 साल में 40 प्रतिशत आप भी कर सकते थे। (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- आप भी कर सकते थे, नहीं किये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय चंद्राकर जी, केन्द्र सरकार ने अभी नीतिगत निर्णय किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उस नीतिगत निर्णय के अंतर्गत यह खुल रहा है। आपका कोई पुरूसार्थ या सरकार का कोई पुरूसार्थ नहीं है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- तो 100 प्रतिशत में खुलवाईये न भैया। (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- एक काम करव ना गा, मोदी जी ला पत्र लिख के सब जगह खुलवा देवव न गा। (व्यवधान)

श्री शैलेश पांडे :- अभी केन्द्र सरकार पर आ गया, अब केन्द्र सरकार की बात कहने लगे। अभी आरोप उपर आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, कृपया बैठिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अऊ तीन हजार स्कूल ला बंद करे हव, क्यों शर्मा जी, बेचे के काम करत हव खाली, खोले के काम नई होवत हे। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, नगरपालिका नगर क्षेत्रों में नये-नये क्षेत्रों को शामिल किया गया। नगर पालिका में नगर निगम क्षेत्रों में जिन-जिन पंचायतों को शामिल किया गया। सरकार की हठधर्मिता के साथ उसको शामिल किया गया। यहां तक कि स्थिति बना दी, यहां तक का प्रवचन है कि कचरा उठाने की तक की व्यवस्था नहीं है। यह कैसा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। नये-नये क्षेत्रों को शामिल किया गया। उसके बजाय भू माफिया को ऐसा जखीरा आ गया है कि जमीन की अफरा-तफरी मची हुई है। इस स्थिति में है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, भूमि माफिया के ऊपर से दो साल की शिकायत और 15 साल की शिकायत आप निकलवा लीजिए। किसकी सरकार में भूमि माफिया की कितनी शिकायत शासन और कलेक्टर को प्राप्त है। स्पष्ट हो जायेगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 61 झन के ला तो कुछु नई कर सकेव भाई।

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये। कृपया जल्दी समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय जी, नजूल की जमीन को नियमितीकरण करेंगे। ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया लेकिन उस नजूल की जमीन को नियमितीकरण करके चिन्ह-चिन्ह करके कर रहे हैं, देख-देखकर कर रहे हैं, मुंह देख कर रहे हैं और हजारों आवेदन लंबित पड़े हुए हैं, उस पर विचार नहीं हो रहा है, ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। ये बोरबो वाला है।

श्री बृहस्पत सिंह :- डॉ. साहब देने वाले का मुंह कैसा रहता है, लेने वाले का मुंह कैसा रहता है, ऐसा कुछ है क्या ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सिंचाई में अभी बहुत सारे एनीकट बने हुए हैं। एनीकट में लिफ्ट एरिगेशन में कृषि के क्षेत्र में अभी कोई प्रावधान नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय बांधी जी, कृपया समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, चलिये धन्यवाद।

श्री राजमन बेंजाम (चित्रकूट) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2021-22 के बजट में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार की जो बजट है, यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ब्रम्हास्त्र है। मैं बस्तर से आता हूं, हमारे बस्तर के आदिवासी की संस्कृति प्राचीनकाल से लेकर रियासत और वर्तमान काल में विश्व में एक विशिष्ट स्थान रखती है। पिछले दो

सालों से हमारे बस्तर के आदिवासी अपनी रीति-रिवाज और परंपरा को स्थापित करने में हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं पिछले सरकार की बात बताना चाहता हूं। मेरे विधानसभा की जो 10 गांव है, पिछली सरकार ने 15 साल तक 10 गांव के लोगों को खून के आंसू रूलाये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार के मंत्रिमंडल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 10 गांव के आदिवासियों की जमीन, जिसे टाटा के लिए अधिग्रहित किये थे, उस जमीन को वापस दिलाकर किसानों के चेहरे में खुशियां लाई हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने उस 10 गांव के खेत जो वीरान पड़े थे, जो वर्षों से सिंचित फण्ड से 15 सालों से बंद पड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री की पहल, वहां के जिला प्रशासन ने पहल करके इन्द्रावती नदी से पानी लेकर उन जमीनों को सिंचित करने की व्यवस्था की है, मैं इसके लिए पूरे मंत्रिमण्डल और पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा बस्तर पूरा खनिज और वन सम्पदा से भरा है। वहां के आदिवासियों का जीवन वन सम्पदा पर ही आधारित रहता है। पिछली सरकार ने वहां के तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए एक योजना चालू की थी, उस समय की भा.ज.पा. की सरकार ने एक चरण पादुका वितरित करने की योजना चालू की थी। उस योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि योजना तो लागू किये थे, लेकिन एक व्यक्ति को एक पैर के लिए 10 नंबर और दूसरे पैर के लिए 5 नंबर का चरण पादुका देते थे, जो किसी काम का नहीं रहता था। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा तेन्दूपत्ता के लिए 4 हजार रूपया करके आदिवासियों की खुशहाली के लिए कार्य किया है। हमारा पूरा बस्तर जिला मलेरिया के चपेट में रहता था। गांव में आधे से ज्यादा, मतलब अधिक से अधिक लोग मलेरिया से बीमार रहते थे। लेकिन हमारी सरकार आते ही मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाकर 60 से 70 प्रतिशत मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी की है। मैं इसके लिए पूरे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा बस्तर जिला पिछले 15 सालों से कुपोषण से जूझ रहा था। वहां के लोगों का सुध लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बस्तर में कुपोषण मुक्त अभियान चलाने से वहां कुपोषण में कमी लाई है। मैं वहां के जिला प्रशासन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जो अभियान चलाया है, मैं उसके लिए वहां के जिला प्रशासन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज वहां के युवा लोग पूरे बस्तर में नि:स्वार्थ भाव से कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और वहां शिक्षा की बहुत कमी है। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं, मेरे क्षेत्र में 4 विकासखण्ड बास्तानार, लोहण्डीगुड़ा, तोकापाल और दरभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में मेरे चारों ब्लाकों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल खोलकर वहां के छात्रों के लिए सुनहरा भविष्य का मार्ग सुनिश्चित किया है। मैं इसके

लिए वहां के क्षेत्र के लोगों और मेरी स्वयं की ओर से पूरे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा (अनुपस्थित) श्री शिवरतन शर्मा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ की पांचवी विधानसभा का यह तीसरा बजट है। संख्या बल और बहुमत की दृष्टि से भूपेश बघेल जी सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा प्रस्तुत पांचवी विधानसभा का यह अंतिम बजट है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अंतिम बजट कहा जाना ये घोर आपत्तिजनक है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- ये धमकी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं जब 9वीं में पढ़ता था तो जो मेरे एकाउंट के शिक्षक थे वह एकाउंट को सरल भाषा में समझाने के लिए

श्री बृहस्पत सिंह :- अंतिम बजट किस हिसाब से कहा इसको भी समझा दीजिए ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब वह आपके समझने का विषय है। मैंने विषय दिया है उसको सोचो, समझो क्यों अंतिम बजट है भूपेश बघेल जी का वह सोचना।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर समझदारी होती तो आपसे क्यों पूछता। आप बता तो दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारे शिक्षक दो बात कहा करते थे। पहले लिख पीछे देख काम पड़े पुस्तक देख। और दूसरा अर्थ के लिए बोलते थे कि अर्थ का पैसे का क्या महत्व रहता है तो पैसा न रहे पास और मेला लगे उदास। और ये पैसा न रहे पास और मेला लगे उदास यह बजट इस छत्तीसगढ़ की जनता को इस कहावत को चरितार्थ करने वाला है। इस सरकार के पास काम करने के लिए कुछ है नहीं तो बजट भाषण में ऐसे विषयों को पढ़ा गया है जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ की परंपरा है, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहारों का उल्लेख है। इसमें 171 नंबर के बिन्दु में लिखा है कि विलुप्त हो रहे हरेली, तीजा-पोरा, गौरा-गौरी, मातर और गोवर्धन पूजा जैसे त्यौहारों के सार्वजनिक आयोजनों से इन त्यौहारों का गौरव को पुनर्स्थापित किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जिन त्यौहारों का उल्लेख किया गया है उसमें से कौन सा त्यौहार विलुप्त होने की स्थिति में आ गया है। आज आप छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में चले जाओ हरेली त्यौहार का सार्वजनिक रूप से आयोजन होता है। हर किसान अपने मवेशी को लोंदी खिलाने के लिए सार्वजनिक रूप से सब एक साथ दैहान में जाते हैं। तीजा का त्यौहार देखना हो तो शासन की कोई भूमिका नहीं रहती। हर बेटी और बहन अपने मायके जाती है और यह परंपरा है सरकार का इसमें क्या योगदान है। हॉ एक परंपरा की शुरूआत की कि गौरा-गौरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोंटा खाने की शुरूआत की। पर इसमें सरकार की क्या भूमिका है। गौरा गौरी किसी जमाने में तो केवल छत्तीसगढ़ के

आदिवासी समाज के द्वारा इसका आयोजन होता था। आज तो गौरा गौरी के कार्यक्रम में समाज का हर व्यक्ति शामिल होता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- छुट्टियां देकर महत्व तो बढ़ाया ना। आपने तो महत्व भी नहीं बढ़ाया।

श्री शिवरतन शर्मा :- गोवर्धन पूजा सामाजिक रूप से पूरे लोग मनाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- दो बार वह महादेव घाट पुन्नी नहाने गये थे, इस साल महादेव घाट पुन्नी नहाने नहीं गये। उनको पाप लगेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो बजट में करने को कुछ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहारों को पुर्नस्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार न कभी खत्म हुए हैं न कभी ये विलुप्त हो सकते हैं और आप इसका उल्लेख कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप जिस भाव के साथ और जिस ताव के साथ बोल रहे हैं ना उसका असली मकाद चंद्राकर जी समझते हैं। न आप कभी सोंटा खाये हो, सोंटा खाने का मतलब यह रहता है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की सलामती के लिए, यह एक ट्रेडिशनल सोच है। उसको आप समझेंगे नहीं। आप जो बोल रहे थे कि पैसा पास न हो तो मेला लगता है उदास। तो मैं बोलता हूं कि दिल को न करो उदास, काम भर का पैसा है अपने पास।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परंपराओं को आपसे ज्यादा अच्छे ढ़ंग से जानता हूं क्योंकि सारे आयोजनों में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा तें गेंड़ी चढ़े हस।

श्री शिवरतन शर्मा :- हॉ बिल्कुल, तोर संग और मुख्यमंत्री संग गेंड़ी चढ़े बर मैं कांपीटीशन करे बर तैयार हों कि कौन ज्यादा तेज चल सकथे।

श्री अमरजीत भगत :- तोर आगे सीट वाला ले पूछ लेबे कि कभी गेंड़ी चढ़े हे का।

श्री शिवरतन शर्मा :- पांचवें नंबर में उल्लेख किया गया है कि हमने संक्रमण की रोकथाम तथा उपचार के लिए त्वरित निर्णय लिये। स्वास्थ्य विभाग के लिए 670 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की। 06 आर.टी.पी.सी.आर. लैब और 18 ट्रूनॉट लैब की तत्काल स्थापना की। छत्तीसगढ़ जैसे बड़े प्रदेश में संभागीय मुख्यालय में आर.टी.पी.सी.आर. लैब की व्यवस्था करने में आप नाकाम रहे और आपने 6 की व्यवस्था भी की तो कब की? प्रत्येक जिला मुख्यालय में आप ट्रूनॉट लैब की व्यवस्था नहीं कर पाये और उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आपने आज ही प्रश्नकाल में बताया, कोविड के लिए आबकारी में अतिरिक्त शुल्क लगाया। लगभग 500 से 550 करोड़ रूपये का कलेक्शन आप स्वीकार कर रहे हैं और आपकी गंभीरता बताती है कि आप काम करने में कितना इंट्रेस्ट रखते हैं कि कोविड का एक पैसा स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित नहीं हुआ। (शेम-शेम की आवाज) आप प्रश्न के जवाब में बता रहे

हो कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना और अभिसरण के लिए इस राशि का खर्च किया जायेगा। इसमें कहां से कैसा कलेक्शन किया जाये, इसका कैसे दुरूपयोग किया जाए। यह आप कर रहे हो।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय शर्मा जी, आप भाषण की शुरूआत ठीक कर रहे हैं, लेकिन कोविड के मामले में जो बोल रहे हैं उसमें भारत सरकार का भी दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है अन्य राज्यों बिहार...।

श्री ननकीराम कंवर :- आप अन्य राज्यों की बात छोड़िए, आप अपनी तरफ देखिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, हम बिहार में जाते हैं तो वहां सबको नि:शुल्क वैक्सिन लगवाने की बात करते हैं और उनको छत्तीसगढ़ से क्या ऐसी नाराजगी है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में भी कोविड का नि:शुल्क वैक्सिन लगेगा। आपकी उम्र 60 साल हो गई है। आप पंजीयन करवा लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि अगर भारत सरकार वैक्सिन नहीं लगवाएगी तो हम अपने राज्य में वैक्सिन लगवाएंगे, लेकिन भारत सरकर की क्या नैतिक जवाबदारी होती है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने नई योजना की शुरूआत की और नई योजना का नाम दिया गोधन न्याय योजना। हम गोबर खरीदेंगे। यह 80 करोड़ रूपये का गोबर खरीद चुके हैं और 80 करोड़ रूपये का गोबर खरीदने के बाद एक अलग कॉलम में बताया जा रहा है कि 977 लाख रूपये का वर्मी कम्पोस्ट बनाकर बेचा गया। 977 लाख मतलब, 10 करोड़ से कम का भी वर्मी कम्पोस्ट बना है 70 करोड़ का गोबर पड़ा हुआ है और जहां तक मुझे जानकारी है मैं किसान हूँ। अगर 3 महीने तक गोबर का उपयोग न किया जाए तो वह गोबर फिर वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यह इनकी गोधन न्याय योजना है।

माननीय सभापति महोदय, मोर घर आबे। मैं मूल रूप से किसान हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय महाराज, आप गोबर-वोबर बेचे हैं या नहीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं गोबर नहीं बेचा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय ऐसा क्यों ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं खाद के रूप में अपन खेत में उपयोग करथो।

श्री अमरजीत भगत :- अगर आपको गोबर बेचने में कोई दिक्कत होगी तो आप बताईयेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों में पौनी पसारी योजना शुरू की गई।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय शर्मा जी, आप बहुत माननीय हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा, आपके खाते में अभी तक कितना पैसा आया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसमें भी बोलूंगा। आप चिंता मत करिये।

माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों में पौनी पसारी योजना शुरू की गई थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रूलर इण्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना की जायेगी। छत्तीसगढ़ के कल्चर में पौनी पसारी लगाना। यह जो सरकार बार-बार पौनी पसारी की बात करती है मैं विधायकों की बात तो दूर है, आधे मंत्री पौनी पसारी क्या है, यह नहीं समझते हैं। आधे मंत्री नहीं बता सकते कि पौनी पसारी में क्या-क्या करना है। आप तो हर नगरीय निकाय में पौनी पसारी का हाट बनाने वाले थे ? हर ग्रामीण क्षेत्र में पौनी पसारी के लिए मार्केट बनाने वाले थे। यह कितने में बने, जरा यह बता दें ? माननीय डॉ. रमन सिंह जी की अवधि में जो योजना शुरू हुई थी उसमें गांवों में पौनी पसारी के लिए बहुत से स्थानों में धोनी और नाई के लिए दुकान बनाकर दी गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब राजीव गांधी न्याय योजना में अपनी बात कहना चाहता हूँ। यह बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने राजीव गांधी न्याय योजना लागू की। यह राजीव गांधी न्याय योजना नहीं है। राजीव गांधी जी के नाम पर छत्तीसगढ़ के लगभग 30 लाख किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आपको राजीव गांधी न्याय योजना लागू करना है तो छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 48-50 लाख है। अगर आपको राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ देना है तो आप शतप्रतिशत किसानों को दीजिए। आप केवल उन्हीं किसानों को लाभ दे रहे हैं जिन किसानों ने धान बेचा। अगर राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय शर्मा जी, आपके उद्‌बोधन में यह भी बता दीजिए कि भारत सरकार जो एम.एस.पी. दर निर्धारित करती है वह कौन-कौन से राज्य में खरीदे हैं आज आपके पास आधे से अधिक राज्य हैं। वहां एम.एस.पी. दर पर धान खरीदी हो रही है क्या ? आप एम.एस.पी. दर का ही मान लीजिए। राजीव गांधी न्याय योजना की बात छोड़िए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय बृहस्पत सिंह जी ऐसा है कि आप आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़िए। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 12 रूपये किलो धान।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक वर्ष में भारत सरकार ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपये की केवल समर्थन मूल्य में धान खरीदी की है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(2.00 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3:00 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)**

<u>वित्तीय वर्ष 2021-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय चन्द्राकर जी ने अरूण भैया को इतना छेड़ दिया है कि उनको कोरोना हो गया है, बाकी सदस्य सावधान रहें।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 रुपये किलो की दर से हमने 80 करोड़ रुपये का गोबर खरीदा है। उसका भुगतान हम कर चुके हैं। इसी क्रम में उनने 25 नंबर पर लिखा है कि स्व-सहायता समूह गोठान गतिविधियों को संचालित कर 60 हजार सदस्यों को वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, गोबर दिया निर्माण इत्यादि विभिन्न गतिविधियों से 942 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गये हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यंमत्री जी से जानना चाहता हूं कि 942 लाख रुपये का वर्मी कम्पोस्ट बेचा गया है या इतनी आय प्राप्त हुई है ? मैं भी किसान परिवार से हूं, मैंने खेती की है। मैं जानता हूं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय शर्मा जी, वर्मी कम्पोस्ट समूह के माध्यम से खरीदा गया है और बेचा गया है तब तो आय हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं।

श्री शैलेश पांडे :- इनके पास 250 गायें हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- पांडे जी, उनके पास क्या-क्या है, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। मैं उनके पिताजी के साथ विधायक रहा हूं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप मन बर मैं जड़ी बूंटी बनात हौं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हॉ, बिल्कुल सब झन पर बना के ले लाबे।

सभापति महोदय :- राठिया जी, कृपया बैठे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, गोबर का उपयोग अगर डेढ-दो महीने न किया जाये, वह गोबर फिर वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं रहता। मेरी जानकारी में मैंने अपने विधानसभा के गोठानों में देखा है कि गोबर पड़े हैं, बेकार हो चुके हैं और बहुत से तो पानी में बह चुके हैं। खाली गोबर खरीदी के नाम पर पूरे प्रदेश में नौटंकी हो रही है। इसमें एक प्रकार से गोठान समिति बननी चाहिए थी, गोठान समिति को बनाने के लिए जो नार्म्स शासन ने तय किये थे, उसके विपरित अपने कार्यकर्ताओं को गोठान समिति का सदस्य बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। खाली एक

इनकम का जरिया गोबर खरीदने के नाम पर उनको दे दिया गया है। इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। यह चारा घोटाला जैसा एक बड़ा भ्रष्टाचार गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी में भविष्य में होगा।

माननीय सभापति जी, मछुआरों को न्याय, मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95 प्रतिशत क्षेत्रों को विकसित करके 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। चलिये मुझे खुशी हुई कि माननीय मुख्यंमत्री जी को मछुआरों का ध्यान है। मछुआरा मंत्रालय बन गया, इसकी जानकारी भी इनके नेता को नहीं थी। केन्द्रीय बजट में इस बात का उल्लेख है कि मछली का उत्पादन 200 लाख मेट्रिक टन करना है और उसके लिए सेन्ट्रल एड दे रहा है। इसमें प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- शिवरतन शर्मा जी, क्या आप मछली खाते हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं खाता।

श्री अमरजीत भगत :- आप पंडित आदमी कहां मछली में पड़ गये हैं।

श्री सौरभ सिंह :- खाने और जानने में क्या फर्क है ? वह जानते सब कुछ हैं, मछली नहीं खाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मै जानता तो आपके बारे में सब कुछ हूं।

श्री अमरजीत भगत :- क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सब कुछ। आपको क्या मिल रहा है, छांछ मिल रही है कि छांछ को धोअन मिल रहा है, यह सब जानता हूं। सबके सामने बोलूं क्या ? कहां जा रहा है, आदमी कौन है, आप किससे दुखी हो, सब जानता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- क्या लंद-फंद बात कर रहे हैं ? (हंसी)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- शिवरतन जी, मछलीपालन के बारे में अगर आपको पूछना है तो वह हमारे लालजीत सिंह राठिया जी बैठे हैं, आप उनसे पूछिये, वह 10 एकड़ में मछली की खेती कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जब ये मालूम है कि दर्द है तो आपको उसको उकेड़ने का क्या काम है।

सभापति महोदय :- चलिये, शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, परंपरागत कर्मकारों को न्याय।

श्री अमरजीत भगत :- श्री शर्मा जी, मैंने सुना है कि पहले आप मछली खाते थे लेकिन जब से गला में फंस गया तब से आपने छोड़ दिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री कवासी लखमा जी ज्यादा अच्छे से बतायेंगे कि देवी का दर्शन करने गये और देवी के दर्शन के बाद मछली खाने गये तो कहां कांटा फंसा और कांटा फंसने की क्या तकलीफ हुई ? ऑलइंडिया न्यूज कैसे बनी ? यह माननीय कवासी लखमा जी ज्यादा अच्छे ढंग से बता पायेंगे ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय शर्मा जी, मछली के साथ-साथ बड़े काला वाला केकड़ा घला ला मैं हा पोषत हंओं । ओकर खून ला पीये ला न, ओकर झोर हा भारी तेज होथे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ता एक काम करबे न, पोषत हस न । जतेक विधायक खाथे, ओमन ला एक दिन ला के भेंट करबे । भेंट करबे ला के ।

सभापति महोदय :- श्री राठिया जी, कृपया बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, परंपरागत कर्मकारों को न्याय, तेलघानी विकास बोर्ड, चर्मशिल्पकार विकास बोर्ड, लौशिल्पकार विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी । यह बोर्ड की स्थापना उस वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिये नहीं की जाएगी । इस बोर्ड की स्थापना केवल इसलिए की जाएगी कि इनके लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं स्थापित किया जा सके। जिनको पहले बनाये हैं वे गाड़ी-घोड़े और बंगले के लिये चक्कर लगा रहे हैं उनको अब तक नहीं मिला । लेकिन यह 4-5 नये बोर्ड बनाकर के खाली सरकार अपना स्थापना व्यय बढ़ाने वाली है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राजनीतिक संतुष्टीकरण अपने कार्यकर्ताओं के करने के लिये । माननीय सभापति महोदय, ये बोर्ड के स्थापना की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां 13-14 संसदीय सचिव बैठे हैं, बेचारे परेशान हैं । हमारा अधिकार क्या है, हमारा दायित्व क्या है ? हमको कौन सा वेतनमान मिलेगा ? कौन सा मानदेय मिलेगा ? अभी तो मजाक में एक बोल रहे थे कि भई जैसे अभी पुलिस में भर्ती हुई है न, पुरूष और महिला की और पहली बार मुंगेली जिले में थर्ड जेंडर की भर्ती हुई है, यह [XX][9] में आते हैं विधान सभा की दृष्टि से यह भी तय करने की जरूरत है, इनके अधिकार-दायित्व क्या हैं ? (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, इतना असंसदीय शब्द है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उनकी पीड़ा को व्यक्त किया है । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- माननीय हम लोग विधायक भी हैं ।

श्री अमरजीत भगत : माननीय [XX] कहा यह गलत है । (व्यवधान)

---

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग मत करिए, हम लोग विधायक भी हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- या तो माननीय सदस्य अपने शब्द वापस ले लें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने [XX] [10] की पीड़ा को व्यक्त किया है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, यह एकदम आपत्तिजनक है। इसको विलोपित करवाईए । उनको प्रताड़ित करिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- नवीन ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिये नवीन न्याय योजना शुरू की जाएगी ।

श्री अमरजीत भगत :- [XX] के बारे में [XX] बोलना ।

सभापति महोदय :- [XX] के लिये जो शब्द इस्तेमाल किये हैं उसे विलोपित किया जाता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण कृषिहीन-भूमिहीन श्रमिकों के लिये नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी । पहले तो आपने राजीव गांधी न्याय योजना की शुरूआत की उसमें आपने 50 से 60 प्रतिशत किसानों को छोड़ दिया । अब आपकी नवीन न्याय योजना शुरू हो रही है । पहले सारे किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ तो दिला दीजिए । केवल 20 लाख को क्यों? छत्तीसगढ़ में 46 से 50 लाख किसान हैं । वैसे सारे किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिलाओ । फिर आप नवीन न्याय योजना की बात करना ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, एक अनुरोध है कि सच और ईमानदारी से बताना चूंकि आप किसान हैं, किसान न्याय योजना का पैसा आपके खाते में गया है कि नहीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- तो क्या आपने मेरे ऊपर एहसान किया है ? मैं किसान हूं तो उसका हक रखता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- एहसान है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई एहसान नहीं है । मैं किसान हूं तो मैं हक रखता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- हिंदुस्तान के आधे से अधिक राज्यों में आपकी सरकार है, क्या आप एम.एस.पी. दर में भी खरीद रहे हैं ? उत्तरप्रदेश में योगी की सरकार है, 12 रूपए किलो धान बिक रहा था ।

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पत्रकारों को दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु के प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता की राशि 02 लाख से बढ़ाकर 05 लाख कर रहे हैं, अच्छी बात है । आपके पहले राज्यपाल के अभिभाषण में उसके बाद दूसरे राज्यपाल के अभिभाषण में पत्रकारों के लिये, डॉक्टरों के लिये, वकीलों के लिये विशेष सुरक्षा कानून बनाने की बात थी, उस विशेष सुरक्षा कानून का क्या हुआ ? रोज पत्रकार पीटे जा रहे हैं, रोज डॉक्टर पीटे जा रहे हैं । आप केवल घोषणा करने के लिए, केवल भाषण देने के लिए यह बना रहे हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अम्बेडकर अस्पताल में पुलिस वाले ने डॉक्टर को पीट दिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सहायता देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 343 करोड़, वृद्धावस्था के लिए 190 करोड़, राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए 70 करोड़ और दिव्यांग पेंशन के लिए 12 करोड़ का प्रावधान आपने किया है । ये कौन सी नयी बात हो गई । यहां तो हितग्राहियों को लगातार पेंशन मिल रही है । आप इस बजट भाषण में इस पेंशन राशि उल्लेख करते हुए अगर यह बात बोलते कि हमने अपने जनघोषणा पत्र में जो पेंशन की राशि साढ़े तीन सौ से बढ़ाकर एक हजार करने की बात की थी उस एक हजार रूपए के लिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं । जिनको 600 रूपया मिलता है उसको बढ़ाकर 1800 रूपए कर रहे हैं । अगर हम इसके लिए यह बात करते तो यह योजना सफल होती । लेकिन जो रूटीन का काम है ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, अभी तो मैंने शुरू किया है । ये तो रूटीन के काम हैं, हर साल पेंशन मिलती है । उसको आप बजट भाषण में उल्लेख कर रहे हैं । मैं तो मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, जिसका 5 हजार है, उसको 6 हजार किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पेंशन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना चाहिए कि हम जन घोषणा पत्र के अनुरूप 1500 रूपए देंगे तो इस बजट भाषण का औचित्य है । इसके पिछले बजट भाषण में राजीव गांधी मितान योजना का उल्लेख था । उस योजना का उल्लेख करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 हजार क्लब बनाने की बात की थी । एक साल हो गया उस बजट भाषण को । उस राजीव गांधी मितान योजना में इन्होंने क्या किया है, यह बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । सभापति महोदय, 74 वें नम्बर पर उल्लेख है कि प्रधानमंत्री आवास के प्रारंभ से अब तक 10 लाख 97 हजार स्वीकृत आवासों में 70 प्रतिशत आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं । योजना के क्रियान्वयन, कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन के राष्ट्रीय सूचकांक तालिका में राज्य द्वितीय स्थान पर है । माननीय सभापति जी, मैं केवल आपके नॉलेज में ला देता हूं । मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है

कि 2020-21 में 4 लाख 48 हजार 867 प्रधानमंत्री आवास की केन्द्र ने स्वीकृति प्रदान की । लेकिन राज्य सरकार ने कितना किया 1 लाख 57 हजार 815 यानी लगभग 5 लाख प्रधानमंत्री आवास यहां से मैचिंग ग्रांट नहीं दिये जाने के कारण वापस हो गए । अब दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया । मैं आपको बता दूं कि कौन से काम पूरे हुए हैं । जो माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए । वही काम स्वीकृत हुए हैं । एक डाटा जो प्रश्न के उत्तर में आया है वह आपके सामने रख देता हूं । 2018-19 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास 3 लाख 48 हजार 960, उसमें से पूर्ण हुए 3 लाख 22 हजार, 05 अपूर्ण रहे कुल 26,9551 और 2019-20 में स्वीकृत 1 लाख 51 हजार 91 और उसमें पूर्ण हुए 20,226 यानी 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास भी जो आपके कार्यकाल में स्वीकृत हुए वे पूरे नहीं हो पाए । आपने स्वयं अपने उत्तर में स्वीकार किया है आपको सुनकर आश्चर्य होगा । जो आवास पूर्ण नहीं हुए उसका कारण यह है कि 1 लाख 63 हजार 69 आवास जो पूर्ण नहीं हुए हैं, उसकी प्रथम किश्त अभी आवंटित नहीं हुई है । 2 लाख 11 हजार ऐसे आवास हैं जिनकी द्वितीय किश्त नहीं दी गई है । तृतीय किश्त वाले 2 लाख 80 हजार 813 लोग हैं, ये प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं । यानी मैचिंग ग्रांट नहीं दे पा रहे हैं और मैंचिंग ग्रांट नहीं दे पाने के कारण ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शिवरतन जी, वो अमरजीत जी इधर-उधर देख रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं देख रहा हूं कि हमारा दिल्ली की तरफ रूका हुआ पैसा कब आएगा । 15 हजार करोड़ दिल्ली वाले ने रोककर रखा है ना । दिल्ली वाले ने पैसा ही रोक दिया है, अब क्या बताएं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, प्रधानमंत्री आवास में अगर प्रदेश सरकार को द्वितीय पुरस्कार मिला है तो वह भूपेश सरकार की उपलब्धि नहीं है, डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में हमने काम किया उसके चलते हम पुरस्कार के हकदार बने । सभापति जी 8 लाख 59 हजार 578 प्रधानमंत्री आवास की प्रतिक्षा सूची है । अभी अगर यह सरकार मैचिंग ग्रांट दे देती तो ये यह प्रतिक्षा सूची 3 लाख 59 हजार की होती ।

श्री अमरजीत भगत :- केन्द्र से अभी कितना पइसा मिल रहा है? अभी कितना पइसा रूका है ? बताओ। उसमें नहीं बोलोगे।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, संक्षिप्त में समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं 10 मिनट में खत्म करता हूं।

सभापति महोदय :- कृपया, 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- 10 मिनट। माननीय सभापति जी, बजट भाषण में कहा गया मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना प्रारंभ की जायेगी। 90 प्रतिशत धरसे राहत कार्य में या मनरेगा के अंतर्गत अर्थवर्क

90 प्रतिशत धरसे में हो चुका है और आपने प्रावधान कितना किया है? 10 करोड़ रूपये का। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पाटन विधान सभा के 4 गांव का 10 करोड़ में आप काम कराकर बता दें। आज इस बात को कहते कि मनरेगा में लेकर मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के अंतर्गत काम करा देंगे, समझ में आता। 10 करोड़ रूपये ऊंट के मुंह में जीरा है। आपको कहना चाहिए कि हम मनरेगा में मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के अंतर्गत काम करायेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता। वर्ष 2021-22 में श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लिए 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं। पिछली बार भी 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, पिछली बार 15 साल में उस मद में कितना प्रावधान किया था? 15 साल के अंदर में भगवान के दया से बैठे रहे। आप कितना किये? बघेल जी ने तो कम से कम इसका ख्याल रखा।

श्री शिवरतन शर्मा :- उस 10 करोड़ रूपये का क्या हुआ? उस 10 करोड़ रूपये का वृक्षारोपण हुआ है और ज्यादातर वृक्ष मर चुके हैं। आप अगर राम वनगमन पथ बना रहे हैं तो आपको क्लियर करना चाहिए कि आप इसके अंतर्गत क्या कार्य करने वाले हैं? माननीय सभापति जी, 132वां प्वाइंट है।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, आप राम वनगमन पथ के पक्ष में हो या नहीं हो?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं बिल्कुल पक्ष में हूं।

श्री अमरजीत भगत :- तो फिर आपत्ति किस बात की?

श्री शिवरतन शर्मा :- राशि क्यों नहीं दे रहे हो? 30 करोड़ में विकास हो जायेगा क्या ? 30 करोड़ में कुछ नहीं हो सकता।

श्री अमरजीत भगत :- अभी कई घटक में कई विभाग का कार्य चल रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, भगवान भी सोच ही तोर लबारी ला देख के।

श्री बृहस्पत सिंह :- भगवान के काम में भी आप अड़ंगेबाजी कर रहे हो। आप भगवान राम के काम में भी आप अड़ंगेबाजी कर रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, 132वां प्वाइंट में आपने लिखा है नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु 110 विकासखण्डों में भूमि का चिन्हांकन और 45 विकासखण्डों में भूमि का आधिपत्य उद्योग विभाग को दे दिया गया है। माननीय सभापति जी, जनघोषणा पत्र में था कि प्रत्येक विकासखण्ड में फूडपार्क बनायेंगेग। शायद एक कोण्डागांव में ही शुरू हुआ है। अब ये खाली 110 विकासखण्डों में भूमि का चिन्हांकन हुआ है।

श्री बृहस्पत सिंह :- बलरामपुर जिला में आबंटन भी हो गया। 50 एकड़।

श्री शिवतरन शर्मा :- 45 विकासखण्डों में भूमि का आधिपत्य दे दिया गया। 9 दिन चले अढ़ाई कोस। माननीय सभापति जी, ये जनघोषणा पत्र में जो वादा करके आये उसे पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है। इनके वर्ष 2020-21 के भाषण का कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों के उपचार पर 20 लाख तक के व्यय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को इस राशि के अंतर्गत लाभ दिया गया?

श्री रामकुमार यादव :- शर्मा जी, एहा आपके ही घोषणा पत्र हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, वर्ष 2013 वाले घोषणा पत्र भी पढ़के देख लीजिए। 2013 वाले भी देख लीजिए। पहले अपनी घोषणा पत्र को पढ़कर देख लीजिए।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, गुरू घासीदास जी की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी में गुरूकुल विद्यालय की स्थापना की जायेगी। आज तक कहीं कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, यह 2013 का आपका घोषणा पत्र है।

श्री शिवरतन शर्मा :- महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्थिति में ग्राम कंडेल जिला धमतरी में महाविद्यालय भवन प्रारंभ किया जायेगा। आज तक यह कार्य शुरू नहीं हुआ। केवल बजट भाषण देना और उसको क्रियान्वित करने में अंतर होता है। 67 लाख राशनकार्ड बांटे गये।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- दो मिनट। 67 लाख राशनकार्ड बांटे गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनघोषणा पत्र में उल्लेख था कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार को हम 1 रूपये किलो में 35 किलो चावल देने की व्यवस्था करेंगे। पर 9 लाख 44 हजार 702 परिवार ऐसे हैं, जिनको 10 रूपये किलो चावल का कार्ड बना है। आपने जो कहा उससे पीछे रहे। माननीय सभापति जी, सिंचाई डबल करेंगे। पर स्थिति क्या है? बजट प्रावधान में उसके लिए कितना किया गया है? जो कह रहे हैं, कुछ होता नहीं है। 3 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण पढ़कर देखा जा सकता है। देख सकते हैं कि जो कहा वह बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो अपनी अंतिम बात अटल जी की चार लाइनें माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको लाइनें समर्पित हैं। अटल जी ने लिखा है -

हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल ।
वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भूलाएं ।
आओ फिर से दीप जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं ।

सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, ये कब बोले थे, जब भाजपा का दीया छाप हुआ करता था । भाजपा का दीया छाप था, तब बोले थे ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय,

आछे दिन पाछे गए, गुरु सों किया न हेत।
अब पछतावा होत क्या, चिड़ियाँ चुग गईं खेत॥

शर्मा जी ह 15 साल में कुछू नहीं करिस, अब पछतावथे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (बालोद) :- धन्यवाद सभापति जी । गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यह शब्द आज समस्त छत्तीसगढ़वासियों के लिए ध्येय का वाक्य बन चुका है । नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है । हमारी सरकार सराहनीय कार्य करते हुए प्रस्तुत बजट में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति, शिल्प कला आदि के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी ।

सभापति महोदय, अभी दो-चार दिनों से विपक्ष के साथियों ने जो बातें की थी, मैं उनका ही जवाब देना चाहती हूं । हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को पत्र लिखने वाला मुख्यमंत्री कहा गया है । मैं बताना चाहती हूं कि हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का बकाया राशि है, वे 9 सांसद उस राशि को ला सकते थे । लेकिन वे नहीं लाये । इसलिए कोरोना के चलते हमको यह कदम उठाना पड़ा । साथ ही बहुत सारी मांगे थीं । पत्र के बारे में मैं कहना चाहूंगी । हमारे विपक्ष की राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय जी ने भी पत्र लिखा था, लेकिन वह उचित नहीं था । भिलाई से रायपुर ज्यादा दूर नहीं है, हमको तो दिल्ली जाने में समय लग ही जाता है । मैं यह भी बताना चाहूंगी कि कला के क्षेत्र में हमारे सरकार की हंसी उड़ाते हैं, कोई भी कला का क्षेत्र में हो चाहे वह राऊत नाचा की बात हो । मैं राऊत नाचा के बारे में याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों के बीच में माननीय रमन सिंह जी और बहुत से दिग्गज नेताओं ने भिलाई की सभा में सुआ नृत्य का आनंद लिया था ।

अमरजीत भगत :- संगीता जी, ये जो सुआ नाच है, वह महिलाओं का नाच है। उसमें डॉ. साहब क्या कर रहे थे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं । वह बहुत ही तारीफ के काबिल एवं संतुलित बजट है । हमारी सरकार ने 20 लाख, 53 हजार किसानों से 92 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की है, जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खरीदी है । साथ में राजीव गांधी न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है । फसल बीमा योजना में 606 करोड़, कृषि समग्र विकास योजना में 81 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि किसान सिंचाई योजना में शाकम्बरी योजना में 123 करोड़ रूपए का प्रावधान है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है ।

सभापति महोदय, मैं गौ धन न्याय योजना के बारे में बताना चाहूंगी । जो गोधन न्याय योजना है, उसमें हमारे कृषक बहुत ही संतुष्ट हैं और आत्म स्वालम्बी बनने के लिए आगे आ चुकी हैं । मैं बताना चाहूंगी कि वहां की महिलाएं भी बहुत खुश हैं, वे आत्मनिर्भर बन रही हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- संगीता दीदी, कल से धमतरी जिले में गोबर खरीदी बंद हो गया है, आप सुन लीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चल रही है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- बहुत से ऐसे जिले हैं, जिसमें सरकार ने अधिकारियों को आदेश कर दिया है कि गोबर खरीदी बंद करो ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ऐसा नहीं है, आपके धमतरी जिले में भी गोबर खरीदी का काम चल रहा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां बंद हो गे हे रंजना ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धमतरी जिला में जो चल रहा है, उसको भी नहीं चल रहा है, बोल देते हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- धमतरी जिला में ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धमतरी में तै गोबर लेके जाबे, नहीं लिही त मोला बताबे ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- रायपुर का गोबर पहुंचना चाहिए, बोलथे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ऐसा नहीं है । सभी विधान सभा क्षेत्र में गोबर खरीदी अच्छी तरह से चल रही है । धमतरी में भी बहुत अच्छे से गोबर खरीदी चल रही है क्योंकि मेरा विधान सभा धमतरी से जुड़ा हुआ विधान सभा है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- धमतरी के पूरे क्षेत्र को आप नहीं घूम सकतीं । धमतरी में तो हम नहीं घूम सक रहे हैं, आप कैसे घूमेंगी ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम तो घूम लिये हैं, वह तो रास्ते में ही पड़ता है।

श्री अमरजीत भगत :- एक काम करव, दोनों झन साथे जाव अऊ देख के हाव। (हंसी)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप विधायक मन ला फिर गोबर ही बिनवाहू ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गौठान समितियों द्वारा पशु पालकों को दो किलो की दर से 80 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। साथ ही युवाओं के लिये नक्सलवाद से निपटने के लिये हमारे बस्तर टायगर्स नाम से 2800 पद विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है। उनके लिये 92 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। मैं याद दिलाना चाहूंगी नक्सलवाद घटना में अभी बहुत कमी आई हुई है। पिछले 15 साल से नक्सलवाद और नक्सली हमले हो रहे थे, उसमें अभी का आंकड़ा देखा जाये तो बहुत कमी आयी है। छत्तीसगढ़ी कलाशिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादकों का व्यंजनों का का एक ही छत

के नीचे उपलब्ध कराने के लिए सी-मार्ट स्टोर की स्थापना किये हैं। मैं उनका भी समर्थन करती हूं, सराहना करती हूं।

सभापति महोदय, मैं सड़क के बारे में कहना चाहूंगी, 15 साल में जो सड़क की स्थिति थी, वह बहुत खराब थी, एक दो रोड जो सिर्फ दो किलोमीटर तक खराब रहती थी, वहां के ग्रामीणों को आवागमन में समस्या होती थी, वह जर्जर स्थिति में थी, वह सड़क हमारी सरकार में पूरी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं जो छोटे-छोटे कार्य के लिए उन्होंने हमको सफल बनाया है, जो रोड बनाई है, उसके लिए मैं ग्रामीणों की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं। महिलाओं की जो सुपोषण योजना अभियान है, उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत विगत एक वर्ष में 99 हजार बच्चे कुपोषित मुक्त किये जा चुके हैं और 2018 में कुपोषण का स्तर 26.33 प्रतिशत था जो घटकर 2019 में 23.37 प्रतिशत हो चुका है। लाकडाउन के इस पीरेड में हर वर्ग के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने कार्य किया है। इस दौरान कुपोषित महिलाओं एवं शिशुवती महिलाओं का एवं शाला त्यागी किशोरियों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 24 लाख 38 हजार हितग्राहियों को भी घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट वितरित किया गया है जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं महोदय जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा में कोरोनाकाल में जो बच्चे कोटा में फंसे हुए थे, वहां से बच्चों का लाया गया और आज वे एम.बी.बी.एस. में एडमिशन पा चुके हैं। मैं उन अभिभावकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षेप में करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महिलाओं के पोषण में सुधार के लिये द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा 5 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी। इसके लिये भी कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की गयी है। यह बहुत ही सराहनीय है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी ने हमारे ग्रामीण, गांव, गरीब, किसानों को स्वावलंबी बनाने का बजट रखा है। किसान पशुपालक एवं ग्रामीण जनजीवन आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेगा। जो प्रस्तुत बजट है वह संतुलित एवं प्रशंसनीय है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बजट के प्रावधान...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- समर्थन कहेस ना..।

श्री धर्मजीत सिंह :- आंशिक समर्थन तो जरूर करूंगा।

श्री मोहन मरकाम :- बहुत प्रताड़ित किये हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- समर्थन बोलते-बोलते उधर चंद्राकर जी...।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी भी करूंगा। आप चिंता मत करिये। मैं आप लोगों जैसे नहीं हूं कि सिर्फ बुराई ही करना है। मुझे जो अच्छी चीज दिखाई दे रही है, मैं उसकी तारीफ भी करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस पूरे बजट को पढ़ रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ के उन बेरोजगारों के लिये जो 18 लाख से भी ऊपर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किये होंगे लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि जिन वायदों और नारों के सहारे सरकार में आपको इतना विशाल बहुमत मिला, उस बहुमत का आपने सम्मान नहीं किया, उन जनादेश का सम्मान नहीं किया और हमारे 18 लाख बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता से वंचित कर दिया। अब इसमें कई खर्च ऐसे हैं, जिसे मैं फिजूलखर्ची भी मान सकता हूं। विज्ञापन के लिए 174 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नया रायपुर में My fair hotel के पास के तालाब का सौन्द्रर्यीकरण हो रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है ? टेनिक एकेडेमी बना रहे हैं। आप कोई और अकादमी बना दिए होते? हाकी का एकेडेमी, क्रिकेट का एकेडेमी, गिल्ली-डंडा का एकेडेमी भी चलता। यहां लोग टेनिस पकड़ना नहीं जानते, आपको 2-4 लोगों को खुश करने के लिए टेनिस एकेडेमी तो बनाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में टेनिस का प्रचलन ही नहीं है। जिसका प्रचलन है, आप उसको कम से कम सुपोषित करते, उसमें हमारे बच्चों को फायदा होता, जो गांव-गांव में प्रचलन में हो।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन डॉ. रमन सिंह साहब ने एक प्रश्न पूछा, आपने जवाब दिया। किराये का हेलीकाप्टर लेने के बजाय, आप एक नया हेलीकाप्टर क्यों नहीं खरीद लेते ? हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हेलीकाप्टर में घूमें। लेकिन आप अच्छे हेलीकाप्टर में घूमिये। सुरक्षित हेलीकाप्टर में घूमिये। उल्टे-सीधे कम्पनी के लोग कुछ भी हेलीकाप्टर भेजते हैं। खुदा न खास्ता कल कोई बात हो जाये तो बहुत अफसोस होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी एक नये हेलीकाप्टर का प्रावधान कर देना चाहिए था ताकि आप एक नया हेलीकाप्टर लेकर के प्रदेश की सेवा कर सकें। शराब की बात इस सदन के अंदर और बाहर बहुत बार हुई। अब आजकल शराब के बारे में बोलना भी बंद करना पड़ रहा है। क्योंकि आपने शराबबंदी के लिए श्री सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, वे एक बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं। सबसे ज्यादा विधायक बनने का रिकार्ड भी जो 2-4 लोगों के नाम हैं, उसमें सत्यनारायण शर्मा जी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ ? क्या रिपोर्ट दिए ? शराबबंदी करेंगे या नहीं करेंगे ? आपको जो करना हो करिये। लेकिन आप खुलेआम सदन को, प्रदेश की जनता को अवगत कराने की कृपा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जब हम लोग पांचवी विधानासभा की स्थापना के बाद शुरू-शुरू में विधायक के रूप में आये तो हमने स्काई वाक के औचित्य और उसकी उपयोगिता पर प्रश्न उठाया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो वर्ष हो गए हैं, वह स्काईवाक चलेगा या नहीं

चलेगा, तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे, कम से कम इसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहिए। वह ढांचा खड़ा हुआ है। उसका न तो उपयोग हो रहा है और न ही वहां से हट रहा है। उसकी भी कोई कमेटी बनी है। उस कमेटी का क्या हुआ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह जरूर बतायें।

माननीय सभापति महोदय, यहां Law & order के बारे में भी बहुत से मामलें आते हैं। मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज ही अखबार में पढ़ा कि कोई श्रीवास्तव जी हैं, वह 2 दिन से लापता है। मुझे आपके ही तरफ के एक माननीय विधायक ने जानकारी दी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वह बहुत परेशानी में था। उसको एक साल से तनख्वाह नहीं मिला है, उसके कई जगह स्थानान्तरण हुए हैं। वह दो दिन से लापता है। तो जब इतना बड़ा अधिकारी लापता हो सकता है, तो छोटे-छोटे बच्चें और महिलाएं गायब हो रही हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस को खुली आजादी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, संसदीय सचिव, विधायक, आप लोग पुलिस को कोई निर्देश दें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मंत्रालय से बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं, जो सीधे पुलिस को फोन लगाकर आदेश देते हैं और पुलिस को बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पुलिस को दबाव में नहीं रहना चाहिए। Law & order में जब तक पुलिस को आपका सरंक्षण नहीं मिलेगा, तब तक वे खुलकर काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोरोनाकाल में इस प्रदेश में 2-4 ऐसी होटलें हैं, जहां खुले आम शराब की ट्रकें आतीं थीं और शराब की ब्रिकी होती थीं। पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि उसको पकड़ सके। आपने कल ही विधानसभा में कहा कि हम तो पकड़ने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार या महाराष्ट्र से जो शराब आती है, वह सीधे रायपुर तो नहीं पहुंचती होगी। वह कोई न कोई बार्डर टच करता होगा। उस बार्डर से रायपुर शराब आ गई, इसका मतलब है कि दो-दो सौ किलोमीटर अवैध शराब का परिवहन हो रहा है तो उसमें निश्चित रूप से शासन का सरंक्षण है।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश शराब पकड़ा रहा है। यहां पकड़ रहे हैं तो पुलिस को शबाशी नहीं देना चाहिए ? उसमें आपत्ति क्यों ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महादेय, आपत्ति मुझे यह है कि हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड से शराब रायपुर तक पहुंच कैसे जाती है? 300, 400 किलोमीटर दूर में बार्डर है, वहां से आखिर आ कैसे जा रही है? आप पकड़े होंगे तो दो-चार मामले पकड़े होंगे। अधिकांश मामले पकड़ में नहीं आते। यही दो-चार होते और आप पकड़ते तो मैं आपकी तारीफ करता लेकिन झारखंड की तरफ, अंबिकापुर की तरफ आखिर इनको संरक्षण कौन दे रहा है कि उधर से शराब की बांटलें भरकर खुलेआम ट्रक में आ जाए। गांजे की तस्करी हो रही है। शराब तक तो एक बार ठीक है, बंद हो, न हो, अच्छा हो, बुरा हो देख लेंगे लेकिन इस प्रदेश में ड्रग्स तस्करी का प्रचलन बहुत बढ़ा हुआ है। मैं पिछले

बार भी बोला था कि नाईजीरियन कनेक्शन है। गोवा से ड्रग पेडलर्स के कनेक्शन हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस नासूर को आप खत्म नहीं करेंगे, यदि आप इसे नहीं कुचलेंगे तो इस प्रदेश के नौजवानों को नशे की लत लगेगी और ये लत छुड़ाए नहीं छुटेगी और हमारी पीढ़ी उड़ता पंजाब सरीखे जो पिक्चर बनी थी उस दिशा में जाने के लिए हमारे प्रदेश में जो तथाकथित ड्रग सप्लायर लोग हैं वह कोशिश कर रहे हैं। आप उसको कुचलिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले काम करना नहीं चाहते। काम करते हैं लेकिन उनको आजादी मिले, संरक्षण मिले, आपका संरक्षण मिले तब वह कर पायेंगे। मैं अभी कुछ काम से रायपुर डी.जी.पी. से मिलने गया था। मुझे उनका एक काम अच्छा लगा जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं अपने काम से गया था पर जब मैं वहां उनसे मिलने गया तो वह एक खुशियों का शुक्रवार करके कोई कार्यक्रम में बैठे थे और मैं जरा दूर में सोफे में बैठा था। मैंने देखा कि डी.जी.पी. ने कई उन शहीद जवानों की पत्नियों या बच्चियों को वहीं के वहीं अनुकंपा नियुक्ति का आदेश दिया। मुझे अच्छा लगा। मैं वहां बैठे-बैठे सोच रहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पुलिस के महकमे में एक दिन कोई तय हुआ है उसी तरह से आप कलेक्टर्स के यहां तय कर दीजिए। क्योंकि लोगों की भीड़ लगी रहती है, आवेदन देते हैं, ठीक से सुनवाई होती है, नहीं होती है। यदि मैं इस महीने आपको आवेदन दूं तो अगले महीने मुझे मेरे मोबाईल नंबर पर फोन करके उसके निराकरण के लिए आप मुझे बुलवाकर के निराकरण कर देंगे तो बहुत से लोग जो भटकने से परेशान और पीड़ित रहते हैं, उनके लिए एक रास्ता मिलेगा और यह हर विभाग के लिए लागू होना चाहिए। क्योंकि यदि आप ई-गवर्नेंश देना चाहते हैं तो जिसको सहज सुलभ न्याय मिल सके वही तो ई-गवर्नेंश है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से इस दिशा में भी विचार करने का आग्रह करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, धान खरीदी की बहुत चर्चा हो गई। आप बोलते हैं कि दिल्ली की सरकार बोरा नहीं दे रही है, खरीद नहीं रही है। ये तो दिल्ली और आपके बीच का मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आपका और दिल्ली की सरकार के बीच थोड़ा सौहार्द्र बने तो शायद हमारी बहुत सी समस्याओं का निराकरण होगा। सभापति महोदय, मेरी यह मान्यता है कि टकराव से कोई रास्ता नहीं निकलेगा।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, हम लोग तो सौहार्द्र बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोग करने देंगे तब तो। ये जो सामने बैठे हैं ना ये लोग जब भी जाते हैं तो उसमें उल्टा घुमाकर आ जाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महादेय, हम जब यहां विपक्ष में थे, डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक होने के नाते यहीं जहां नारायण चंदेल जी बैठते हैं वहीं बैठता था। तो डॉ. रमन सिंह जी के हर काम को दिल्ली की सरकार करती थी और जब भी वहां से कोई मंत्री आता था वह पूरी बात समझे न समझे लेकिन तारीफ के पुल

बांधते हुए माना एयरपोर्ट से रायपुर के सर्किट हाऊस तक आता था। तो हम लोग बल्कि तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे जी से आपत्ति करते थे कि ये दिल्ली के नेताओं को क्या हो गया है, बिना कुछ सोचे-समझे तारीफ करते रहते हैं। तो कुछ वैसे ही कला आप भी कर दीजिए। वैसे ही खेल कुछ आप भी कर दीजिए कि वहां से तारीफ ही हो और जो आप बोलो वह हो जाए, उससे हमारे छत्तीसगढ़ का तो भला होगा। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। धान के लिए जूट का बोरा नहीं मिलता। जूट के बोरे के बगैर धान नहीं खरीदते। आप कुटीर उद्योग में जूट का बोरा बनवा दीजिए ना। रायगढ़ का जूट मिल बंद है उसे शुरू करा दीजिए ना। यहां किसी उद्योगपति को इस शर्त पर जूट मिल की परमीशन और सुविधा दे दीजिए कि वह हमारे प्रदेश के लिए प्राथमिकता में जूट देगा। उसके लिए जो भी दिल्ली की छोटी-मोटी असुविधा हो तो उसको आप दूर करने की कोशिश करिये। हमारे गांवों की महिलाओं से बोरा बनवा लीजिए, हमारे बुनकर भाईयों को बोरा बनाने के लिए दे दीजिए, उनको रोजगार भी मिलेगा, उद्योग भी मिलेगा, बोरा भी मिलेगा और किसान को बोरा के नाम से भटकना नहीं पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी तक ट्रांसपोर्टर धान उठा नहीं रहे हैं। 625 करोड़ रूपये का धान पड़ा हुआ है। अब उसको कैसे भी उठवाईये ? पहले भी नियम था कि धान खरीदी केन्द्र में धान खरीदी होती है फिर धान संग्रहण केन्द्र में जाता है, उसके आगे का निर्णय जो दिल्ली और आपके बीच में लटका हुआ है, वह निर्णय होते रहेगा। कम से कम धान खरीदी केन्द्र से धान संग्रहण केन्द्र तक के बोरों का परिवहन आप जरूर करा लीजिएगा। तिरपाल नहीं है। हमारे प्रदेश में तिरपाल बनवाईये। हमारे प्रदेश में तिरपाल खरीदीये, भगवान जाने कि फटा-फटा तिरपाल कहां से आता है ? बोरे के ऊपर रखते देरी नहीं, वह तिरपाल फट जाता है। आप मरहा-खोरहा तिरपाल लाने के बजाए बड़ा मजबूत टाईप का तिरपाल लगवाईये। आप कुछ क्रांतिकारी निर्णय लीजिए। तभी हमारे धान की रक्षा होगी क्योंकि धान खरीदी इस दुनिया ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बंद कर सके। हर साल धान खरीदना होगा। चाहे सरकार में कोई भी बैठे और हर साल यही मुसीबत हमारे सामने आने वाली है कि हमको बोरा, तिरपाल, ढुलाई, चबूतरा, यह सब चीजों को मूलभूत आवश्यकता में पहल की है। मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आपने चबूतरा बनवाया। लेकिन बहुत कम मात्रा में बना है। एक बारिश में हजारों क्विंटल धान सड़ जाता है। आपने वन विभाग में लिख दिया कि बिगड़े बांस वनों की कटाई होगी। बिगड़े बांस वन सुधरे या नहीं सुधरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वनवासियों की दुर्दशा को ठीक करने के लिए आप प्रावधान करिये। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव में पहले वन मार्ग बनाये जाते थे। माननीय वन मंत्री जी को मालूम है । हमारे मित्र भी हैं, बहुत अनुभवी भी हैं और बहुत अच्छे मंत्री हैं। आजकल वन मार्ग बनाना बंद कर दिये हैं। वन मार्ग बनाने से दो फायदे हैं। एक तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरा फारेस्ट के अमले का जंगल के अंदर तक एप्रोच बढ़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ मजूरहा वन ग्राम से लेकर डंगनिया वन ग्राम तक की सड़क की इतनी जर्जर, दुर्दशा मैंने अपने पूरे

राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। मैं वहां से 4 बार विधायक बना हूँ। मैं आखिर वन विभाग के लोगों से पूछा कि भईया बाकी काम में तो वन अधिनियम लगता है आपको खुद बनाना है जंगल के मार्ग को बनाने में क्या तकलीफ है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि वन ग्राम में हमारी योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। वन ग्राम के लोगों के आगे में रोजी-रोटी की किल्लत रहती है। आप वन मार्ग बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम जरूर करिये ताकि जंगल की भी रक्षा हो, वन्य प्राणी की भी रक्षा हो और वनवासियों की रक्षा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, हमने इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी से एलीफेंट कारीडोर के बारे में भी सुना कि एलीफेंट कारीडोर का निर्माण होगा, लेकिन उसमें क्या हुआ ? यह कहां तक पहुंचा ? यह पता नहीं है। लेकिन आये दिन हम देखते हैं कि हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कोयले के खदान के कारण यह एलीफेंट कारीडोर रूक रहा हो। अगर उसके कारण एलीफेंट कारीडोर रूक रहा हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आग्रह करूंगा कि एक तरफ कोयला और कोयले को खोदने वाले उद्योगपति, कोयले को खोदने वाले चाहे केन्द्रीय संस्थान क्यों न हो, उनकी तुलना में आपकी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ का एक आम इंसान होना चाहिए और उसके हित में आप खड़े होकर, लड़ाई लडेंगे। कोयला खदानों के आंवटन पर रोक लगाकर, निरस्त करकर, आप हमारे लोगों को हाथियों के आतंक से बचायेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, हमारे क्षेत्र में भी एक जंगल सफारी खोल दीजिए। जैसा आप रायपुर में खोले हैं। हमारे लोग भी शेर-भालू देखेंगे, 10-20 लोगों को उद्योग मिलेगा। यह 10-5 करोड़ की योजना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बाद में भी आग्रह करूंगा। अभी यह मांग करने का कोई अवसर भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय चौबे जी सिंचाई विभाग में हमारी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ाना ही उस प्रदेश के विकास का सूचक हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। यह कवर्धा जिले का मामला है। एक घोघरा डायवर्सन है जिसमें आप शायद पहल करके उस नहर का काम मंजूर कराये थे। वह 3-4 किलोमीटर की नहर है उसके मुआवजे का पैसा भी आ गया है। नहर भी खुद गई, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। नहर भी पट गई और उसमें सिंचाई भी नहीं हो रही है। वह सिर्फ 3 किलोमीटर नहीं, 18 किलोमीटर तक वह नहर की लाईन बढ़ सकती है और उससे 15-20 गांव के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। पर उनकी सुने कौन? किसान कलेक्टर, एम.एल.ए., मंत्री के पास जा रहा है, किसान हमारे पास आ रहा है, किसान आपके पास जा रहा है। लेकिन यह तो बताओ कि जब पैसा चला गया है तो किसानों को 2-3 साल से पैसा मिल क्यों नहीं रहा है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि न केवल उनको पैसा दिया जाये, बल्कि उस नहर को एक बार ठीक से सर्वे करा कर 10-12 किलोमीटर लंबी

लाईन खिचवाईये। घोघरा जलाशय में बहुत पानी है, उसमें किसान को रूसे तक पानी की सिंचाई हो सकती है। यह आपको उससे फायदा होगा।

समय :

3:46 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क का बजट में तो प्रावधान हो गया। हम भी खुश हो गये। आज भी सुने कि हमारे क्षेत्र की 4-5 सड़कें बजट में आई हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 2019-20 के बजट में जो प्रावधान हुआ है, वह आज तक शुरू नहीं हुआ है, वह मंजूर ही नहीं हुआ है। अगर बजट में प्रावधान हो गया और मैं जश्न मना दूं तो उससे गरीबों का भला नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भले आप दो ही काम रखें, लेकिन बजट में जो काम आये इस बात का विश्वास हो कि सरकार की तरफ से जो काम बजट में रखा गया है, वह पूरा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोठान की बात करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी कहा था कि अधिकांश गोठान नीरस हैं, वहां गाय नहीं हैं। वहां कोई हलचल नहीं है। आप बोलिये तो मैं 5-10 जगह आपका नाम लेकर दिखवा दूं। एक घंटे की नोटिस में जाना पड़ेगा, नहीं बाद में कलेक्टर गाय, बैल, भैंसा को हांकते हुए वहां पहुंचा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि कलेक्टर के द्वारा हांक कर पहुंचाये गये बैल, भैंसा को आप देखें। आप नेचुरल कोर्स में वहां पर होता है, वह देखिये। वहां पर गोठान बनाये हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहां गाय रहे, उसमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां गाय रहनी तो चाहिए। पर वहां कुछ नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री तो नहीं हैं, वह कल, परसों से जन्मदिन मनाने गये हैं। मसाहती ग्रामों की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हैं। उन्हें राजस्व ग्राम में बदलना है। जब तब वह राजस्व ग्राम में नहीं बदलेगा, उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल सकती। इसलिए आप कोशिश करिये। यह तो कागज में मसाहती ग्राम को राजस्व ग्राम में बनाना है। उसमें बहुत कम खर्च है। आप मसाहती ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए पहल करें ताकि वहां के लोगों को भी सुविधा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने स्वामी आत्मानंद के नाम से 119 नये अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का बजट में प्रावधान किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। अंग्रेजी जानना, पढ़ना और बोलना हम सब का भी अधिकार है। बहुत अफसोस है कि हमारे जमाने में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं थे नहीं तो मैं यहां बढ़िया अंग्रेजी में भाषण देता। कोई समझता या नहीं समझता। कौन बोल रहे हैं, अमरजीत जी समझते।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धर्मजीत भैया, you are start in your speech, I am fully support to you.

श्री धर्मजीत सिंह :- Yes. अंग्रेजी के बोलने का मजा भी बढ़िया रहता है और उसमें मुंह थोडा सा बड़ा गोल-गोल बनता है। मैं कल रात को टेजीविजन में देखा। पाकिस्तान की एक लड़की, ये पार्टी, ऐसा करके, वह पार्टी को ऐसा घुमा कर बोली कि वह पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है।

संसदीय कार्य मत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप कितने बजे देखे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं रात को 11.00 बजे देखा।

श्री रविन्द्र चौबे :- भैया, रात को तो अंग्रेजी बोलना ही है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- रात को कवासी लखमा जी भी अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। क्यों कवासी जी ?

श्री अमरजीत भगत :- अजय चन्द्राकर जी को बोलिये कि उनकी क्लास अटेन्ड करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम और आप आज रात को अंग्रेजी में बात करेंगे, अमरजीत जी, ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कवासी लखमा जी के साथ बात करो।

श्री धर्मजीत सिंह :- कवासी लखमा जी, तमिल, तेलगू में भी बोलेंगे, अंग्रेजी में भी बोलेंगे और आखिरी में वह अपनी भाषा में बोलेंगे। उनकी विद्वता पर कोई उंगली मत उठाओ, वह सबसे ज्यादा विद्वान आदमी हैं। क्या करें, उनके पास सर्टीफिकेट नहीं हैं, नहीं तो वह अगली सीट में बैठे रहते। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो स्वामी आत्मानंद जी के नाम से अंग्रेजी स्कूल खोलने की योजना है, यह बहुत ही बढ़िया योजना है।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, आपको देखता हूं जब सी.एम. की तरफ देखते हैं तो बढ़िया भाषण देते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी, सुनिये मैं उनकी गैरहाजिरी में तारीफ किया हूं।

श्री अमरजीत भगत :- और जैसे ही नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी की तरफ देखते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं मैं नहीं गड़बड़ाता हूं, वह तो मेरे दोस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं यह चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समय का ध्यान रखिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट लगेगा । मैं वही तो बोल रहा हूं, काम की बात बता रहा हूं । मैं कोई आलोचना थोड़ी कर रहा हूं । डॉ. रमन सिंह जी के समय में 70 मॉडल स्कूल खुला था, उस मॉडल स्कूल को डीएवी स्कूल में बदल दिया गया है । हमारे छत्तीसगढ़ के पास करोड़ों रूपए की बिल्डिंग है। मैं चाहता हूं, मेरी यह मांग है कि यह डीएवी, फीएवी स्कूल सब हटाईये और वहां पर आत्मानंद स्कूल को खोलिए । यह लोग वहां पर प्राईवेट कंपनी के लोग आकर उल्टे-सीधे

हरकत कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी आपको मालूम है कि नहीं ? तो जरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार करके कभी-कभी बताया करो न । कभी कुछ नेक सलाह भी तो दिया करो ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- विचार नहीं, मैं मांग कर रहा हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें घोषणा करें । डीएवी स्कूल को हटाईए और वहां आत्मानंद जी के नाम से स्कूल खोलिए और हमारे भी बच्चों को अंग्रेजी बोलने और बढ़िया मुंह घूमा-घूमाकर अंग्रेजी में बात करने का अवसर प्रदान करिए, ऐसा हम चाहते हैं । हम लोग नहीं पढ़ पाये, अंग्रेजी में कितनी तकलीफ होती है । कोई अंग्रेजी झाड़ता है तो ऐसा लगता है तो इससे विद्वान आदमी नहीं है, हमसे गधा कोई आदमी नहीं है । लेकिन तुलना करेंगे तो उससे ज्यादा विद्वान हम हैं लेकिन हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो अंग्रेजी बोलना हमारा हक है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- लेकिन आपके साथ हम टिकट मांगने गये थे तो दिल्ली में आप पूरा अंग्रेजी में...।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके सचिव को कैसे अंग्रेजी में डांटा था ।

श्री अमरजीत भगत :- उस दिन आप पूरा अंग्रेजी में बोले थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, उतना भी नहीं कि नहीं मालूम है । थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं । लेकिन क्या है कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाला आदमी अपने को सुपीरियरिटी काम्पलेक्स में रहता है । हम लोग छत्तीसगढ़ के आदमी हैं अगर थोड़ा बहुत भी धर्मेंद टाईप आईंग-जाईंग बोल लिये तब भी चलेगा क्योंकि हम कूदिंग, मरिंग, जाईंग करके वह शोले पिक्चर में बोलता था, वैसा बोलकर चला रहे हैं लेकिन हमारे आने वाले बच्चों की अच्छी अंग्रेजी के लिये आपने जो प्रयास किया, आपके कल का निर्णय मुझे बहुत अच्छा लगा । 35 हजार किसानों को आपने बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया, यह काम है । 35 हजार घरों में अब आस जगेगी कि उसके खेतों को पानी मिलेगा बिजली कनेक्शन मिलने से, कोटा फिक्स करने से नहीं मिलेगा कि इस साल दो सौ तो अगले साल तक वह बैठे रहे । आपने एक झटके में निर्णय किया, ऐसे ही एक झटके में निर्णय करके आपने गरीबों के लिय जो निर्णय लिया है उसकी मैं सराहना करता हूं । आपके तहसील का निर्णय भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि तहसील बनने से छोटे-छोटे काम के लिये लोग 100-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर जाते थे और तहसीलदार साहब अगर किसी मंत्री के आगे-पीछे दौरे में चले गए तो फिर वापस आ जाते थे तो अब गांव-घर के नजदीक तहसील बन जाये तो उसमें क्या दिक्कत है और आपने उस दिशा में काम किया है । मैं पर्यटन का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ रहा था, बजट में भी है कि सरौधा-दादर का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा बना है, इसमें दो मत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है । सरौधा-दादर चिल्फी घाट के हिल के टॉप में बना हुआ है, ब्यूटीफुल प्लेस । अगर वहां आप एक महीने रह जायें तो शुगर, ब्लडप्रेशर सब

तकलीफ दूर हो जाएगी । लेकिन सादा खाना, खाना पड़ेगा और वहां घूमिए, इतना सुंदर आवोहवा है लेकिन वह पुरानी सरकार का बना है । मैं आपके लिये सलाह दे रहा हूं कि आप जैसे सतरेंगा डेम का आपने दिया है वॉटर टूरिज्म एण्ड एडवेंचरस टूरिज्म जो भी है । वह भी पुराने समय का वहां पर कुछ है या छोटा-मोटा कुछ हुआ होगा । सन् 1930 में अंग्रेजों ने खुड़िया डेम बनाया है, लाखों एकड़ में सिंचाई होती है । एक हिस्से में अचानकमार का जंगल है, दूसरी तरफ खुड़िया का जंगल एक हिस्सा में, तीसरी तरफ डिंडौरी जिला मंडला का है, वहां पर पानी लबालब है । अभी भी इस गर्मी के दिन में भी खुड़िया में 70 फीट पानी भरा हुआ है, सिंचाई करने के बाद भी तो वहां पर इस टाईप का छोटा-मोटा खोल दो । मंत्री जी तो हैं नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करता हूं कि वहां पर छोटा ही खर्चा है, कोई ज्यादा नहीं है । मैं टूरिज्म का बोल रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वास्थ्य में कहा है कि 3 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे बहुत अच्छी बात है । हमारा स्वास्थ्य सुविधा ठीक होना चाहिए । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक पार्लियामेंट्री कांस्टेंसी में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो हमारे बिलासपुर पार्लियामेंट्री में मुंगेली का हक बनता है क्योंकि बिलासपुर में तो मेडिकल कॉलेज है । आप जब मंत्री थे, जोगी जी मुख्यमंत्री थे उसी ज़माने में खुल गया है । अब दूसरा उस पात्रता में बनना है तो हमारे मुंगेली जिले में खोलिए । बेमेतरा, पंडरिया, लोरमी, नवागढ़, जरहागांव, पथरिया, सरगांव और कोटा तक के लोगों को उससे फायदा हो सकता है और वहां पर खुलना ही चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं । बिलासपुर नगर निगम में आप बहुत सी स्कीम लगा रहे हैं लेकिन जब भाजपा की सरकार थी तो लोग बिलासपुर को गड्ढापुर बोलते थे । आप स्वयं कई आंदोलनों में वहां गए थे । लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि बिलासपुर में अभी भी गड्ढापुर है । न जाने क्या-क्या योजनाएं आती हैं उसके कारण बनी सड़कों को खोद देते हैं और उसको पाट देते हैं, फिर उसको बनाते भी नहीं । अमृत मिशन के नाम से वह गड्ढा खुद रहा है, अमृत मिशन का गड्ढा खुद रहा है मैं आज यह कह सकता हूं कि अमृत मिशन में पानी आएगा नहीं और सीवरेज से पानी जाएगा नहीं । क्योंकि सीवरेज की स्कीम एकदम फ्लॉप है । अमृत मिशन के पानी को आपको खूंटाघाट से लाना है, उसमें वहां से पानी का आने का कोई क्लीयरेंस नहीं है और न ही वहां उतना पानी है । उस दिशा में भी आप विचार करिएगा । मैं एक विनती और करके अपनी बात समाप्त करूंगा । आपने बिलासपुर शहर को बड़ा नगर निगम बनाने के लिए या अन्य किसी भी कारण से कई छोटे छोटे जो भूटान के राजा थे, नगर निगम में मिलाकर उनको प्रजा बना दिया । संकरी में नगर पालिका थी वह भूटान का राजा था, सरगांव में जो नगर पालिका अध्यक्ष था वह भी भूटान का राजा था, तिफरा में जो था वह भी भूटान का राजा था । अब ये राजा लोगों को आपने बिलासपुर में समाहित कर दिया अब ये प्रजा बन गए । उन गांवों में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है जो थोड़ा बहुत आपके पैसे से काम चलता वह भी नहीं चल रहा है । इसलिए मुख्यमंत्री जी उनके गांवों के हिसाब से प्राथमिकता देकर काम

करेंगे । मैं समझता हूं अगर आप आर्थिक नियंत्रण रखेंगे, अगर आप वर्क कल्चर को संरक्षण देंगे, क्योंकि कोई भी काम समय पर होता ही नहीं । अब पता नहीं बिलासपुर का क्या दुर्भाग्य है, वहां कोई भी काम समय पर नहीं होता । लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि जब आपने हवाई जहाज के लिए पैसा दिया उसके बाद वहां प्लेन शुरू हुआ । कल बहुत खुशी हो रही थी, मैं चाहता भी था कि वहां आपके बारे में बोलूं । लेकिन वहां हम लोगों को बोलने भी नहीं दिया गया । आपने हवाई सेवा शुरू करवाई थी इसलिए उसके उद्घाटन में हम लोग गए थे लेकिन हमारे लिए हेलीकॉप्टर नहीं था, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हेलीकॉप्टर में गए हम लोग नहीं जा सके, नेता जी गए होंगे लेकिन अन्य विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ विधायक थे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए । जब सार्वजनिक हित के काम में हम जाएं तो हेलीकॉप्टर चढ़ा देना चाहिए । एक उदाहरण बहुत है कि जब अर्जुन सिंह जी का निधन हुआ था । डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री थी, हमारे रविन्द्र भइया नेता प्रतिपक्ष थे । हवाई जहाज हमको दिया गया था हम उसमें बैठकर सीधी गए थे और उनकी अंत्येष्टि में शामिल होकर वापस आए थे । थोड़ा सहृदयता से हम लोगों का भी ख्याल कर लीजिए । हम लोगों की भी उम्र तो हो ही गई है ना । अगर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में चले जाते तो कुछ बिगड़ता नहीं । लेकिन चलिए, मैंने तो अपनी बात बता दी । आपको इसलिए बधाई कि 27 करोड़ देकर हवाई सेवा की नींव रखी ।

श्री अमरजीत भगत :- अब समझ में आया कि हेलीकॉप्टर के बारे में आप क्यों कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ठीक नहीं है (हंसी) ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं,नहीं । हम लोगों ने तो कहा था यार, हमारे नेता जी ने रिक्वेस्ट डाले थे लेकिन हुआ नहीं । हवाई अड्डा शुरू हुआ । अब मैं आपसे दो आग्रह और करना चाहता हूं कि 200 एकड़ जमीन को हमें रक्षा मंत्रालय से वापस लेना है । अगर उसके लिए सदन को प्रस्ताव भी पास करना पड़े तो करवा लीजिएगा, लम्बा सत्र है । वैसे मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है । 600 किलो मीटर की सीलिंग खत्म होनी चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ को दूसरे बड़े बड़े महानगरों से जोड़ने का रास्ता खुले । एक अशासकीय संकल्प और लगाया हूं कि छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा देकर यहां की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिल्ली की सरकार दे । हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति की रक्षा भी हो और केरल जैसे लिट्रेसी में भी आगे रहें, हॉस्पीटल फेसिलिटी में भी आगे रहें, रोड फेसिलिटी में भी आगे रहें, उद्योग की उपलब्धता में भी हम केरल जैसे रहें । जो केरल, हमारे बस्तर के समान हो, उस केरल से हम अपने छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आत्मसंयम, नियंत्रण और अनावश्यक तस्कर-वस्कर जो पनपने का काम कर रहे हैं ।

समय :

4:00 बजे

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कल अमितेश शुक्ल खड़े हो गये, बोल दिये कि तुम चुनाव नहीं जीतोगे। तुम चुनाव हार जाओगे। अरे, यहां प्रमाण पत्र मत बांटो। यह जनता है। बहुत निष्ठुर है। अगर किसी को फर्श से उठारक अर्स में बैठा देती है तो वही जनता अर्स से गिराकर फर्श में बैठा देती है।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या, यहां पर अमितेश भैय्या तो है नहीं। उनकी अनुपस्थिति में बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं है तो क्या करूं ? दोनों मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। उस दिन बोला तो एक मुख्यमंत्री के पुत्र को बुरा लग गया था।

श्री अमरजीत भगत :- वो रहते तो बोलते तो ठीक था।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बोला था कि जब आप बोलते हो तो अमितेश शुक्ल जी को रहना चाहिए तो बोले कि मुख्यमंत्री का बेटा होना अपराध है क्या ? मैंने कहा कि आप किस्मत वाले हो कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे। मेरा मतलब है कि ज्यादा अहंकार से भी सोचना अच्छा नहीं होता। अहंकार में विनाश का ही फल होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे मित्र हैं। आप और हम सब प्रदेश के सेवा करने के लिए यहां आये हुए हैं। एक-दूसरे की बात को समझें, समझाने का प्रयास करें और प्रदेश को आगे बढ़ायें। इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2020-21 का मुख्य बजट प्रस्तुत किया है और उस बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं बजट पर अपनी बात रखूं, उसके पहले कुछ चीजें साझा करना चाहता हूं कि एक कंपनी को उसके मुखिया के अदूरदर्शिता ने कैसे उसे ध्वस्त किया ? एनरान अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी थी। उस कंपनी के सी.ई.ओ. की दूरदर्शिता, मेहनत, वित्तीय दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप वह कंपनी बहुत ही कम समय में विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनायी और केवल अपना स्थान ही नहीं बनायी, बल्कि दुनिया के जो 10 मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उन कंपनियों में भी उनका नाम आ गया। इसका प्रमुख कारण, उसके जो स्टॉफ हैं, उनके सहयोगी, वित्तीय पकड़, दूरदर्शी सोच था और इन सबके कारण उन्होंने अपना स्थान बनाया। किंतु कुछ दिनों के बाद में उस सी.ई.ओ. का परिवर्तन हुआ और उसकी जगह में दूसरा सी.ई.ओ. आ गया और सी.ई.ओ. आने के बाद वही उनका स्टॉफ था, लेकिन वह स्टॉफ रहने के बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ गया। उनकी लागत बढ़ती गयी। परिणाम कम होता चला गया और उसका परिणाम यह हुआ कि जो वर्षों में कभी कर्ज लेते थे, वह सालों में आ गया। सालों में आने के बाद महीनों में आ गया। चूंकि उस कंपनी की साख अच्छी रही, इसलिए कर्जा देने वालों की कोई कमी नहीं रही और कर्ज लगातार बढ़ता

रहा और कर्ज बढ़ते-बढ़ते फिर यह समय आ गया कि प्रति महीना उन्हें कर्ज लेना पड़ा। अपनी साख को बचाये रखने के लिए उन्हें प्रति पखवाड़ा कर्ज लेना पड़ा और अंतत: कर्ज लेने के बाद ऐसी स्थिति बनी कि वर्ष 2007 की स्थिति में उस कंपनी का नामोनिशान मिट गया और इतनी बड़ी जो अमेरिका की एनरान कंपनी थी, वह कंपनी ध्वस्त हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चल रही है। महात्मा गांधी जी के यहां पर फोटो लगे हुए हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह जो सरकार चल रही है, ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर नहीं चल रही है, बल्कि यह जो सरकार चल रही है, प्राचीन भारत के दार्शनिक चार्वाक के सिद्धांतों पर चल रही है और चार्वाक का सिद्धांत है कि कर्ज लो और घी पीयो। आपके कार्यों से अन्य को क्या फर्क पड़ता है, उससे आपको मतलब नहीं है। आप उसकी चिंता न करें। आपका वर्तमान कैसा है, आप केवल उसकी चिन्ता करें । मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश को और आने वाली पीढ़ी को आप क्या देकर जाएंगे? खोखला छत्तीसगढ़ । वह समय भी आने वाला है कि अधिकारियों-कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा । हमारे प्रदेश की यह स्थिति बन रही है। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं, मैं समर्थक हूं कि किसानों को धान में 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल मिलनी चाहिए । उनके कर्ज माफ होने चाहिए, उनको बोनस की राशि मिलनी चाहिए और हमारे राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने कुछ तथ्यों को बताना चाहता हूं कि 2004 में छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 9 हजार करोड़ रूपए था और 8 हजार करोड़ रूपए ऋण था, जो हमें पिछली सरकार से विरासत में प्राप्त हुआ। जितना बजट और लगभग उतना ही कर्ज । किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जब डॉ. रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उस समय प्रदेश का बजट 95 हजार करोड़ रूपए का था और जिस समय वे पदभार ग्रहण किये थे, उस समय का कर्ज 41 हजार करोड़ रूपए था, जिसमें 8 हजार करोड़ रूपए भी शामिल थे । दोनों को मिलाकर 41 हजार करोड़ कर्ज हुआ । जब वे पद छोड़े, उस समय 95 हजार करोड़ के बजट के बाद अपने पद को उन्होंने छोड़ा था । उस समय की परिस्थितियां क्या थीं और छत्तीसगढ़ का पहचान क्या थी ? मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इन 15 सालों की अवधि में केवल 33 हजार करोड़ रूपए का कर्ज था और इस कर्ज में छत्तीसगढ़ को भारत में अपनी पहचान दिलाने में सफल हुए, ऐसे उन 15 सालों को मैं याद करना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल लगभग 26 महीने का है और इन 26 महीनों में 36,150 करोड़ रूपए का कर्ज ले चुके हैं । यदि मैं इसको डिवाईड करूं तो प्रतिदिन 47 करोड़ रूपए होते हैं । प्रति घंटा 1 करोड़, 95 लाख, 83 हजार, प्रति मिनट 3 लाख, 26 हजार और प्रति सेकण्ड 5439 रूपये का कर्ज हुआ। यह प्रति मिनट और सेकण्ड की स्थिति है । डॉ. रमन सिंह जी की सरकार और अभी की सरकार में यह अंतर है । अभी की सरकार प्रतिदिन 47 करोड़ रूपए का कर्ज ले रही है और डॉ. रमन सिंह जी उस समय इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी प्रतिदिन 13 करोड़ रूपए

खर्च के लिए सरकार से जाता था । अभी कर्ज ले रहे हैं और उस समय सरकार से खर्च के लिए जाता था । राज्य के विकास के लिए और बाकी कार्यों के लिए 13 करोड़ रूपए प्रतिदिन जाता था । बजट और बाकी पत्रक जो छपे हुए हैं, मैं उसको पढ़ रहा था । उसमें 18 हजार करोड़ रूपए का प्रस्तावित कर्ज और शामिल किया गया है । कर्ज लेंगे या नहीं लेंगे, वह आगे देखेंगे। यदि मैं 18 हजार करोड़ रूपए को और शामिल कर लूं ता जब हम यहां पर 2022 के बजट में चर्चा करेंगे, उस समय 54 हजार करोड़ रूपए का कर्ज हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के एक-एक व्यक्ति के ऊपर में 36 करोड़ रूपये का कर्ज आएगा । यह स्थितियां हमारे सामने है । हम किस दिशा में जा रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मैं पुनरीक्षित और बाकी चीजें पढ़ रहा था । जब पहली सरकार थी, उस समय के सरकार के समय में भी अनुमान लगाया जाता था और अभी की सरकार में भी पुनरीक्षित अनुमान लगाया जाता है और जो अनुमान लगाते हैं, उसके करीब-करीब जाते हैं । 15 साल में जो अनुमान लगाया गया, उसके भी करीब-करीब में रहे । पिछली बार 2019-20 में हमारा वित्तीय घाटे का अनुमान 10,880 करोड़ था, जो वित्तीय घाटा आया है, प्रस्तुत हुआ है, 17500 करोड़ रूपये का आया है। वर्ष 2020-21 में घाटे का अनुमान 11518 करोड़ का था और पुनरीक्षित अनुमान 22838 करोड़ हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यदि परिवार में हैं, घर में हैं तो अपने घर को चलाने के लिये भी एक आंकलन करते हैं कि हमारा पर ईयर का खर्चा क्या आयेगा ? उसके अनुरूप हम अपने घर को चलाने का प्रयास करते हैं। यदि हम उसमें अनुमान नहीं लगा पाये तो डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं और आने वाले समय में यहां की जनता भुगतेगी। इस बात की बहुत चर्चा हुई कि डॉ. रमन सिंह की सरकार में 33 करोड़ रूपये का कर्ज लिया, यदि हम 33 करोड़ रूपये में देखेंगे तो 1 साल में हमारा कर्ज दो हजार करोड़ रूपये से कुछ ऊपर है, जो प्रतिवर्ष का है। आपकी जो पहली सरकार थी, हमको आठ करोड़ वहीं से मिला था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 करोड़ का कर्ज हमको मिला और हमने 15 सालों में 33 करोड़ कर्ज लिया। उसके बाद हम लोगों ने 2 हजार करोड़ रूपये का क्या किया और हम लोग कैसे सरकार चलाये हैं ? मैं इसमें कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। जैसे- बजट का आकार 9 हजार करोड़ रूपये से 94 हजार करोड़ रूपये हुआ। प्रति व्यक्ति आय 13 हजार से 92 हजार पहुंची। अभी की हम तुलना करेंगे तो 2 वर्षों में बजट में कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है। एक लाख पांच हजार....।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप थोड़ा सा सुधार लीजिए। आपने कहा कि जब रमन सिंह जी को कुर्सी मिली तो खाली खजाना मिला था। उसमें बचत में 3 हजार करोड़ रूपये था। बचत में था।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो रिकार्ड पर ही बात कर रहा हूं, अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं। आपके रिकार्ड में है।

श्री अमरजीत भगत :- बचत था।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बता तो रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 वर्षों में बजट में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। 1 लाख 5 हजार करोड़ रूपये का बजट लाया है और पुनरीक्षित अनुमान में काफी कम हो गया। 13 हजार से 92 हजार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष भी प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है। इतना कर्ज लेने के बाद में हुई है। मैं विद्युत के बारे में बताना चाहूंगा कि 72 हजार से 4 लाख 75 हजार कनेक्शन दिये।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये क्या ..।

श्री धरमलाल कौशिक :- अमितेश के लिये तो बैठना पड़ेगा।

श्री अमितेश शुक्ल :- नहीं-नहीं, मैं ये चीज पूछ रहा हूं कि यह कोरोनाकाल में जोड़कर बता रहे हैं ना कि कम हुई है। यह पूछ रहा था। इसमें कोरोनाकाल जुड़ा हुआ था ना। पूरे देश में कम हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 72 हजार से 4 लाख 75 हजार पंप के कनेक्शन दिये। मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि धरमलाल कौशिक और बाकी लोग लगातार इस बात को उठाते हैं और मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि आज फिर इस बात को उठायेंगे। मुख्यमंत्री जी आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं वास्तविक में यह बता रहा हूं कि गरीब लोग पैसा पटा चुके थे और कनेक्शन नहीं मिलने के कारण वे काफी नर्वस थे। मुझे लगता है कि उसमें एक बात सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोग एस.टी. और एस.सी. को फ्री कनेक्शन देते थे, बिल में भी उनका पैसा नहीं लेते थे, लेकिन अभी उनको बिजली बिल गया है।

श्री अमरजीत भगत :- धन्यवाद बोलिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- बता तो दिया। जो बिजली का बिल गया है, आप एक बार अधिकारी को दिखवा लीजिए, अभी तक उनको पैसे पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, वे लोग मेरे पास बिल ले करके आये थे। बिल लेकर आये तो उन्होंने इस बात को कहा कि साहब हमको तो पहली बार यह नोटिस मिला है। इस बात की सुनिश्चित होनी चाहिए कि आखिर उनको बिल गया है तो किसके कारण गया है, क्यों गया और अभी तक लाभ मिल रहा है तो लाभ से वंचित क्यों हुए ? इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। 15 लाख घरों में कनेक्शन थे और हमारे द्वारा इन 15 सालों में 42 लाख घरों में विद्युत कनेक्शन दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों की बात करूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक हजार किलोमीटर से 22 हजार किलोमीटर सड़क, यदि मैं कुल सड़क की बात करूं तो 30 हजार से 61 हजार किलोमीटर सड़कें बनवाई गई थीं। हम लोगों ने पिछली बार देख लिया है, बाकी सदस्यों ने कहा है। एक तो बजट में आवंटन कम आया और जो बजट में आया, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली। अभी भी उन सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। राज्य की मद से जो सड़कें बननी चाहिए थी, मैं

यह नहीं कहता कि बिलकुल नहीं बनी है, कुछ क्षेत्रों में बन गई होगी, लेकिन इन दो सालों में वास्तव में प्रदेश में सड़कों का जो निर्माण होना चाहिए था, उन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। 22 हजार स्कूल थे और हमने 60 हजार किया। 2 हजार आश्रम छात्रावास को 3 हजार किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस वित्तीय वर्ष में 25 स्कूलों के उन्नयन का आदेश जारी किया है। हमने 22 हजार स्कूल को 60 हजार स्कूल किया है। हमें विरासत में 22 हजार स्कूल मिले थे, हम उसको 60 हजार तक ले गये। अभी 25 स्कूल ? आखिर इस बजट का क्या हो रहा है ? यह प्रदेश कहां जा रहा है ? बजट में यही बात तो चर्चा करने के लिए है और मैं इसी बात की चर्चा कर रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, पिछली सरकार ने 3 हजार स्कूल बंद कर दिया था। हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन आपकी सरकार ने नहीं सुना। यह सरकार कम से कम स्कूल तो खोल रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरस्वती सायकल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी। जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती थीं, उनकी पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए 5 लाख बालिकाओं को सायकल दिया गया था। आपने छात्रों को सायकल देने का लिखा है। आप छात्रों को छोड़ दीजिये, आपने इस वित्तीय वर्ष में एक भी सायकल नहीं बांट पाये।

श्री शैलेश पाण्डेय :- क्योंकि सेठ जी के रिश्तेदार हैं, वही बिलासपुर का ठेका ले जाते थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब के समय में महिला स्व-सहायता समूह को काम मिले, इसलिए उनको मध्यान्ह भोजन से जोड़ा गया और उसके बाद पूरे प्रदेश की महिला स्वसहायता समूह ने मध्यान्ह भोजन का काम किया। उनकी व्यक्तिगत आय भी हुई। क्वालिटी के साथ भोजन भी करवाये। बच्चों में सुपोषण भी आया। लेकिन अभी क्या हो रहा है ? कल आपके सामने सोयाबीन बड़ी का खेल ने आया। मैं आज आपको बता रहा हूं कि रायपुर का कोई व्यक्ति है, उसे व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए उनको पूरे प्रदेश का ठेका दे दिया गया है। वह तेल पहुंचा रहे हैं, आचार पहुंचा रहे हैं, दाल पहुंचा रहे हैं और राशन सोसायटी दुकान से ले रहे हैं। स्व सहायता समूहों से यह काम छीन लिया गया। जो महिलाएं काम कर रहीं थीं, इस सरकार ने उनसे भी वंचित करने का काम किया है। इसमें जो भ्रष्टाचार है, वे सारे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। केवल दो व्यक्तियों को लाभ पहुचाने के लिए स्व सहायता समूह के हाथ, हक से छीना गया है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ जिनको रोजगार दिया गया था, यदि आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप कम से कम उनके हाथों से रोजगार छीनने का प्रयास न करें। लेकिन आपने भी उनको बेरोजगार किया है। आज महिला स्व सहायता समूह हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, उनके पास कोई काम नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां बीज का उत्पादन और गुणवत्ता के बारे में रोज चौबे जी का वक्तव्य आ रहा है, इसलिए उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से बीज का उत्पादन पहले से बढ़ा है। बीज का उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों का भी उत्पादन बढ़ा है। चाहे वह दाल के क्षेत्र में

हो, चाहे धान के क्षेत्र में हो, बाकी चीजों में भी उत्पादन बढ़ा है। लेकिन चौबे जी की एक बात अच्छी है कि जो लोग भी गलती किए हैं, उन्होंने उनको ठीक करने का काम किया है। आज भी कई लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का सुनिश्चित किए हैं। जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तो चाहे अमानक खाद हो, अमानक बीज हो, अमानक दवाई हो, जिसके कारण कि इस बार बहुत अधिक संख्या में किसानों ने आत्महत्य की। दो बार, तीन बार दवाई डाले, उसके बाद भी वह ठीक नहीं हुआ तो अंतत: किसानों ने अपने प्राण को समाप्त किया लेकिन वे कर्ज से मुक्त नहीं हो पाये। ऐसे तमाम लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय नेता जी, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि दिल्ली में कितने किसानों ने आत्महत्या की और मरे हैं उसका भी थोड़ा आंकड़ा दे दें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमितेश जी तो इस बात से भी दुखी नहीं हैं कि जो लोग लालकिले में जाकर दंगाई कर रहे हैं, उनके पास चावल पहुंचाने और उनके पोषण की चिंता इस सरकार को है लेकिन यहां के जो किसान आत्महत्या किए हैं उनके घर में एक नया भेजने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इस प्रकार से ये सरकार चल रही है। यह इस सरकार की नीति और नीयत बता रही है कि यह कैसे वहां पर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। उस विषय में यह केवल राजनीति करना चाहते हैं।

श्री कवासी लखमा :- दिल्ली में कील गाड़ रहे हैं कील।

श्री अमितेश शुक्ल :- दिल्ली में किसानों की क्या हालत हुई है। किसान लोग वहां पर आत्महत्या किए हैं, मरे हैं आप अच्छी तरह से जान रहे हो।

श्री सौरभ सिंह :- दिल्ली की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अभी बढ़िया चर्चा कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान को शून्य प्रतिशत ब्याज पर जो लोन मिल रहा है, पहले इनकी सरकार थी तो 14-15 प्रतिशत ब्याज लगता था, इसे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जीरो प्रतिशत पर लाया गया और हमारे किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। आज सिंचाई की सुविधा को डबल करने की बात हो रही है। जिस समय प्रदेश का निर्माण हुआ उस समय सिंचाई की सुविधा को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत में लाया गया और इन दो सालों में सिंचाई की क्षमता 38 प्रतिशत है और सिंचाई की क्षमता आज 38 प्रतिशत है। ये जो 38 प्रतिशत है उसमें हम ये कह सकें कि यदि आप क्षमता दुगनी करना चाहते हैं तो आपका बजट भी तो दिखना चाहिए ना। आपकी नीयत भी तो दिखनी चाहिए ना। जब आपका 2 साल 4 महीना निकल गया और आप दो प्रतिशत में पहुंचे हैं, मैं तो इस बार उम्मीद कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बोधघाट परियोजना, इस बार तो बजट भाषण में मुख्यमंत्री के द्वारा उसका उल्लेख भी नहीं किया गया

कि हम अभी तक उसमें क्या किए हैं और क्या करने जा रहे हैं। मैं सोचता था कि इस बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उल्लेख करेंगे लेकिन उस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताना चाहूंगा कि 4400 स्वास्थ्य केंद्र थे, उसे बढ़ाकर 6100 किया गया। 01 नर्सिंग कालेज से 84 नर्सिंग कालेज तथा 100 एम.बी.बी.एस. सीट से 1100 एम.बी.बी.एस. सीट हुई। यह हमारी उपलब्धि रही है। अब मैं बहुत सी चीजों में नहीं जाना चाहता, आपने बंद कर दिया है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी भाषण दे रहे हैं, इतना उबाऊ भाषण है कि हमारे अजय चंद्राकर जी सो रहे हैं, ये हालत है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई योजनाओं को जिसका गरीबों को लाभ मिल रहा था उसे आपने बंद भी कर दिया। शायद ये लाभ उनको मिल जाते तो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा होता। चाहे चरण पादुका की योजना हो, तीर्थ यात्रा योजना अभी लगभग बंद सी हो गई है ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं कुछ आंकड़ों में आना चाहता हूं। आपका जो बजट प्रस्तुत हुआ वह 1 लाख 5 हजार 212 करोड़ का है। समस्त राजस्व की प्राप्ति 79 हजार 325 करोड़ रूपये है और इसमें राज्य का राजस्व है 35 हजार करोड़ और केंद्र का राजस्व 44 हजार 325 करोड़ रूपये। अभी का नहीं बल्कि पिछले वर्ष वर्ष 2019-2020 का आप देखें तो वर्ष 2020-2021 का देखेंगे तो उसमें भी राज्य के प्रतिशत से राजस्व में केंद्र का प्रतिशत ज्यादा मिलेगा और आज भी उसमें उसी प्रकार से दिया गया है। अब आप जो काम करना चाहते हैं प्रमुख दो-तीन बिन्दुओं को मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का आय-व्ययक जो आपके पुस्तक में प्रकाशित है कृषि व संबद्ध सेवा में 26 प्रतिशत, ग्रामीण विकास में मात्र 2 प्रतिशत, सिंचाई और बाढ़ में 4.6 प्रतिशत, उद्योग एवं खनिज में 1.4 प्रतिशत, परिवहन में 7.8 प्रतिशत ये जो आपने अब तक प्राथमिकता में किया है। स्थिर भाव वृद्धि हम देख रहे हैं कि हम लोग किधर जा रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जीएसडीपी वर्ष 2018-19 7.98, वर्ष 2019-20 में 5.12 और वर्ष 2020-21 में -1.77। आपका कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में 9.78, वर्ष 2019-20 में 3.64 और वर्ष 2020-21 में 4.61। उद्योग में 9.40, वर्ष 2019-20 में 3.43 और अभी -5.28। सेवा क्षेत्र 8.32 प्रतिशत, 7.71 प्रतिशत और अभी 0.77 प्रतिशत है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार आपकी जो गिरावट आ रही है।

श्री अमरजीत भगत :- आप इसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन ही अच्छा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपकी जो गिरावट आ रही है।यदि इसको नहीं रोका गया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी, केन्द्र और राज्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो आपको छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अच्छा दिखेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसमें भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह सरकार की स्थिति है यह सरकार आने के बाद में हम किस दिशा में जा रहे हैं? और हमारा विकास कितना होगा? विकास में हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं ? उन प्राथमिकताओं के साथ में देख रहे हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह आपका रिकॉर्ड बता रहा है। अब आपने गांव और गरीबों की बात कही। नरवा, घुरवा, बाड़ी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपने उस गरीब आदमी के लिए बजट में महज 175 करोड़ का प्रावधान रखा है। आपने 350 करोड़ का प्रावधान किसके लिए रखा? जैम्स ज्वेलरी के लिए प्रावधान रखा है। यह आपकी स्थिति बता रही है। आपने घरेलू महिलाएं जो काम-काज कर रही हैं उनको सहायता देने के लिए बजट में प्रावधान रखा है । आपने 61 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। आज प्रदेश में हम लोग अमूमन माने तो लगभग 3 करोड़ की आबादी है और यदि हम ऐसा मान लें कि 3 करोड़ की आबादी में घर में काम करने वाले कितने हैं ? यदि हम ऐसा आंकलन करें तो लगभग 25 लाख लोग होते हैं और आपके 61 करोड़ में 25 लाख लोगों को डिवाईड करेंगे तो लगभग आपका समझ लीजिए कि आप उनको 244 रूपये के आसपास मदद कर पा रहे हैं। यह आपकी उनको मदद करने की स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब दो दिनों से एक हाईट का विषय चर्चा में रहा है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से हाईट की बात आयी और पूर्व मुख्यमंत्री जी की तरफ से हाईट की बात आयी और उन्होंने अपने-अपने शब्दों में परिभाषित किया।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय नेता जी, हाईट नापे के काम जनता करथे। वो हा कर दे हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह तो आम जनता आगे बताएगी। अभी तो हम और आपको ही चर्चा करना है। मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि आपने तो नई हाईट नहीं दी, यहां नई हाईट तो मिली नहीं, लेकिन प्रदेश के लोगों की जेब बड़ी टाईट है। यह बात आज सिद्ध हो गई है, जिस प्रकार से आपने हाईट को दिया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी मुस्कुरा-मुस्कुरा के बोल रहे हैं।

श्री अमितेष शुक्ल :- भाई हाईट में इतनी फाईट क्यों हो रही है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- अगर हाईट में जा रहा है तो उसको जाने दीजिए।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय नेता जी, हमारी पेट्रोल और रसोई गैस से जेब टाईट हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस हो गया। मैं उस दिन भी राजा साहब को देख रहा था और आज भी राजा साहब नहीं है। आज मैं उनके यूनिवर्सल हेल्थ स्किम के बारे में पूछने वाला था। साहब, उसका कुछ उंगली, पैर-वैर निकला या नहीं निकला ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको राजा साहब से बहुत प्यार हो गया।

श्री शैलेश पाण्डे :- हम लोग प्राईवेट अस्पतालों में भ्रष्टाचार नहीं करते।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके कार्यकाल को 2 साल 4 महीना हो गया। लेकिन 2 साल, 4 महीने के बाद में उसके पैर से उंगली नहीं निकल रही है।

श्री अमरजीत भगत :- अभी यहां पर एक राजा नहीं है तो क्या हुआ? आप बगल वाले से पूछ लीजिए। यहां पर दूसरे राजा तो हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको जवाब तो आप दे सकते हैं तो ऐसी योजना क्यों लाना, जो योजनाएं चल रही हैं उनको बंद क्यों करना? और इन योजनाओं को बंद करके लोगों को जो राहत मिल रही थी, उनको क्षति क्यों पहुंचाना? आज गांव-गांव के गरीब लोग इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। आपने कहा कि हम 20 लाख रूपये तक की अच्छे इलाज की सुविधा देंगे। हम अच्छी योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन आपकी योजनाएं कहां पर हैं? लगभग सवा दो साल से ऊपर ढाई साल की स्थिति में आ गये हैं और इस स्थिति में आने के बाद आपकी योजना कहीं दिखायी नहीं दे रही है। जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा था, उससे भी वंचित कर दिये। यदि आप नहीं दे सकते तो जो योजना का लाभ मिल रहा है, उससे वंचित करने का आपको अधिकार नहीं है। आपने जो योजना के लाभ से वंचित किया है, आज उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। मैं इस सरकार को एक लाईन में पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूं- विकास विरोधी सरकार। इस सरकार को विकास रास नहीं आता है। विकास करने के बजाय वह पता नहीं कहा उधेड़बुन में लगे रहते हैं। आप हिन्दुस्तान की बात कर रहे थे कि वहां पर क्या स्थिति है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज केवल छत्तीसगढ़, हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, डगमगाई है। अर्थव्यवस्था के डगमगाने के बाद में हमारे केन्द्र की जी.डी.पी. (-7) प्रतिशत अनुमानित है, इसके बावजूद केन्द्र सरकार ने अपने केन्द्रीय बजट में यहां के विकास के लिए साढ़े 5 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा है। यह टोटल बजट का 16 फीसदी है। आप तो बडी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे यहां पर संकट नहीं आया, पूरा विश्व आर्थिक संकट को झेल लिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश खुशहाल रहा है। छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। इस बात को आप बोल रहे थे। लेकिन मैं आपका बताना चाहता हूं कि आपका पूंजीगत व्यय कितना है और पूंजीगत व्यय में क्या स्थिति है? तो पूंजीगत व्यय में कुल व्यय का 13 से 14 प्रतिशत के बीच में है। इससे सिद्ध हो रहा है आप क्या करने वाले हैं, क्या परिसम्पत्तियों का निर्माण करने वाले हैं? इस प्रदेश के जनहित में कितना खर्च करने वाले हैं? यह स्पष्ट दिख रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जितने भाषण हुए हैं, अभी जितने भाषण हुए, लगभग जो भाषण हुए हैं, यह तो इतिहास है कि जब-जब कांग्रेस की सरकार बनी है टेपरिकार्ड नहीं बनाती बल्कि टेपरिकार्डर की तरह बोलती है। इस बात को हम लोग लगातार देख रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें आईं, तीसरा बजट प्रस्तुत हो गया और तीसरा बजट प्रस्तुत होने के बाद भी अभी

भी उसी बात को दोहरा रहे हैं, आप दोहरा रहे हैं तो कुछ बातों को शामिल कर देते। बहुत सारे लोगों ने फुड-पार्क की बात किये हैं, मैं उस बात को अब दोहराना नहीं चाहता। दो-ढाई साल का समय निकलने के बाद में, तीसरा बजट प्रस्तुत होने के बाद में आखिर वह फुड पार्क कहां पर अटका हुआ है। आज तक बना क्यों नहीं, वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? केवल इतना ही नहीं, आपने जो युवाओं के लिए कहा था, इस बजट में शामिल कर दिये होते। आप 10 लाख युवाओं को मत देते। एक हजार, दो हजार युवाओं से देना शुरू करते, कहीं न कहीं तो उनको आस होती, लेकिन उसका भी कहीं समावेश नहीं है। लेकिन भाषण में जरूर आयेगा कि धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने वाली देने वाली हमारी सरकार है। 15-16 महीने हो गये, लेकिन अभी तक किसी के खाता में नही गया है, लेकिन हमारी सरकार धान का 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने वाली सरकार है।

श्री अमरजीत भगत :- असत्य बोल रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- असत्य क्यों बोलने का।

श्री अमरजीत भगत :- यह बताईये कि 5700 करोड़ रुपये लोगों के खाते में पहुंच गया और अंतिम किश्त 31 मार्च से पहले पहुंच जायेगी। यहां तक की आपके खाता में भी पहुंच गई है, इसके बाद भी आप असत्य बोलते हैं, बताईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अमितेश शुक्ल जी से शिक्षा लो, अमितेश जी कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- राजीव गांधी किसान न्याय योजना मद का पैसा आपके खाते में कितना गया है ? इस बात का जरूर उल्लेख हो जाता तो अच्छा रहता।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उस दिन एक लाईन में बताया था कि मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है कि मैं किसान हूं। मैं किसान का पुत्र हूं। मैं धान बेचता हूं। मैंने उस दिन कहा था कि नदियां और रेती को नहीं बेचता।

श्री बृहस्पत सिंह :- किसान न्याय योजना का पैसा खाते में जाने की बात है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो सेस लगाई है, इस सरकार ने जो सेस लगाया है।

श्री अमरजीत भगत :- पिछली सरकार में रोगदा बांध को बेच दिये थे, आपको मालूम है न।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोग आरोप लगाते हैं, प्रमाणित कहां करते हैं। प्रमाणित करने के समय भाग जाते हो, पलायन कर जाते हो। बहुत सारे मुद्दे उठाये, लेकिन 15 साल का मुद्दा उठाने के बाद में आप कहां हो ? आप एक भी तो प्रमाणित नहीं कर पाये। केवल अफवाह फैलाना और भ्रम फैलाना यह आपकी शुरू से नीयत है और नीति है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री अमरजीत जी, उसके लिये भी एक एस.आई.टी. का गठन करवा दो ।

आप लोग एस.आई.टी. एक्सपर्ट हो, एक एस.आई.टी. और गठित हो जाये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सेस लगायी गयी है और जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, गंगाजल उठाकर अपने नेताओं से कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आधी रात को 12 बजे हम शराब की पूर्णबंदी कर देंगे और अभी वह व्यवसाय बन गया । उससे 600 करोड़ रूपये की कमाई, वह कमाई का जरिया बना हुआ है उसके लिये भी सेस लगाया गया और सेस के माध्यम से 600 करोड़ अतिरिक्त कमाई का जरिया बनाया गया है । इसमें हतोत्साहित किया जाना चाहिए । कैसे दारू बंद हो, लोग कैसे पीना छोड़ें ? इस बात की चर्चा होनी चाहिए और इस बात की चर्चा करने की बजाय दारू की बिक्री ज्यादा कैसे बढ़े, उसमें कैसे कमाई ज्यादा हो इस बात की चर्चा यहां पर हो रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौधन योजना की यहां पर इधर से भी और उधर से भी बहुत सारे लोगों ने बात की है । आपके बजट पुस्तक में है कि 80 करोड़ रूपये का आपने गोबर खरीदा और 80 करोड़ रूपए का गोबर खरीदने के बाद में 70,300 क्विंटल कम्पोस्ट खाद अभी तक बना । यह फाईनल फीगर है जो बजट में आया है कि आपने 80 करोड़ का गोबर खरीदा और खरीदने के बाद में 70 हजार क्विंटल का आपने कम्पोस्ट खाद बनाया और कम्पोस्ट बनाया तो आपका कितना हुआ तो लगभग 7 करोड़ रूपये का आपका खाद बना । यह 73 करोड़ रूपये कहां है? यह 73 करोड़ रूपये आप पता करवा लीजिये उनके जवाब अभी आ रहे हैं कि नदी किनारे के जितने गांव में गोबर खरीदा गया, वह सारा गोबर बह गया । आपने 7 करोड़ का जो हिसाब दिया और उसमें लिखा है कि अभी तक हमने इतना बना लिया और बनाने के बाद में 73 करोड़ रूपये कहां हैं ? 73 करोड़ रूपये का गोबर कहां है तो 73 करोड़ रूपये का आपका गोबर बह गया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के लिये बजट में देख रहा था तो 4 वृहद् सिंचाई योजना और 200 करोड़ रूपये की बजट राशि । वास्तव में आज जो प्रदेश में मैंने कुछ बातों का जिक्र भी किया था और कुछ बातों का उल्लेख भी किया था और मैंने पहले भी किया है कि जो सिंचाई योजनाएं हमारी अधूरी हैं । उस अधूरी सिंचाई योजना को अगर हम पूरा करने का प्रयास करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा । आपकी जो इच्छा है कि सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो, उसके पूर्ण होने के बाद में उसकी सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी । किसानों के खेत तक पानी नहर के माध्यम से और बांध के माध्यम से चला जायेगा और ऐसी योजनाओं को पूर्ण कराना प्राथमिकता क्रम में आना चाहिए । यदि वह प्राथमिकता क्रम में आयेगी तो न केवल सरकार का उद्देश्य पूर्ण होंगे बल्कि यहां के जो आम किसान जिनकी केवल एक पानी के कारण फसल चौपट हो जाती है, आज महंगी दवा, महंगी खाद और उनके महंगे लेबर और उसके बाद में भगवान के भरोसे हैं । यदि एक बारिश समय पर नहीं हुई तो सारा जो किया-धरा है उस पर पानी फिर गया तो इसलिए ऐसी अपूर्ण योजनाओं को यदि पूरा करने का प्रयास करें और उसके लिये यदि राशि का

प्रबंध करें तो निश्चित रूप से सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, उसको प्राथमिकता में लिया जाना चाहिए, उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए और समीक्षा करके उसका रास्ता निकालना चाहिए कि उसमें क्या किया जा सकता है ? जल जीवन मिशन का तो देख ही लिया है कि पैसा आया नहीं और बंदरबांट शुरू, टेंडर भी नहीं लगा पाये । वे पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे कि क्या-क्या लगाये हैं और मुख्यमंत्री जी ने उसको निरस्त कर दिया । उसके कार्य शुरू हो गये हैं, कई जगह पूर्णता की स्थिति में है लेकिन टेंडर नहीं लगा है यह ऐसी सरकार है, वह निरस्त भी हो गया लेकिन उधर काम कहीं अधूरा है, कहीं काम पूर्णता की ओर है, न जाने कौन सा मंत्र दिया गया है ? या झाडफूंक किया गया है कि बिना टेंडर के और निरस्त करने के बाद करोड़ों के काम चल रहे हैं । यह स्थिति है । केन्द्र सरकार की योजनाओं का कैसे बंदरबांट किया जाए ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- नेता जी, जो हुआ ही नहीं, आप उसका जिक्र कर रहे हैं । यह तो हवाई फायरिंग वाली बात हो गई ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- क्या है मंत्री जी, चंदेल भइया ने भाषण की शुरूआत की थी और उन्होंने कहा कि बल्ब को मैं लालटेन से देखता हूं । वैसे ही सब लोग की आदत पड़ गई है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है । ऐसा कोई दिन नहीं है जब आप सबेरे उठकर समाचार पत्र देखें और उसमें किसी घटना का उल्लेख न हो । आप रात को टी.वी. देखेंगे और सुबह चाय पीते समय टी.वी. देखेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं जब घटना का उल्लेख न हो । पता नहीं इस प्रदेश को क्या हो गया है, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, आत्महत्या की घटना हो रही है । अभी एक नई चीज शुरू हुई है, चाकूओं को घोंपा जाए और उसका वीडियो बनाया जाए, वीडियो बनाकर वायरल किया जाए । किस संस्कृति की ओर इस प्रदेश को ले जा रहे हैं ? अपराधियों में इतना साहस, पुलिस का भय समाप्त हो चुका है । और आज स्थिति यह है कि पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है लेकिन क्या मजाल है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सके । छत्तीसगढ़ की पुलिस को इतना लाचार बना दिया गया है । यह हमारी सरकार की हालत है । इस छत्तीसगढ़ की हालत है कि पुलिस लाचार हो गई है । वीडियो चल रहा है, प्रमाणित है लेकिन पुलिस गिरफ्तार करने की स्थिति में नहीं है । जब ये स्थिति होगी, घटनाएं वायरल होंगी तो आम लोगों में गुंडागर्दी बढ़ेगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा । न्याय के लिए चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा हो, यदि उसके लिए भेदभाव करेंगे तो प्रदेश में जो पुलिस की दुर्दशा है, ये लाचार बनी हुई है । ऐसी ही स्थिति प्रदेश में निर्मित होने वाली है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सोच रहा था कि इस बजट में खासकर पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए, आधुनिक संचार टेक्नालॉजी से अपग्रेड करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा । आपने उनके परिवार को बहुत सारा आश्वासन दिया है । आज भी उन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता । आज भी उस परिवार में जो

बातें कहीं गई हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा है । वे आज भी वंचित है । छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं । यह मैं नहीं बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घट रही है वह इस बात को प्रमाणित कर रही हैं । हिंदुस्तान में विकास के कार्यों में नहीं, बल्कि अपराधों में अपना नाम दर्ज कराने में छत्तीसगढ़ निरन्तर आगे बढ़ रहा है, यह छत्तीसगढ़ की दुर्दशा है । उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे बस्तर में कि इन दो सालों में कितने नक्सली मारे गए । जितने नक्सली मारे गए हैं उससे ज्यादा पुलिस के जवान मारे गए हैं । उससे ज्यादा आपके सिविल नागरिक मारे गए हैं ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- नेताजी, अइसन बोलके भ्रम काबर फैलावत हस ? कोई रिकॉर्ड-विकार्ड है एकोठन ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरे पास रिकॉर्ड है, विधान सभा का जवाब है, मैं पटल पर प्रस्तुत कर दूंगा ।

श्री अमितेश शुक्ल :- झीरम घाटी के बारे में जरूर पटल पर प्रस्तत करियेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- कर दूंगा प्रस्तुत ।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेताजी और कितना समय लेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप जब बोलेंगे उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 5-10 मिनट ।माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मैंने बताया कि नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है । वास्तव में बजट में इन चीजों की आवश्यकता है । आपने यह कहा है कि 92 करोड़ इसलिए रखा गया है कि हम भर्ती करेंगे । अच्छी बात है भर्ती होनी चाहिए । लेकिन नक्सलियों से जो आम नागरिक दहशत में हैं, उस दहशत से उनको कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है । उसके लिए अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो राशि खर्च करनी चाहिए, निश्चित रूप से उसमें करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में केवल बस्तर की बात नहीं है। आम लोगों से जुड़ी हुई बात है। आम लोगों का मनोबल बढ़ना चाहिए और आम लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए खर्चे करने में कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जिस प्रकार से प्रदेश का बहुत सारी राशि आपकी सुरक्षा के नाम पर केवल नक्सलियों के कारण में वह राशि बढ़ाई जाती है। लेकिन जब नक्सलियों का खात्मा हो जायेगा तो हमारा जो बस्तर है, जिस प्रकार से हम कश्मीर की बात करते हैं, यदि छत्तीसगढ़ का हमारा कोई कश्मीर है और पर्यटन के दृष्टिकोण से उसके प्राकृतिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से यदि हमारे छत्तीसगढ़ का है तो हमारा बस्तर है, बस्तर है, बस्तर है। इसलिए बस्तर को बचाने की आवश्यकता है।

श्री अमरजीत भगत :- आप तो 15 साल में बस्तर को नक्सल मुक्त नहीं करा पाये, लेकिन हम लोग जरूर करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- हमने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारी जो चर्चाएं हुईं। कोई भी सरकार हो वह लालायित रहती है कि हमें केन्द्र से कोई योजना मिले और ज्यादा से ज्यादा केन्द्र से हमें मदद मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि शायद हिन्दुस्तान में पहली सरकार छत्तीसगढ़ की है कि केन्द्र बोल रहा है कि ले लीजिए और छत्तीसगढ़ बोल रहा है कि मेरी ताकत नहीं है। मेरी औकात नहीं है। लेने की मेरी क्षमता नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की सरकार की स्थिति बन रही है। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेश जी कुछ कमेंट कर रहे हैं। सरकार के लिए कुछ स्पेशल कमेंट आ रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अमितेश जी, आपको तो छूट है।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं यह कह रहा हूं कि आपकी केन्द्र की जो सरकार है, वह को-वैक्सीन दे देती है।

श्री धरमलाल कौशिक : - चलिए, मैं वैक्सीन में आ जाता हूं।

श्री अमितेश शुक्ल :- वह को-वैक्सीन नहीं देती। आप बोलते हैं न कि देते हैं को-वैक्सीन दे देती है, तो यह हालत हो जाती है।

श्री अमरजीत भगत :- अमितेश जी बोल रहे हैं कि आप मुंह के अलावा कहीं और से भी बोलते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यहां पर मकान देने की बात आयी थी कि केन्द्र देने को तैयार है और राज्य सरकार लेने को तैयार है। और यह राज्य सरकार जो लेने को तैयार नहीं है, यह आपको भी मालूम है कि यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए मकान नहीं बनना है। इस छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए बनना है और गरीबों के प्रति आपके मन में पीड़ा होनी चाहिए और यदि आपकी पीड़ा होती तो और ज्यादा डिमांड करते, बल्कि जो डिमांडेड है उसे आप मना नहीं करते, उसे इंकार नहीं करते। छत्तीसगढ़ का बजट यह बयां कर रहा है। बेरोजगारों के लिए आपने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले अभिभाषण में हो गया, दूसरे अभिभाषण में हो गया, तीसरे अभिभाषण में हो गया, तीसरा बजट भी आ गया, आपके पास कितना समय बचा हुआ है? आप उनके लिए क्या करने वाले हैं? जो लोग काम कर रहे थे, लगभग 5-10 हजार लोगों को आपने और नौकरी से निकाल दिया। उनको रोजगार देने के बजाय जो लोग किसी भी प्रकार से कर रहे थे, उन्हें भी आपने निकाल दिया और उन्हें आपने रोजगार से वंचित कर दिया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था। कटौतियों में किसे प्लस और माइनस। जब केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ तो इस कोविड के संकट को उन्होंने देखा और कोविड के संकट को देखते हुए सबसे ज्यादा यदि बजट दिया गया तो

स्वास्थ्य विभाग को बजट दिया गया। उसमें 35 हजार करोड़ केवल वैक्सीन के लिए बजट में प्रावधानित किया गया, लेकिन मैं देख रहा था कि आपका जो बजट है और आपके बजट की जो पत्रिका है, राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय, चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में पिछले समय वर्ष 2020-21 में 5840.77 करोड़ रूपये और इस बार कोविड के संकट में आपने क्या दिया, 5244.46 करोड़ रूपये। आपने बाकी की कटौती की, वह तो समझ में आता है। अभी कोरोना संकट समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में आपने कैंची चला दिया और कैंची चलाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ आप केन्द्र के वैक्सीन को लेना नहीं चाहते तो आपने अपने बजट में वैक्सीन का कितना रूपया डाला? और यहां वैक्सीन के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? केन्द्र ने वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की है । आप वहां की वैक्सीन लेना नहीं चाहते, जिससे यहां के नागरिकों को मुफ्त में मिल सके । मुख्यमंत्री जी का भाषण बाहर में आता है कि केन्द्र सरकार नहीं देगी तो हम देंगे । केन्द्र सरकार तो आपकी वैक्सीन दे रही है, पर छत्तीसगढ़ लेने को तैयार नहीं है । उसको अपने बजट में शामिल करना चाहिए था, पर वैक्सीन के लिए आपने एक रूपया भी नहीं रखा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम विकास के बजट में पिछले समय 2020-21 में 4670.99 करोड़ का प्रावधान था और इस बजट में 4152.59 करोड़ का प्रावधान किया गया है । ऊर्जा में पिछले बजट में 4,400.09 करोड़ था और इस बजट में 3873.03 करोड़ का प्रावधान है । आपने बजट में कटौती की है । मैं सारे विभागों में नहीं बोलना चाहता, लेकिन सभी विभागों में लगभग यही स्थिति है । तेंदूपत्ता के बारे में बड़ी-बड़ी बातें आईं, लेकिन आपने तेंदूपत्ता के बोनस का जिक्र भी नहीं किया। जब डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो तेंदूपत्ता में जो खरीदी हुई थी, उस समय लगभग 18 लाख मानक बोरा संग्रहित हो जाता था । पिछले वर्ष में 15 लाख मानक बोरा हुआ, उसके रेट बढ़ाए गए, 4000 रूपए प्रति मानक बोरा किया गया। 4 हजार रूपये करने के बाद में उसको कम्पनसेट कैसे किया गया ? अब 9 लाख, 72 हजार रूपए मानक बोरा हुआ । कहां तेंदूपत्ता 17-18 लाख मानक बोरा हुआ करता था और अभी 9 लाख, 72 हजार मानक बोरा हुआ है । उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तेंदूपत्ता में 1 पैसे के बोनस का भुगतान आजतक नहीं हुआ है। यह सरकार गरीबों के साथ में इस प्रकार का कार्य कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप सड़क के नाम पर बजट को देखेंगे तो सड़क के नाम बजट में क्या है ? ए.डी.बी. में कुछ काम हो जाएगा और आपका जो विकास निगम है, जिसमें आप कर्ज ले रहे हैं । कुल मिलाकर आपका बजट 150 करोड़ रूपए का है । 5225 करोड़ के काम के बदले में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान है। उसमें एक जगह वाहन दुर्घटना की बात आई है । दो सालों में 13 हजार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं । कार्य योजना बनाने का उल्लेख आया है । छत्तीसगढ़ में 13 हजार दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 5 हजार से ऊपर लोग मौत की काल में समा गए । हम बाकी बातें जोड़ रहे हैं, जिसमें शराब

की बातें करते हैं, जो हाईवा चल रहे हैं, अनाश-शनाप गाड़ियां चल रही हैं, उसके चक्कर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके कारण लोग काल-क्वलित हो रहे हैं । निश्चित रूप से उस पर कोई कार्य योजना बननी चाहिए, ताकि लोगों के प्राण बच सके, इस बात की चिन्ता होनी चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पिछले समय रोगदा बांध के मामला उठाए रेहे, पिछले समय बेच दे रिहीसे, उहू ला बोल देबे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नेता जी, एक मिनट । उपाध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2020 तक सड़क की 24,168 दुर्घटनाएं हुई थीं, उसमें मृत्यु 9020 हुई, गंभीर रूप से घायल 3,615 हो गए हैं । इसलिए आपका आंकड़ा ठीक है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़ा कम बताया है, यह विधान सभा के प्रश्न का जवाब है । विधान सभा में जवाब आ रहे हैं, वह सेम डेट में, एक दिन में अलग-अलग प्रश्न का अलग-अलग जवाब आ रहा है । वह जवाब ऐसे ही आया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात बोल रहा था । इन्होंने बहुत सारे लोगों को आश्वासन दिया था चाहे वह संविदा कर्मी हों, अनियमित कर्मचारी हों, विद्यामितान हो, शिक्षक हों जिनको अनियमित को नियमित करने की बात है, उनको नियमित करने की बात आई, लेकिन आजतक उनको नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं हो पा रहा है । इस बजट को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश एवं निराशा है । जो लोग इस सरकार के भरोसे में उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उनके आश्वासन के भरोसे में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो लिखित में जारी किया है, उसके भरोसे में बैठे हुए हैं लेकिन तीसरा बजट प्रस्तुत होने के बाद भी इस प्रकार की कोई बातें नहीं आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार हम लोग बिलासपुर में नगर निगम के खिलाफ धरना दिये थे। जो नवीन गांव जोड़े गये हैं उसमें इतना आक्रोश है कि जब से उनको नगर निगम में शामिल किया गया, उनको आज तक 1 रूपये की राशि नहीं दी गयी है, न उनको अधोसंरचना मद में राशि दी गयी। वे 17 पंचायत के लोग भुगत रहे हैं। न उनको 14 वें वित्त आयोग की राशि दी गयी, न वहां पर साफ सफाई हो रही है। हम लोगों ने पहले ही मना किया था कि उसको नगर निगम में मत जोड़िये। इस सरकार का नजरिया देखिए, एक तरफ भिलाई से रिसाली को अलग कर सकते हैं, जब भिलाई में है तो रिसाली को अलग करने की क्या आवश्यकता थी? दूसरी तरफ इन गांवों को जोड़कर, जिनकी भौगोलिक स्थिति है, जो उनकी असमानता है, दूरिया हैं, जो संभव नहीं है कि उसका विकास हो सके, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहां इस चक्कर में फंस गये। हम लोगों ने शुरू में ही मना किया था कि उसको मत करिये। लेकिन आज इनके पाप को वहां के लोग भुगत रहे हैं। यदि बनाये हैं तो इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि उनका विकास हो सके। वे लोग पंचायतों में 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के काम करा लेते थे। नगरपालिका, नगर पंचायत 10-10 करोड़ का काम करा लेते थे लेकिन आज 17 नवीन पंचायत के लोगों को न पानी, न बिजली, न सीसी रोड की

सुविधा है, आज तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। ऐसे में इस बात को विचार करना चाहिए। आपका नजरिया दिख रहा है, आपका नजरिया विकास का नहीं था। यदि विकास का नजरिया होता तो दिल्ली को एक नगर निगम से ज्यादा बनाया गया। आप यहां पर भिलाई से अलग करके रिसाली को बना रहे हैं। रायपुर बना है, यहां पर बिरगांव को बनाया गया है। आपका दुर्ग नगर निगम है, उसके बाद एक अलग नगर निगम भिलाई 3 को बनाया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि दूर दृष्टि होती या नियत होती तो उसको शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि उनको शामिल किये हैं तो उनकी चिंता करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेंशन के बारे में बहुत विस्तार से बात हुई। मैं केवल एक लाईन में कहना चाहता हूं। आपने हजार और 1500 रूपये की बात कही थी। मैं इस बजट को पढ़ रहा था और इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा था कि शायद आप उनके लिये चिंता किये होंगे। जो दिव्यांग हैं, जो वृद्ध हैं, जो असहाय हैं, जिनको आपने बड़ा-बड़ा सपना दिखाया कि हम एक हजार आपके घर में पहुंचायेंगे। हम 1500 रूपये आपके घर में पहुंचायेंगे। आपका तीसरा बजट आने के बाद आपकी घोषणा कहां है ? आप उसको कब शामिल करेंगे ?

इसी प्रकार से लोक कला और संस्कृति की है। छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल राजिम में छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जिस प्रकार से आपकी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ियों का अनदेखा किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ी कलाकारों की उपेक्षा हो रही है, यदि सरकार नहीं चेती तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और वे लोग पूरे राज्य में बैठे हुए हैं। आप उसके लिये बजट बढ़ाईये न आपको किसने रोका है ?

श्री अमितेश शुक्ल :- नेता जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आपने जो बात बोली है, वह असत्य नहीं है, मगर उन लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है कि जो मेला है, वह कोरोना के कारण उसको बहुत छोटा रूप दे दिया गया है, इसलिए महत्व कम है, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझा दिया जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- समझा दिया जायेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैनपाट में हुआ। आपने उसमें कितने लोकल कलाकारों को भागीदारी दी। राजिम में कोरोना है, अमितेश जी, ऐसा तो नहीं है कि आप हैं इसलिए कोरोना है।

श्री अमितेश शुक्ल :- मुझे तो कोरोना हो चुका है। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार ने आपको कोरोना बना दिया है। सबसे अलग-थलग कर दिया है।

श्री अमितेश शुक्ल :- बृजमोहन भाई, वह हाल तो आपका भी था। आप तो जानते हो, क्या चीज के लिये चाहते रहे और क्या नहीं हो पाया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उनको मंत्री का दर्जा तो था। आपके पास वह भी नहीं है।

श्री अमितेश शुक्ल :- वह तो मैं स्वेच्छा से नहीं ले रहा हूं। मेरे को बार-बार बोला गया है कि (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा क्या, वाह-वाह-वाह। (हंसी)

श्री अमितेश शुक्ल :- ये तो बड़प्पन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप स्वेच्छा से नहीं ले रहे हैं, तो आपके लिए एक कार्यक्रम आयोजित होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी, आप घोषणा कर दीजिये कि हम मंत्री पद देना चाहते हैं, वह लेना नहीं चाहते हैं। तो आप बोल दीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- रिकार्ड में है, अमितेष जी, सोच-समझकर बोलें। आपका आधा क्लेम खत्म हो जायेगा।

श्री अमितेष शुक्ल :- नहीं-नहीं। बात कर रहे हैं, मंत्री पद का दर्जा ही।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब कलटी मार दिए। अभी मंत्री पद की बात किये और दर्जे में आ गये।

श्री अमितेष शुक्ल :- शर्मा जी ने मंत्री पद दर्जे की बात की थी।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यदि मैं इस बजट को एक लाईन में कहूं तो यह दिशाहीन बजट है। जो शेयर मार्केट की बात आती है। यदि छत्तीसगढ़ का अलग शेयर मार्केट होता तो कितनी तेजी नीचे धड़ाम से गिरता, वह देखने लायक होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का बजट अदूरदर्शिता, विकास विरोधी और प्रदेश को पीछे ले जाने वाला है। यह ऐसा बजट है :-

" ना उम्मीदों को पर दिया, न बेघरों को घर दिया।
वादा किया था खुशियों का, हर एक के हिस्से में गम गया।"

मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यगण सर्वश्री माननीय डॉ. रमन सिंह जी, माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय संतराम नेताम जी, माननीय नारायण चंदेल जी, माननीया डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, माननीय श्री सौरभ सिंह जी, माननीय डॉ. विनय जायसवाल जी, माननीय रजनीश कुमार सिंह जी, माननीय प्रकाश शक्राजीत नायक जी, माननीय देवव्रत सिंह जी,

माननीया श्रीमती इंदू बंजारे जी, माननीय श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा जी, माननीय श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, माननीय श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, माननीय श्री शैलेश पाण्डेय जी, माननीय रामकुमार यादव जी, मान, माननीय केशव चन्द्रा जी, माननीय लालजीत सिंह जी राठिया, माननीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, माननीय राजमन बेंजाम जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, माननीया श्रीमती संगीता सिन्हा जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी और अभी-अभी जिनका भाषण समाप्त हुआ, माननीय धरमलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने इस सामान्य आय-व्यय की चर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नजर में, 2021-2022 के बजट का कुल आकार 1 लाख 5 हजार 213 करोड़ है। कुल प्राप्तियां 27 हजार 145 करोड़ अनुमानित है। इसमें शुद्ध व्यय 97 हजार 106 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में से राजस्व व्यय 83 हजार 27 करोड़ 85.5%, कुल व्यय में से पूंजीगत व्यय 13 हजार 839 करोड़ 16%, राजस्व घाटा 3 हजार 702 करोड़ अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 17 हजार 461 करोड़ जो जी.एस.डी.पी. का 4.56% है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं। पता नहीं, नेता प्रतिपक्ष जी कहां से आंकड़ा ले आये थे। वह आंकड़ा कहीं से कोई मेल नहीं खा रहा था। धरमलाल कौशिक जी की बात को धर्मजीत जी काट रहे थे। पता नहीं, आप ये आकड़ें कहां-कहां से ले आते हैं। डॉ. रमन सिंह जी ने भी अपनी बातें कही। बजट में पिछले 5 वर्षों के अनुसार जो विकास मूलक कार्यों पर जो प्रावधान किए गए, उसमें आपके शासनकाल में विकास मूलक कार्य में 2017-18 में 79 प्रतिशत था, गैर विकास मूलक कार्य में 21% , वर्ष 2018-19 में विकास मूलक कार्य पर 79 प्रतिशत, फिर से गैर विकासमूलक कार्य में 21 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में विकास मूलक कार्य पर 80 प्रतिशत और गैर विकास मूलक कार्य पर 20 प्रतिशत, वर्ष 2020-2021 में विकासमूलक में 78 प्रतिशत और गैर विकासमूलक में 22 प्रतिशत और वर्ष 2021-2022 में यह 77 प्रतिशत और 23 प्रतिशत है। विकास मूलक कार्यों पर बजट की 77 प्रतिशत राशि खर्च की जायेगी जिसके बारे में बड़ी चिंता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह जी कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश की व्यवस्था ऋण गारंटी से की जा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास में राज्यांश हेतु आपकी सरकार ने जनवरी, 2018 में 3427 करोड़ और नगरीय प्रशासन के लिए 3357 करोड़ रूपये के ऋण लेने की गारंटी आपने दी थी। आपने कहा था ना कि हम धान खरीदी के लिए गारंटी दे रहे हैं। गारंटी की शुरूआत आपने की। इसके पहले आपने गारंटी कब दी। वर्ष 2012 से 2015 तक पॉवर कंपनियों को कार्यशील पूंजी के लिए 2 हजार करोड़ रूपये की गारंटी आपने दी। तो गारंटी देने की शुरूआत आपने की और हमने इसलिए गारंटी दी क्योंकि यदि सीधे ऋण लेते हैं तो हमको 2 से 2.5 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ेगा। गारंटी देने से उस ब्याज की राशि की बचत होगी। यदि हम गारंटी नहीं देते तो

मार्कफेड या नॉन के पास अलग से तो कोई पूंजी है नहीं आखिर में उस राशि को राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है इस कारण से इसको दिया गया। वैसे तो आंकड़े करीब-करीब चाहे अजय जी बोले हों, चाहे डॉ. रमन सिंह जी कहें, नेता प्रतिपक्ष जी पता नहीं कहां-कहां से आंकड़े ले आये थे। उसमें आपने कहा कि खर्च बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। आपने कहा कि हमारी सरकार ने 41 हजार करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन इस दौरान आपने केवल 12 हजार करोड़ रूपये का ब्याज भुगतान किया। आपने यह बिल्कुल सही कहा है कि हम 36 हजार करोड़ रूपये का लोन लिये हैं लेकिन 5.5 हजार करोड़ से अधिक उसका ब्याज और भुगतान भी हमने किया है। हम कहीं पीछे नहीं हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने जो किया, क्या 41 हजार करोड़ का ब्याज हमको नहीं देना पड़ेगा? आपने जो कर्ज लिया है क्या उसका भुगतान हम नहीं कर रहे हैं? क्या उसका ब्याज हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्या उसकी किश्त हम नहीं पटा रहे हैं? कल तो आप बोनसाई की बात कह दिये और बोनसाई कहते-कहते बड़े-बड़े फोटो लगाने की बात कह रहे थे। आप तो केवल बजट में जितना नहीं था, जनसंपर्क विभाग के 165 करोड़ रूपये के बजट में 350 करोड़ रूपये का आप फोटो छपवा दिये और वह केवल जनसंपर्क विभाग नहीं बल्कि दूसरे विभागों में जो आपके होर्डिंग और फोटो लगे हैं उसके कर्ज आज तक बचे हैं और उस कर्ज को हम अभी तक पटा रहे हैं। ये स्थिति है। (शेम-शेम की आवाज) कोई सा ऐसा विभाग नहीं है जिसमें होर्डिंग और विज्ञापन के पैसे का कर्ज न बचा हो। हम अभी भी पटा रहे हैं। ये कर्ज क्यों लेना पड़ा? बार-बार ये बात आती है कि आपका कर्ज 71 हजार करोड़ रूपये बढ़ गया। बीते तीन साल में आप देखेंगे और आपने 14628 करोड़ केंद्र सरकार से राज्य को जो कर का हिस्सा मिलना था वह 14628 करोड़ रूपये आपने नहीं दिया। दूसरा जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति जिसका एक्ट आपने बना दिया है। हमारे जन घोषणा पत्र का तो बार-बार उल्लेख कर रहे हैं और हम उस पर चल भी रहे हैं, लेकिन जो लोकसभा में पारित एक्ट बनाया, कानून बनाया, उसमें भी आप अभी 3 हजार 109 करोड़ रूपये नहीं दिये हैं। यदि यही हमारा 18 हजार करोड़ रूपये रहता तो हमें न कर्ज लेने की आवश्यकता थी और आप जितने भी जन घोषणा पत्र के गिना रहे हैं पेंशन से लेकर और दुनिया भर की चीजें हैं उन सारी चीजों की पूर्ति हो जाती। यदि आज इस प्रदेश में घाटा हो रहा है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली में बैठी हुई, आपकी सरकार जिम्मेदार है। (मेजों की थपथपाहट)

समय :
5:11 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। डॉ. रमन सिंह जी लम्बे समय तक वित्त विभाग संभाले हैं। उनको बड़ा अनुभव और ज्ञान भी है। वह महान अर्थशास्त्री भी हैं। कल उन्होंने कहा कि कमिटेड व्यय राज्य के स्वयं के राजस्व से नहीं किया जा पा रहा है। यह स्थिति

है। आज अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो भाषण दिया। स्थिति यह है कि राज्य सरकार अपनी आय से कर्मचारी अधिकारियों को वेतन तक नहीं बांट पायेगा। यह स्थिति क्यों बन रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? रमन सिंह जी, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2016-17 में राज्य के राजस्व की प्राप्ति कितनी थी? 24 हजार, 614 करोड़ रूपये। उस समय आप मुख्यमंत्री थे। आपके पास वित्त विभाग भी था। कमिटेड व्यय 18 हजार 162 करोड़ था। अंतर है 6 हजार 452 करोड़ रूपये। बचत। वर्ष 2017-18 में आपके राजस्व प्राप्तियां कितनी हुईं 26 हजार 235 करोड़ रूपये। कमिटेड व्यय कितना था 18 हजार से बढ़कर 20 हजार 732 करोड़ रूपये था। फिर भी 5 हजार 503 करोड़ का अंतर है फिर आप वर्ष 2018-19 में आ जाईये तब राजस्व की प्राप्ति 26 हजार से बढ़कर 29 हजार 130 करोड़ रूपये थी और कमिटेड व्यय 20 हजार से बढ़कर सीधा 26 हजार छलांग लगाया और राजस्व प्राप्ति जो अंतर है वह लगातार कम हुआ वह 6 हजार से 5 हजार और 5 हजार से 2 हजार 135 करोड़ हुआ। यही वह वर्ष है जब आपका जीएसटी का प्रभाव दिखने लगा। जो वेट हम लोग लगाते थे राज्य में राजस्व आता था वह मिलना बंद हो गया और उसके बाद वर्ष 2019-20 में राजस्व की प्राप्तियों में 30 हजार 51 करोड़ रूपये वृद्धि हुई, लेकिन कमिटेड व्यय 34 हजार 203 करोड़ रूपये बढ़ा । -4 हजार 152 करोड़, यह जीएसटी का दुष्प्रभाव। वर्ष 2020-21 में पुनरीक्षित अनुमान 34 हजार 45 करोड़ के विरूद्ध कमिटेड व्यय 40 हजार 309 करोड़ हो गया। 6 हजार 264 करोड़ अंतर आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि जीएसटी नहीं लगता। हम वेट में यह राशि वसूल कर सकते थे, लेकिन अब जीएसटी में क्या हो रहा है 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार को, उसमें से पहले तो 42 प्रतिशत था अब 15 वें वित्त आयोग में जो अनुशंसा हुई वह 43 प्रतिशत में है। वह भी पूरे देश की जीएसटी मिलाकर उसमें से 43 प्रतिशत राज्यों को दिया जायेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारा 50 प्रतिशत गया उसमें से 43 प्रतिशत मिलेगा। हम उत्पादक राज्य हैं हमको भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। केवल वर्ष 2022 तक यह मिलना है, वह भी आप देना बंद कर दिये हैं। आप उसमें भी कहते हैं कि आप उधार लीजिए। जो हम लोगों के जीएसटी का हमारा हिस्सा है उसमें भारत सरकार कहती है कि आप उधार लीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि आप उधार लेकर घी पियो। कौन उधार लेकर घी पी रहा है। यदि यह वेट हमारा रहता और उसके बाद कहते यह केन्द्र आधारित बजट है तो सारा टैक्स तो आप ले रहे हैं और अभी पेट्रोल में भी कह रहे हैं कि जीएसटी लगाएंगे, उसका भी पैसा चला जाएगा। आज स्थिति यह है कि यदि हमारे पास यह वेट रहता, हमें कर लगाने का अधिकार रहता तो आज जो परिस्थिति कोरोना के कारण से उत्पन्न हुई तो उसमें कुछ स्कीम में छूट देते, किसी में वृद्धि करते। लेकिन आपने एकतरफा कौन सी चीज बची है जिसमें जी.एस.टी. नहीं लगा रहे हैं। सारा पैसा वहां जा रहा है, राज्य का हिस्सा भी नहीं देते, उसके बाद यहां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप कहते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हो, हाथ-पैर बांध लिये हो और दौड़ने की बात करते हो। यह स्थिति आपने प्रदेश

में निर्मित किया है। आप हमारा 18 हजार करोड़ रुपये दे दीजिए। उसको देने के लिए क्यों नहीं कहते? माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आंकड़ों की बात बहुत हुई है इस कारण से मैं बहुत सारे आंकड़ा लाया हूं। आप कहते हैं कि 2019-20 और 2020-21 में बजट में राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया था, किन्तु वास्तविक रूप से 2019-20 में 9,609 करोड़ का राजस्व घाटा तथा 2020-21 में 12,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है। इसमें भी आपने कहा तो अध्यक्ष महोदय, बात तो यही है आपने हमारा केन्द्रीय करों में हिस्सा 5,808 करोड़ रुपया नहीं दिया, कम प्राप्त हुआ। उसके भी हम 8700 करोड़ रुपये का लोन माफ किये। आपने 2020-21 में भी 8,400 करोड़ रुपये नहीं दिया, जी.एस.टी. का 3,109 करोड़ रुपये नहीं दिया। कुल मिलाकर 18 हजार करोड़ रुपये आप नहीं देंगे तो कैसे होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय, बजट अनुमान के व्यय की वास्तविक व्यय की स्थिति है। इसमें 2016-17 में अनुमानित बजट 13 हजार 4 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 4971 करोड़ हुआ था, 2017-18 में 14453 करोड़ रुपये, वास्तविक व्यय 10,000 करोड़ रुपये हुआ था। 2018-19 में 14,454 करोड़, वास्तविक व्यय 8,903 करोड़ हुआ था। इस प्रकार से आप देखें 2019-20 में 12000 करोड़ रुपये का अनुमान था, लेकिन वास्तविक व्यय 8,566 करोड़ रुपये हुआ। आप जो कहते हैं न कि बिल्कुल नहीं हुआ, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। 2020-21 में जो रिवाईज हुआ, वह 13,814 करोड़ है, उसके अगेन्स्ट में 6,159 करोड़ रुपये, यह जनवरी तक का है। मार्च तक यह स्थिति और सुधार होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रमन सिंह जी ने बात कही कि 15 साल में वित्तीय घाटे का अनुमान वास्तविक घाटे की स्थिति में कभी अंतर नही आया। डॉ साहब, मैं आप ही के कार्यकाल का आंकडें निकालकर दे रहा हूं। आपने 2014-15 में 5,660 करोड़ रुपये घाटे का अनुमान किया था लेकिन वास्तविक 8057 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। जो हमें कह रहे हैं न, हमारा घाटा सिर्फ इसलिए हुआ कि हमको केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, इस कारण से ये स्थिति है। पिछले दिनो मैंने बताया कि आपके समय में चाहे वह यू.पी.ए. की सरकार हो या एन.डी.ए. की सरकार रही हो, आपको पूरा पैसा मिला। हमारी सरकार में आते ही केन्द्र में बैठी हुई एन.डी.ए. की सरकार ने 18000 करोड़ रुपये रोक लिया है। (शेम-शेम की आवाज) इस कारण से ये घाटा की स्थिति बन रही है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए केन्द्र में बैठी हुई सरकार जिम्मेदार है। आपने एफ.आर.बी.एम. एक्ट संशोधन के बारे में कहा। आप कभी 3 प्रतिशत की सीमा से लांघे नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि यदि केन्द्र से पैसा आ जाता तो हमको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। भारत सरकार खुद कह रही है कि ये काम करिये, फिर आधा परसेन्ट ये काम करिये, इसमें सुधार कीजिए, फिर आधा परसेन्ट ये काम करिये, इसमें 25.25 प्रतिशत, कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से लोन लेने की बात भारत सरकार खुद स्वीकार कर रही है और हमें नसीहत दे रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत मेहनत की और आंकडें भी अपने हिसाब से प्रस्तुत किये और

आंकडों की व्याख्या भी की। अब मैं कुछ तुलनात्मक बातें करना चाहूंगा। केन्द्रीय बजट में 2020-21 में राजस्व प्राप्तियॉ 11.5 प्रतिशत की कमी अनुमानित थी जबकि छत्तीसगढ़ में राजस्व प्राप्ति गत् वर्ष के बराबर ही हमने अनुमानित किया है । कोरोना आपदा के बावजूद भी तुलनात्मक रूप से छत्तीसगढ़ कम प्रभावित हुआ है । वित्तीय घाटे और राजस्व घाटे के बारे में बहुत सारी बातें हुईं । भारत सरकार का पुनरीक्षित अनुमान, जी.डी.पी. का वित्तीय घाटा 9 प्रतिशत और अगले वर्ष 6.4 प्रतिशत अनुमानित है जबकि हमारे बजट में इस वर्ष पुनरीक्षित अनुमान में क्रमश: 6.5 प्रतिशत है और 4.5 प्रतिशत अनुमानित है जो केंद्र से इस वर्ष 3 प्रतिशत और अगले वर्ष 2 प्रतिशत कम है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के वित्तीय प्रबंधन से बेहतर प्रबंधन हमारे छत्तीसगढ़ का है, इसी प्रकार से जी.डी.पी. का राजस्व घाटा इस वर्ष 7.5 प्रतिशत और अगले वर्ष 5.1 प्रतिशत अनुमानित है, यह भारत सरकार का है जबकि हमारा राजस्व घाटा इस वर्ष 3.5 प्रतिशत और अगले वर्ष मात्र 1 प्रतिशत अनुमानित है । इस प्रकार से राजस्व घाटा में भी देखें तो अगले वर्ष 4 प्रतिशत भारत सरकार से हमारा कम है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कभी इन दोनों घाटों को जो राज्य में यदि घाटा है और यदि हमारे पैसे 18 हजार करोड़ रूपये मिल जाते तो हम लोगों की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है लेकिन आपने जी.डी.पी. का कहा कि पहली बार कमी आयी है, आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन भारत सरकार के जी.डी.पी. में कितनी कमी आयी है, 7.7 प्रतिशत की कमी अनुमानित है । जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 1.7 प्रतिशत अनुमानित है । कहां 7.7 प्रतिशत और कहां 1.7 प्रतिशत ? उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय, हमारे सब साथियों ने बहुत चर्चा की कि पहली बार है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिव्यक्ति आय में कमी आयी लेकिन मैं आंकड़े बताना चाहूंगा कि देश में क्या स्थिति है ? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 5.41 प्रतिशत की तुलना में छत्तीसगढ़ में मात्र 0.14 प्रतिशत की कमी है । (मेजों की थपथपाहट) कहां 5.41 और कहां 0.14 ? जमीन-आसमान का अंतर है । उसी प्रकार से ब्याज-भुगतान की स्थिति भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में 35 प्रतिशत है वहीं छत्तीसगढ़ में यह अनुपात केवल 8 प्रतिशत है । भारत सरकार 35 प्रतिशत, केवल जितनी भी राशि आ रही है उसका 35 परसेंट पटा रहे हैं और हम केवल 8 परसेंट पटा रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय बजट में अगले वर्ष लिये जाने वाला शुद्ध ऋण कुल बजट का 26 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत केवल 14 है । इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है और मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले साल छत्तीसगढ़ और बेहतर स्थिति में होगा । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईट के बारे में बहुत बात हो गई, मनरेगा में क्या अभी भी गढ्ढा खोदवाओगे ? आपकी मानसिकता बदली नहीं है, कल डॉ. रमन सिंह जी कह रहे थे कि गढ्ढा खोद रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह कांग्रेस की

असफलताओं का राष्ट्रीय स्मारक है और यदि यह कोरोना नहीं होता तो करोड़ों-करोड़ों मजदूर जो अपने प्रदेश में लौटे हैं उनको रोजगार नहीं मिलता । यही मनरेगा है जिसने गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था को संभालकर रखा है, गांव की और देश की अर्थव्यवस्था को संभालकर रखा है । आप उसके बारे में इस प्रकार से कह रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से भ्रम फैलाये जा रहे हैं, बहुत सी सुनी-सुनायी बातें भी कही जा रही हैं, गलत तरीके से तोड़-मरोड़कर आंकड़े भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके सिस्टम में एलिट ओरियेंटेड से हमने अब कॉमनमेन ओरियेंटेड व्यवस्था की है उसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को मिल रहा है । (मेजों की थपथपाहट) हम डाउन टू अर्थ हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, दिक्कत तो उनको हो रही है जिनको शीर्षासन करना पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्य के रूप में पहचान आपने दिलाई । आपको 15 साल का अवसर मिला, सबसे ज्यादा गरीब छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा घर विहीन छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा कुपोषण छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा एनीमिया पीड़ित छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में हैं । तो आपने क्या पहचान दी थी? अध्यक्ष महोदय, हमने उन सारे वर्गों को चिह्नित किया और उनके लिए काम करना शुरू किया । अध्यक्ष महोदय, हमें ऋण लेना पड़ा, जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। यदि आप पैसा छोड़कर जाते, जैसा कि अमरजीत जी कह रहे थे हमारे समय आर.सी.सिंहदेव वित्त मंत्री थे, 400 करोड़ आपके खजाने में छोड़कर गए थे । लेकिन आपने हमारे लिए 41 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गए । हमने किसानों से वायदा किया था कि हम आपका ऋण माफ करेंगे और 17 लाख 96 हजार किसानों का 8 हजार 743 करोड़ रूपए हमने माफ किया (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया सोचती है कि मंदी के समय में आम लोगों की जब में पैसा डालो । वही काम हमने इस समय किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं सेक्टरवाइज थोड़ी तुलना करूंगा। देश में कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई है वह 3.4 प्रतिशत है और छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में विकास 4.6 प्रतिशत, यानी राष्ट्रीय औसत से हमारा प्रदर्शन बेहतर है (मेजो की थपथाहट) । उद्योग के क्षेत्र में पूरे देश में जब माइनस 9.6 परसेंट रही है, वहीं छत्तीसगढ़ को हमने माइनस 5.28 परसेंट में रोकने में सफल रहे । सेवा के क्षेत्र में जहां देश माइनस 8.8 परसेंट रहा, वृद्धि की बात तो छोड़ दीजिए, नीचे गया है । ऐसे समय में सेवा के क्षेत्र में हम पॉजिटिव रहे और 0.75 प्रतिशत की वृद्धि छत्तीसगढ़ में सेवा के क्षेत्र में हुई है । यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमने कर्ज ले लिया, कर्ज ले लिया, 36 हजार करोड़ कर्ज ले लिया, 71 हजार करोड़ कर्ज में डाल दिया। आपकी स्थिति क्या है 2018-19 में केवल एक साल में भारत सरकार ने 8 लाख 48 हजार 338 करोड़ का कर्ज लिया । 2019 में आपने 9 लाख 94 हजार 179 करोड़ फिर से कर्ज लिया और 2 साल में देश में 18 लाख 42 हजार 514 करोड़ का भारत सरकार ने कर्ज लिया । नेता जी आप इसका हिसाब थोड़ा

लगाएंगे कि महीने के हिसाब से कितना होगा, दिन के हिसाब से, घंटा, मिनट और सेकेंड का हिसाब लगाकर बता देंगे कि भारत सरकार ने देश के प्रत्येक व्यक्ति पर कितने हजार करोड़ का कर्ज लादा है । यह जरूर बता देंगे । अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में केन्द्र सरकार डेब्ट जी.एस.डी.पी. रेश्यो 62 प्रतिशत रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अनुमान केवल 22.29 प्रतिशत है । अध्यक्ष महोदय, इंट्रेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू रिसिव का रेश्यो 45 प्रतिशत है जबकि छत्तीसगढ़ में यह रेश्यो केवल 8.16 प्रतिशत मात्र है । अध्यक्ष महोदय, आपके समय भारत सरकार से बराबर आपको राशि मिलती रही है । लेकिन आपकी पार्टी की सरकार केन्द्र में आने के बाद छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया गया है । वह बहुत दुखदायी है, हमारा 18 हजार करोड़ जरूर मिलना चाहिए । अब जो बात आप तुलनात्मक रूप से कह रहे थे कि पड़ोसी राज्य में स्थिति क्या है । आपके शासित राज्य में स्थिति क्या है ? आप हमें कह रहे हैं कि हमारे राज्य में आप डी.एस.डी.पी. के ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाए । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग तो आपके आते तक बैठने के लिए तैयार थे। विपक्ष वालों ने तय लिया था कि आपको देखकर ही जायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- क्यों कुछ शंका थी ?

श्री कवासी लखमा :- क्या हो गया?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, अब वैसे खड़ा हो गया हूं तो आपके साथ भी बात कर लूं। बंगाल चुनाव प्रचार में जायेंगे तो एक कॉपी अधीर बाबू को दे देना। जो आप भाषण दे रहे हैं, उसे अधीर बाबू को दे दीजिएगा।

श्री भूपेश बघेल :- मुझे आप मकान बनाने की बात कह रहे हैं, वहां असम में एक ठोक मकान नहीं बना है। मैं असम की बात यहां नहीं करना चाहता।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अधीर बाबू को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को दे दीजिएगा, यह कहा ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं असम की बात कर रहा हूं। असम चुनाव में जायेंगे बोले, फिर उसके बाद अधीर के पास गये हैं। मैं असम की बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अधीर बाबू को यह कॉपी दे दीजिएगा।

श्री भूपेश बघेल :- अधीर बाबू को मालूम है कि पेट्रोल के दाम मध्यप्रदेश में सैकड़ा छू रहा है और छत्तीसगढ़ में अभी 11 रूपये उससे कम है। यह उन्हें मालूम है। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- बोलकर मत फंसा करो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, 1 मिनट और शांत हो जायें।

समय:

5.31 बजे

सदन को सूचना

नेत्र एवं आयुर्वेद नाड़ी शिविर का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा की लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 04 एवं 05 मार्च, 2021 को नेत्र एवं आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर आयोजित है।

कृपया माननीय सदस्य प्रात: 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक शिविर में उपस्थित रहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, रोज देखिएगा नाड़ी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम देखेंगे। आप कल आना।

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी नहीं देखेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डहरिया जी देखेंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां देखेंगे, कल आइए।

श्री कवासी लखमा :- आप पुन्नूलाल को पूछो कि वह देखेगा या नहीं देखेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण के बारे में लगातार चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2019-20 में 63147 करोड़ रूपये का ऋण रहा जो सकल घरेलू उत्पाद का 18.3 प्रतिशत रहा है और इस साल वर्ष 2020-21 में 72012 करोड़ ऋण लिया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 20.5 प्रतिशत है। जबकि यही स्थिति मध्यप्रदेश में आप देखें जिससे हम लोग अलग होकर आये हैं, वहां 24 प्रतिशत है और उत्तरप्रदेश चल देंगे तो वहां 29 और 30 प्रतिशत लोन है। (शेम-शेम की आवाज) यह आपके शासित प्रदेशों की स्थिति है और हमें यहां आप आंकड़े बता रहे हैं। नसीहत दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के बारे में चर्चा हुई कि ऊर्जा में कोई काम नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि अपने शासनकाल के अंतिम दो वर्ष में वर्ष 2017-18 में आपने 3915 करोड़ रूपये और वर्ष 2018-19 में 4704 करोड़ रूपये प्रावधानित किये थे। जबकि हमने पिछले 2 वर्ष में ऊर्जा में वर्ष 2020-21 में 5597 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 5137 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। हम कहीं पीछे नहीं हैं। जो आप लगातार कहते हैं कि आपने इसके लिए कुछ नहीं किया। उसके लिए कुछ नहीं किया। तो मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के बारे में भी बात हुई तो वर्ष 2017-18 में आपने 3215 करोड़ रूपया रखा था और वर्ष 2018-19 में 3445 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था। हमारे शासनकाल में वर्ष 2020-21 में 3998 करोड़ और इस साल 4088 करोड़ का प्रावधान किया है। उसी प्रकार से आपने नगरीय प्रशासन

के बारे में चर्चा की। मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017-18 में आपके समय में 2976 करोड़ का प्रावधान था और वर्ष 2018-19 में 3358 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन पिछले दो वर्ष में हमारी सरकार ने वर्ष 2020-21 में 3383 करोड़ और इस साल 3592 करोड़ का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख होता है कि रमन सिंह जैसे सुलझे हुए व्यक्ति कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं किया। आदिवासियों का पूरे प्रदेश में 30 प्रतिशत है और उसके बाद इस बजट में देखेंगे तो उसके लिए 34 प्रतिशत का बजट में प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत का हमने प्रावधान किया है। हमने कहीं कोई कमी नहीं की। यदि आप क्षेत्रवार देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति के लिए 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत और सामान्य क्षेत्र के लिए 53 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है । क्षेत्रवार देखेंगे तो सामान्य क्षेत्र में 23 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र में 38 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र में 39 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है। आप लगातार कह रहे थे कि आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया, आप केन्द्र सरकार से तुलना कर रहे थे, लेकिन आपने कृषि में कितना किया ? आपकी वृद्धि केवल 2.03 प्रतिशत थी । वाणिज्य और उद्योग में जबरदस्त उछाल है, उसमें 47.24 प्रतिशत है । शिक्षा के क्षेत्र में 9.56 प्रतिशत, ऊर्जा के क्षेत्र में 28 प्रतिशत, गृह में 15 प्रतिशत, ब्याज के लिए 16.8 प्रतिशत, ग्रामीण विकास की चर्चा आप कर रहे थे, उसमें -10.03 प्रतिशत, यह भारत सरकार का है । शहरी विकास के लिए 16 परसेंट, सामाजिक कल्याण के लिए 22 परसेंट की व्यवस्था है । यह आपकी व्यवस्था रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना कॉल में स्वास्थ्य विभाग की बात कह रहे थे कि हमारे यहां वृद्धि हुई है तो कितना वृद्धि हुई है, यह आप देख लीजिए और वह वृद्धि नहीं, बल्कि केन्द्रीय बजट में 7843 करोड़ की कटौती की गई है मतलब 9.5 प्रतिशत की कटौती की गई है । आप यहां जो गलत बयानी कर रहे हैं, उसको सुधार लीजिए । मैं कुछ तुलनातमक बात कर लूं । कृषि क्षेत्र में भारत सरकार ने 2.3 प्रतिशत की वृद्धि की है, हमने छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में 9 प्रतिशत की वृद्धि की है, 9 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आपने वैसा ही कम कर दिया, बल्कि पिछले साल की तुलना में हमने इस साल स्वास्थ्य विभाग के बजट में 100 करोड़ रूपए बढ़ाया है, हमने कटौती नहीं की । मैंने आपको ग्रामीण विकास विभाग के बारे में बता दिया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धान खरीदी के बारे में कहना चाहता हूं । अभी भी ये लोग कहते हैं कि 25 सौ रूपये में धान खरीदो, हमें कोई आपत्ति नहीं है । 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल देने के समर्थन में है । मैंने उस समय भी पूछा था कि भारत सरकार ने बोनस देने पर रोक लगाई है, वह गलत है या नहीं है ? लेकिन आज भी इसका उत्तर नहीं आया । भारत सरकार ने बोनस देने पर पूरे देश में रोक लगायी है। न खुद दे रही है, न दूसरों को देने दे रही है । यह भारत सरकार का जो फैसला है, हम

उसकी निन्दा करते हैं । एक लाईन तो बोलने दीजिए । (शेम-शेम की आवाज) यह गलत है । निन्दा मत करिए, अगर यह गलत है तो कहिए । आपके समय में 2015-16 में आपने 13 लाख, 17 हजार किसानों का पंजीयन किया था, 2016-17 में 14 लाख, 51 हजार, 2017 में 15 लाख, 77 हजार, 18 में 16 लाख, 99 हजार किसानों का पंजीयन किया था, लेकिन हमारी सरकार बनते ही इस आंकड़ें में उछाल आया और हमने 19 लाख, 55,545 किसानों का पंजीयन किया और इस साल हमने 21 लाख, 52 हजार किसानों का पंजीयन किया, यह तो रिकार्ड हो गया । 95 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा । आपके समय में तो 16 से 23 प्रतिशत किसान धान नहीं बेचते थे । हमारे यहां केवल 4.6 प्रतिशत किसान ही धान नहीं बेच पाये, जिसके बारे में भी आप लोग यहां लगातार चर्चा करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारदाने के बारे में बात हुई । धर्मजीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि बारदाने की फैक्ट्री खुलनी चाहिए । जो फैक्ट्री बंद है, उसे खोला जाना चाहिए । हमने प्रयास किया । कोलकाता में उसका मालिक है, रायगढ़ वाले जूट मिल वाले से हमने बात की, लेकिन वहां का संगठन और उसके बीच में जो विवाद है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विवाद समाप्त हो और वह जूट मिल शुरू हो । और लोग भी यहां जूट मिल लगाना चाहें तो निश्चित रूप से स्वागत है । छत्तीसगढ़ में हमने पॉलिसी बनाई है कि 60 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक हम छूट दे रहे हैं और जो आना चाहें, उसका स्वागत है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय में तो रकबा कम होता था, लेकिन हमारे समय में रकबा बढ़ा है और उससे जो धान का उपज होता है, उसकी खरीदी भी बढ़ी है। इस मामले में अभी जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने रखा, उसमें आपने चर्चा नहीं की, 5703 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। भारत सरकार लगातार अड़गा डाल रही है, कभी बारदाना के नाम से, कभी चावल जमा करने की अनुमति के नाम से, कभी 24 लाख खरीदेंगे, 60 लाख की सहमति देते हैं, उसके बावजूद भी हम बजट में 5703 करोड़ का प्रावधान किये हैं। यह सरकार किसानों की सरकार है, यह प्रदेश किसानों की सरकार है और हम किसानों के हित में काम करते रहेंगे। (मेजों की थपथपाहट) आप जो कह रहे थे ना कि इसकी दूरी को दूर करें। इसमें कोई deference हैं, उसको दूर करें। माननीय धर्मजीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने वर्ष 2016-17 का बोनस 300 रूपये बांटा ? यह तो बोले थे कि हम हर साल बांटेंगे। इनकी ही बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने वर्ष 2014 में कहा कि हम हर साल बोनस देंगे। लेकिन जैसे ही आदेश आया बांटना बंद, लेकिन जब हम लोग लगातार आंदोलन किये तो फिर ये दबाव में आये, यदि बोनस नहीं देंगे तो हम गांव में घूस नहीं पायेंगे। फिर वर्ष 2016-17 में उन्होंने कहा कि 300 रूपये बोनस दिया जायेगा और शासकीय कार्यालय से नहीं एकात्म परिसर से जाकर रमन सिंह जी ने घोषणा की कि 300 रूपये दिया जायेगा, 10 क्विंटल खरीदा जायेगा। 2016-17 की बात है। 2018 में मिला उस समय भी चावल खरीदा जाता था तो आज क्यों रोका जा रहा है ? जब आपका समय था

तो आप 300 रूपये बोनस दिये थे तो 1 रूपये ही क्यों न दें, लेकिन आपने 2016-17 और 2017-18 में दिया था तो फिर हमको इस साल क्यों रोका जा रहा है। यदि आपको उस समय अनुमति मिली थी तो इस समय भी अनुमति मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति के हिसाब से उस समय भारत सरकार ने निर्णय लिया था, चावल भी खरीदा था। उस समय 24 लाख मीट्रिक टन था, आप कितना धान खरीदे थे, 60 लाख, 70 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, यदि उसको करें तो 24 लाख मीट्रिक टन होता है। राज्य पुल में जितना लगता है, आप दोनों को मिला लीजिए, बराबर हो जाता है। अब हम 92 लाख मीट्रिक टन खरीद लिये हैं तो हमको तो सहमति मिलना चाहिए। 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिलनी चाहिए और रमन सिंह जी ने कहा था, 60 लाख की सहमति मिली है, आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं पूरे सदन की ओर से केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति दे दें। लेकिन अभी हम गये थे, किस प्रकार से व्यवहार किया गया ? रविन्द्र चौबे जी और अमरजीत भगत जी गवाह हैं। केन्द्रीय मंत्री ने किस प्रकार से व्यवहार किया, अध्यक्ष महोदय, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन बहुत दुखद था।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यह बताना जरूरी है कि एक रूपया ज्यादा मत दो बोले।

श्री भूपेश बघेल :- उन्होंने कहा कि 1 रूपये अधिक नहीं देना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक रूपया। (सत्ता पक्ष द्वारा शेम-शेम की आवाज)

श्री भूपेश बघेल :- हम कहें कि इसके बाद भी वित्त मंत्री के पास जायेंगे, प्रधानमंत्री के पास जायेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है, क्यों नहीं जायेंगे ? धर्मजीत जी, वह दोहा है ना।

मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज।

और परहित के काज में, मोहि न आवै लाज।।

श्री रविन्द्र चौबे :- केन्द्रीय मंत्री ने कहा, एक रूपया भी ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिलना चाहिए (शेम-शेम की आवाज) और उसके बाद भी इस बजट में 5,700 करोड़ रूपये रखा गया है, इनकी हिम्मत और हौसले के लिये आपको बधाई देना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- 42 लाख किसान को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिलवा दो। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- 1 रूपया। दुर्भाग्य है। (व्यवधान) हम केन्द्र सरकार से मिलने चलेंगे। ये दुर्भाग्य है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एक रूपया नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार के लिये यह दुर्भाग्य है। एक रूपया नहीं देना है। सदन में इसको बोले हैं। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अब बात करने के लिये कुछ बचा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- दो तरह की बातें करते हैं। (व्यवधान) किसानों के साथ हैं कि नहीं हैं आपको तय करना पड़ेगा। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसानों के बारे में बोलने का अधिकार न आप लोगों को है, न केन्द्र सरकार को है।

श्री रविन्द्र चौबे :- किसानों के बारे में बोलते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- तुही मन ला अधिकार मिले हे। फिर सब झन ला काबर नई देवह हव। 46 लाख किसान ला देव ना।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जाना अब ओ कोति। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- किसानों के लिये बजट ला दो।

श्री भूपेश बघेल :- चलना। हां हा हमर 18 लाख करोड़ ला दे। (व्यवधान) हम सब्बो ला देबो, कोनो ला नई छोड़न। (मेजों की थपथपाहट) हमर 18 लाख करोड़ ला दे। सब झन ला देबो, काबर नई देबो। ये प्रदेश किसान मन के प्रदेश ऐ। 40 प्रतिशत आदमी गरीबी रेखा के नीचे हे, ओला ऊपर उठाना हे। एनीमिया से 41 प्रतिशत लईका मन हा कुपोषित हे, ये आपे के शासनकाल के देन हरे। एनीमिया में 37 प्रतिशत में 5 प्रतिशत हमर महिला मन पीड़ित हे। ऐखर जीवन ला ऊपर उठाना हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आपकी सरकार की पापों को धाने का काम कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- ऐखर बर जरूरी हे कि ओखर घर में आय के व्यवस्था हो। ये हमर सोच हे, हम बिल्कुल देबो। ये हा पहली साल हे, जेमा वन अधिमान्यता पत्र दे रहे हैं, तेनो किसान मन के 32 हजार किसान के 10 लाख क्विंटल धान खरीदे हन। (मजों की थपथपाहट) ये पहली बार होय हे। देश मा कहूं नइ होवत हे, इहे होवत हे। शिवरतन जी, बिलकुल देबो। हमर 18 हजार करोड़ ला दिलवा दे।

श्री शिवरतन शर्मा :- दू साल के बोनस ला भी देवा देबे।

श्री भूपेश बघेल :- ओ हा तो एक रूपया बोनस देय बर रोक लगावत हे। एक रूपया बोनस देय बर रोक लगावत हे। हां, अनुमति देवा दे, बिलकुल देबो। (व्यवधान) हमर पैसा ला देवा दे।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये जन घोषणा-पत्र मोदी जी ला पूछ के बनाय रहेव का ?

श्री भूपेश बघेल :- जी.एस.टी. मा जो व्यवस्था होही।

श्री शिवरतन शर्मा :- मोदी जी ला पूछ के बनाय रहेव का? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- बेइमानी करबे करके पता नहीं रहिस हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मोदी जी ला पूछे रहेव का ?

श्री भूपेश बघेल :- जब लोकसभा में, संसद में एक्ट पारित हो गय तो पैसा मिलही कहके कोनो ला भी विशवास होही।

श्री शिवरतन शर्मा :- पैसा मिलही।

श्री भूपेश बघेल :- कब मिलही ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मिल जाही।

श्री भूपेश बघेल :- हो तो ओ दिन मिल जाही। (हंसी) हमार 18 हजार करोड़ रूपया ले दे। हम देबो, हम काबर नइ देबो, हम किसान ला वादा करे हन। अध्यक्ष महोदय, हम पेंशन भी बढ़ाबो। हम सबो किसान मन ला देबो। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ, जतका वादा करे हन सब ला पूरा करबो। लेकिन हमर पैसा ला तो दे। पहली बार कि ह तै हा हमर पैसा ला रोके हस।

श्री रामकुमार यादव :- एक हाथ मा दे, एक हाथ मा ले।

श्री उमेश पटेल :- लेकिन आप निंदा करिये न। जब आपके केन्द्रीय मंत्री एक रूपया भी ज्यादा नहीं देने की बात करते हैं तो आप लोग निंदा करिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग तो छत्तीसगढ़ के हित के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र की बात है। माननीय रमन सिंह जी ने इनवेस्टर मीट किया था। 93 हजार करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. हुए थे। लेकिन कितना आया ? 2 प्रतिशत भी नहीं आये। 2 हजार करोड़ रूपये आये, मात्र 2 हजार करोड़। 93 हजार करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. और 2 हजार करोड़ रूपये का इनवेस्ट हुआ था और करीना कपूर के साथ सेल्फी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सकारात्मक निर्णय लिया। आद्योगिक भूमि की गाइड लाईन दर में 30 प्रतिशत की कमी की। लीज रेंट को 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया। औद्योगिक भूमि के विक्रय एवं ट्रांसफर के फीस पर 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया। 10 एकड़ तक औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की सुविधा दी। नये औद्योगिक नीति में 2019-2024 में पालिसी 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले के लिए स्पेशल पैकेज दिया। आज दिनांक तक 54 एम.ओ.यू. हो गये हैं और 56 हजार करोड़ रूपये का निवेश संभावित है। (मेजों की थपथपाहट) ये हमारी पालिसी का असर है। हमको कहीं रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं इनवेस्टर मीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने केवल नीति बनाई और उसके कारण यह स्थिति बनी। लेकिन आपके शासनकाल में तो स्थिति यह थी कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, सरकारी कर्मचारियों, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जो कमाई है, वह चिटफंड कम्पनी के माध्यम से लूटने का काम हुआ है। ब्राण्ड अम्बेसडर बने थे, सब लोग जाते थे, कार्यालय के उद्घाटन में, सम्मेलन में बढ़िया-बढ़िया फोटो खिंचवाते थे। लेकिन आज तक उनको पैसा वापस नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ कि हमें राजनांदगांव जिले के 16 हजार निवेशकों के पैसे वापस दिलाने में सफलता मिली। देश में पहली बार यह घटना घटी है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, आपने तो वन अधिकार पट्टा समाप्त ही कर दिया था। लेकिन 12 साल केवल 3 लाख 87 हजार पट्टे ही वितरित किये थे। लेकिन जो निरस्त दावे हैं, हमने उसका पुन: परीक्षण

शुरू करवाया है और अब तक 46,318 नये वन अधिकार पत्र वितरित भी किए हैं। उसके साथ सामुदायिक वन अधिकार दावे के 41 हजार वन अधिकार पत्र वितरित किये हैं। निजी व्यक्तिगत दावे और सामुदायिक दावे मिलाकर 46 लाख एकड़ वनाचंल में रहने वाले लोगों के हाथ में दिए हैं, हमने उनका अधिकार दिया है। (मेजों की थपथपाहट) आप वनवासी की चिंता कर रहे थे, मैं उसकी बात कहना चाहूंगा। लघु वनोपज की खरीदी के बारे में भी हम लोग लगातार बात कर चुके हैं। आपके समय में केवल 2500 रूपये प्रतिमानक बोरा था, हमारे समय में 4000 रूपये प्रतिमानक बोरा किया। और जो आप वर्ष 2018 के तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस की बात कह रहे थे, तो 232 करोड़ उन संग्राहकों के खाते में डाल दिये गये हैं। नेता जी आप करेक्ट कर लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो करेक्ट कर लिया। वह तो जो पहले खरीदी हुई थी वह वर्ष 2018 में आ गया। वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 में अभी तक किसी का बोनस भुगतान नहीं हुआ है। यदि होगा तो मुझे अवगत करा देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- हुआ ना, रेट बढ़ा दिये ना। अभी जो अंतर की राशि आयेगी वह मिलेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने 4000 रूपये किया, तो आपको बताना था ना कि बोनस नहीं देंगे। बोनस अलग है और भुगतान अलग है।

श्री भूपेश बघेल :- जो अंतर की राशि है वह मिलेगा ना। जो विक्रय के अंतर की राशि है वह दी जायेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसी बात को तो बोल रहा हूं कि जो अंतर की राशि है वह अभी तक उनको आया नहीं है। और दूसरा-इस बार की जो खरीदी है, आप पिछले साल की खरीदी निकाल लीजिए और इस बार की कुल कितनी खरीदी हुई है उसका भी आज आंकलन कर लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय नेता जी, पहली बात तो यह कि बोनस तो होता ही नहीं। नियमित भुगतान जो किसी काम का होता है उसके अतिरिक्त यदि उसे मिल जाए तो उसे बोनस कहते हैं। ये जो भुगतान होता है तेंदूपत्ता संग्रहण के समय उनको भुगतान दे दिया जाता है लेकिन विक्रय के बाद जो अतिरिक्त राशि बच जाती है तो उसको पारिश्रमिक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। 232 करोड़ रूपये दिया जा चुका है। पिछले साल की गणना चल रही है वह आने के बाद उनको दे दिया जायेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, आपके पास हमेशा गड़बड़ समाचार आते रहता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा कोई गड़बड़ समाचार नहीं है। आपकी जो पुस्तक है और आपका जो विधानसभा का जवाब है पूरा मेरा उतना ही है। अब आपको गड़बड़ लगेगा तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी, आप पिछले साल की तुलना करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं। पूरे कोरोनाकाल में देश में कहीं भी वनोपज की खरीदी नहीं हो

रही थी। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया और जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी विडियो कांफ्रेंसिंग किए तो उस समय हमारे 99 प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी केवल छत्तीसगढ़ से और केवल 1 प्रतिशत पूरे देशभर से हुई थी। फिर उन्होंने अपने राज्यों को बोला तब जाकर अभी भी 72.5 प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी करके देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है और हमने 132 करोड़ रूपये का भुगतान किया और उस समय वनांचल में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने का कार्य किया। हम महुआ 30 रूपये में खरीदे जबकि भारत सरकार ने 17 रूपये घोषित किया। यह स्थिति रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुपोषण के बारे में उस दिन नेता जी बोल रहे थे कि कुपोषण में 1, 2 प्रतिशत कम होता है। मैं आंकड़े सहित बता सकता हूं, मेरे पास हर जिले के आंकड़े हैं। वर्ष जनवरी, 2019 की स्थिति में जो कुपोषित बच्चों की स्थिति थी वह 4 लाख 33 हजार 541 थी और अब जनवरी, 2021 की स्थिति में अब जो बच्चे कुपोषित रह गये हैं वह 3 लाख 21 हजार 112 हैं इस प्रकार कुल मिलाकर कुपोषण की दर में 25.9 प्रतिशत की कमी आई है। हम लोगों ने जो नीति मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अपनाई है, जो भोजन हम लोग गांव-गांव उपलब्ध करा रहे हैं उसके कारण से यह स्थिति आई है। स्कूल के बारे में बात हो रही थी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरूआत की जिसकी भाई धर्मजीत सिंह जी ने खूब मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हमारे सभी सदस्यों ने इसकी बात रखी है। निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो हमारी प्राथमिकता में स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रोजगार है। मैं आपके सामने शिक्षा के आंकड़े रखना चाहूंगा। वर्ष 2015-16 में वर्षवार जो आंकड़े हैं हर साल जो कमी आती थी, आपके समय में 6.25 प्रतिशत की कमी आई। उच्च प्राथमिक में 1.41 प्रतिशत की कमी आई, हाईस्कूल में 1.04 प्रतिशत की कमी आई और हायर सेकेण्डरी में 1.23 प्रतिशत की कमी आई थी। यह वर्ष 2015-16 की स्थिति है और हर साल की स्थिति यही रही है। लेकिन आप वर्ष 2020-21 का देखेंगे तो इस समय हमारे प्राथमिक में दर्ज संख्या में 1.4 प्रतिशत लोग बढ़े हैं। उच्च प्राथमिक में बहुत थोड़ा सा 0.11 प्रतिशत की कमी आयी है, लेकिन आप हाईस्कूल में आप देखेंगे 0.79 प्रतिशत ज्यादा एडमिशन लिये हैं और हायर सेकेण्डरी में जबरदस्त उछाल है 7.24 प्रतिशत नये लोगों ने एडमिशन लिया है। यह हमारी शिक्षा नीति की सफलता है। (मेजों की थपथपाहट) हाट बाजार क्लिनिक योजना जबरदस्त रूप से सफल हो रहा है। इसका लाभ लाखों लोग ले रहे हैं उसी प्रकार से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का भी लोगों को लाभ मिल रहा है। सड़क, पुल, पुलिया के निर्माण के बारे में लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप वर्ष 2013-14 में कितना बजट रखे थे? आप 3733 करोड़ बजट रखे थे। इसमें खर्च कितना हुआ 2670 करोड़ खर्च हुआ। वर्ष 2014-15 में कितना बजट रखे थे? आप 3789 करोड़ बजट रखे थे। इसमें खर्च कितना हुआ 2797 करोड़ खर्च किये। उसी प्रकार वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में आप देखेंगे उसके बाद भी हमारे समय में हमने रखा

6265 करोड़ रूपये रखा और 3877 करोड़ रूपये खर्च हुआ । आपके शासनकाल से किसी वर्ष से भी कोई कम खर्च नहीं हुआ है।(मेजों की थपथपाहट) जिसके बारे में आप हल्ला कर रहे हो। उसी प्रकार से वर्ष 2020-21 में भी हम 6553 करोड़ का प्रावधान रखे थे। कोरोना के कारण निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। फिर भी 2 हजार 99 करोड़ रूपये खर्च हुआ है और जो सड़क निर्मित हुए हैं वर्ष 2013-14 में आपने 285 किया था, वर्ष 2014-15 में आपने 197 किया था, वर्ष 2015-16 में 124 किया था, वर्ष 2016-17 में 199 सड़क बनाये थे, वर्ष 2017-18 में चुनाव था आपने 405 सड़क बनाया था वर्ष 2018-19 में 252 बनाया, लेकिन आप वर्ष 2019-20 में देखेंगे तो हमने 258 सड़कें बनायीं। वर्ष 2020-21 में भी हमने 241 सड़कें बनायी हैं। तो इनके शासनकाल में किसी वर्ष से हम तुलनात्मक रूप से देखें तो कोई कमी नहीं है। चाहे पुल, पुलिया सड़क की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क की बात हो, इसमें कोई कमी नहीं आने दी है। चाहे गौरवपथ की बात हो, हम लोगों ने बराबर, अक्षर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो उस समय वर्ष 2015-16 में आपने 108 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा था, वर्ष 2016-17 में 342 करोड़ का प्रावधान रखा था, वर्ष 2017-18 में जरूर आपने 823 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था, वर्ष 2018-19 में 596 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन वर्ष 2019-20 में भी हम 633 करोड़ रूपये का प्रावधान किये हैं। हमने पूरा खर्च किया और वर्ष 2020-21 में 800 करोड़ का प्रावधान किया और उसको पूरा खर्च कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने रेत के मामले में बहुत चर्चा की। अवैध उत्खनन हो रहा है यदि अवैध उत्खनन हो रहा है तो कार्यवाही हो रही है। मैं आपसे तुलनात्मक रूप से कहना चाहूंगा कि आपके समय में अवैध उत्खनन के वर्ष 2014-15 में 478 प्रकरण दर्ज हुए थे, वर्ष 2015-16 में 770 प्रकरण दर्ज हुए, वर्ष 2016-17 में 559 प्रकरण दर्ज हुए, वर्ष 2017-18 में 725 प्रकरण दर्ज हुए, वर्ष 2018-19 में 424 प्रकरण दर्ज हुए, हमारे समय में अवैध उत्खनन के 401 प्रकरण दर्ज किये, वर्ष 2020-21 दिसंबर तक के 349, यह प्रकरण दर्ज किये, लेकिन हमने समझौता राशि वसूली। हमने सर्वाधिक 57 प्रतिशत किये, यह हमारी वृद्धि है। उसी प्रकार से अवैध खनन का है और उसी प्रकार से अवैध परिवहन के भी आपके समय में वर्ष 2014-15 में 59, वर्ष 2015-16 में 49, वर्ष 2016-17 में 61, वर्ष 2017-18 में 63, वर्ष 2018-19 में 49, लेकिन वर्ष 2019-20 में हमने 91 प्रकरण दर्ज किये और अभी दिसंबर 2020-21 तक 81 प्रकरण दर्ज किये। हमने सबमें कड़ी कार्यवाही की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब के मामले में बड़ी चर्चा होती है। उसके बारे में भी वर्ष वार आंकड़े रखना चाहूंगा। आपके समय में कितनी वृद्धि हुई, वर्ष 2004-05 से करेंगे 14.9 प्रतिशत खपत बढ़ी, राजस्व में वृद्धि 14 प्रतिशत हुई, वर्ष 2005-06 में 12.4 प्रतिशत खपत बढ़ी, राजस्व में वृद्धि 37 प्रतिशत हुई, उसी प्रकार से वर्ष 2006-07 में 21 प्रतिशत खपत बढ़ी, राजस्व में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आगे आएंगे तो एक समय ऐसा था कि वर्ष 2012-13 में राजस्व वृद्धि में आपने 53

प्रतिशत की वृद्धि कराई थी। खपत भी बढ़ रही है। जब आपने एक बार 2017-18 में नीति बनाई, उस समय जरूर माइनस 20 प्रतिशत की कमी थी, लेकिन आपने राजस्व में कोई कमी नहीं आने दी, 17.9 प्रतिशत राजस्व था। हमारे शासनकाल में आने के बाद में खपत में 3.9 प्रतिशत की कमी आई है, राजस्व में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल खपत में 38 प्रतिशत की कमी आई, राजस्व में भी 17 प्रतिशत की कमी आई है। आप जो आरोप लगातार लगाते थे, आपकी स्थिति क्या थी और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, इसको आप देख लें। यह आपका जो डबल स्टैण्डर्ड है, इसे बंद करिये। जहां तक शराबबंदी की बात है, नशा नाश का जड़ है, व्यक्ति का नाश जरूर होता है। इसलिए इस नशा को त्यागना चाहिए। अभी जब लॉकडाउन था, पूरी तरह सब सारी दुकानें बंद थीं, लेकिन आसपास के राज्यों से शराब आती थी। जब लॉकडाउन था तो वहां से कैसे चला? जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश से निकला कैसे? उसको हमारे राज्य में पुलिस ने पकड़ा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि अवैध शराब आई। बहुत सारे लोग देशी कच्ची शराब बनाने शुरू कर दिये थे। उन पर भी हमारे पुलिस वालों, आबकारी वालों ने कार्यवाही की। लेकिन जब तक जनजागरण नहीं होगा, जब तक इसका कोई निदान नहीं होगा। बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू किया, निर्णय को वापिस लिया। अभी भी कुछ राज्य लागू किये हैं लेकिन उसके रिजल्ट क्या हैं, इसको अध्ययन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से पिछले साल कोरोना में बीता है और इस साल वैसे भी वित्तीय स्थिति ठीक भी नहीं है। दिल्ली वाले पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अभी इसको निश्चित रूप से अध्ययन करके ऐसी नीति बनायेंगे ताकि सभी लोगों की सहमति से नीति बने और इसको लागू कर सकें। ऐसी हमारी मंशा है। हमने जो घोषणा पत्र में शामिल किया है, उसे हम पूरा करेंगे। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब काफी समय हो चुका है, काफी बातें आ चुकी हैं, कुछ छूट जायेगा तो आगे बतायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोधन न्याय योजना के बारे में नेता प्रतिपक्ष जी, शिवरतन शर्मा जी ने कहा कि 80 करोड़ रुपये का गोबर खरीद लिये और केवल 7 करोड़ रुपये का वर्मी कम्पोस्ट बनाये हैं। यह सतत प्रकिया है। अभी आपको जानकारी है कि 63 हजार वर्मी कम्पोस्ट के टांके भरे हुए हैं। और ये जब आयेगा यदि 15 क्विंटल के हिसाब से करेंगे तो कितना होगा, आप तो गणित में तेज हैं, सेकंड के हिसाब से कर लेते हैं। तो उसका हिसाब कर लीजिए। एक टांका में यदि 15 क्विंटल भी निकलता है, 63 हजार टांके भरे हुए हैं यदि वह निकलेगा तो निश्चित रूप से वह आंकडें बढ़ेगे। और जो गोबर सूख गया है, गोबर कभी खराब नहीं होता, इस बात को ध्यान रख लीजिए। गोबर घूल जायेगा तो उसका दूसरा प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि वह खाद नहीं बनेगा, वर्मी कम्पोस्ट नहीं बनेगा, वह बात सही है, लेकिन खाद तो बनेगा। 10 रुपये में नहीं बिकेगा, 5 रुपये, 7 रुपये में बिकेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। यह आपकी तरह नहीं है। आपने मंडी का भी पैसा इसी विधानसभा में गौशालाओं को

देने के लिए पारित किया था। गौशाला को पैसा दे रहे हैं, उसके रिटर्न की कोई व्यवस्था थी क्या? कोई व्यवस्था नहीं थी। हम तो इसके माध्यम से खेती को भी सुधारना चाहते हैं, गौमाता की सेवा भी करना चाहते हैं, लोगों को वर्मी कम्पोस्ट बनाने का रोजगार भी दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कुल मिलाकर लाभ की व्यवस्था हो और सरकार को कुछ न देना पड़े, उस स्थिति में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। 200 से ऊपर गोठान हैं, वह स्वावलंबी हो गये हैं। हम हर गोठान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हमारा प्रयास है। पूरा देश इसको देख रहा है कि इसमें किस प्रकार से स्थिति बन रही है। मुझे विश्वास है कि गौमाता, गरीबों के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 04 मार्च, 2021 को 11.00 बजे दिन के लिए स्थगित।

(सांय 06 बजकर 05 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 04 मार्च, 2021 (फाल्गुन 13, शक सम्वत् 1942) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 03 मार्च , 2021

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं